पुलिस विज्ञान

आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष-40 अंक 144 जनवरी-जून, 2021

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पुलिस विज्ञान

अंक-144 (जनवरी-जून, 2021)

सलाहकार समिति

वरुण सिंधु कुल कौमुदी
महानिदेशक

नीरज सिन्हा
अपर महानिदेशक

शशि कान्त उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (वि. पु. प्र.)

संपादक : विजय कुमार

संपादन सहयोग
सतीश चन्द्र डबराल
वरिष्ठ अनुवादक
पिसाल विक्रम आनंदराव
कनिष्ठ अनुवादक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय

पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा हर वर्ष पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। इन विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियों में से समिति की सिफारिश के आधार पर 5 पुस्तकों को रूपये तीस-तीस हजार के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इस योजना के अंतर्गत पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिन्दी से इतर अन्य भाषाओं की पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करके प्रकाशित करने के लिए चौदह-चौदह हजार रुपए के दो नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अपनी तरफ से दो विषय देकर (एक विषय सामान्य वर्ग के लिए एवं एक विषय महिलाओं के लिए आरक्षित) पुस्तकें लिखने के लिए रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं जिसके लिए चालीस-चालीस हजार रुपये के दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। रूपरेखाएं 8 से 10 पेज की होनी चाहिए जिसमें लिखी जाने वाली पुस्तक में दी जाने वाली सामग्री का सार हो। सामान्यत: हर वर्ष रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च होती है। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संपादक (हिन्दी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली से संपर्क करें अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in देखें।

'अपराध विज्ञान' तथा 'पुलिस विज्ञान' में डॉक्टरेट कार्य हेतु फेलोशिप,

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डॉक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 10 फेलोशिप के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले दो वर्ष के लिए रूपये पच्चीस हजार तथा तीसरे वर्ष से रूपये अटठाइस हजार प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के अनुसंधान अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

पुलिस एवं कारागार सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, पुलिस एवं कारागार से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए उप निदेशक (अनुसंधान) एवं सहायक निदेशक (अनुसंधान), एन एच 8 महिपालपुर, नई दिल्ली 110037 से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संपादकीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गत 50 वर्षों से, देश की कानून व्यवस्था व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्यरत राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्यूरो द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें अपने अधीनस्थ केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित करना, विभिन्न विषयों पर सम्मेलनों व संगोष्ठियों का आयोजन करके समय के साथ उभरती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन तकनीकों व साधनों का अन्वेषण कार्य करना तथा पुलिसिंग से संबंधित विषयों पर कार्मिकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान इत्यादि विषयों पर पुस्तकें एवं पत्रिकाएं प्रकाशित करना मुख्य है।

देश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आवश्यक है कि पुलिस बलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ज्ञान को अद्यतन रखा जाए। इस उद्देश्य के लिए ब्यूरो द्वारा वर्ष 1982 से नियमित रूप से छमाही हिंदी पत्रिका ''पुलिस विज्ञान'' का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान संबंधी विषयों पर बुद्धिजीवियों द्वारा लिखे गए लेखों को प्रकाशित किया जाता है। हमने निरंतर प्रयास किया है कि पुलिसिंग संबंधी प्रामाणिक व उपयोगी जानकारी युक्त लेखों को ही पत्रिका में स्थान मिले जिनसे पुलिस कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने में मदद मिल सके।

पत्रिका के इस अंक में शामिल किए गए लेख ''युवा वर्ग, नशा और पुलिस, महिला कैदियों के बच्चे: उनकी समस्याएं और उपाय, मील का पत्थर साबित हो सकती है कम्युनिटी पुलिसिंग, डायन हत्या : महिलाओं के विरुद्ध अपराध, डिजिटल साक्ष्य एवं अपराधिक न्याय प्रणाली, फोरेंसिक साइंस न्याय के लिए विज्ञान, अपराध तथा पुलिस सुधार-एक सार्थक पहल'' आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक हैं।

पुलिस विज्ञान पत्रिका का यह अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूँ कि पत्रिका के इस अंक में शामिल लेखों में दी गई जानकारी पुलिस कर्मियों को अपना कार्य निष्पादित करने में सहायक सिद्ध होगी। पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक को और ज्ञानवर्धक व आकर्षक बनाने के लिए पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक
पुलिस विज्ञान

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और कम से कम दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल satishdabral@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए रूपये 3000/- प्रति लेख पारिश्रमिक दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि आपने पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक
पुलिस विज्ञान
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110 037

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
युवावर्ग, नशा और पुलिस	डॉ. दलवीर सिंह गहलावत	1
महिला कैदियों के बच्चे : उनकी समस्याएं और उपाय	डॉ. दीपक कुमार	10
मील का पत्थर साबित हो सकती है कम्युनिटी पुलिसिंग	श्री संजय कुमार पोरिया	17
डायन हत्या : महिलाओं के विरुद्ध अपराध	डॉ. रवि	25
डिजिटल साक्ष्य एवं अपराधिक न्याय प्रणाली	श्री राजीव शर्मा	31
फोरेन्सिक साइंस : न्याय के लिये विज्ञान	डॉ. प्रभाकर शर्मा श्री देवकी कुमरे	46
अपराध	श्री घनश्याम सिंह	56
पुलिस सुधार - एक सार्थक पहल	श्री रघुनंदन देवांगन	61

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

समीक्षा समिति के सदस्य

श्री राजेंद्र कुमार, आईपीएस, श्री राजेश प्रताप सिंह, आईपीएस, डॉ. सत्येंद्र नारायण पांडे, डॉ. शरद, डॉ. अशोक कुमार वर्मा, आईपीएस, श्री नसीरुद्दीन एस. एल., डॉ. अरविंद तिवारी, श्री कमल कांत शर्मा, डॉ. उपनीत लाली, श्री सुनील कुमार गुप्ता

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : स्मैट फॉर्मस, 3588, जी.टी.रोड़, दिल्ली-110007

युवावर्ग, नशा और पुलिस

डॉ. दलवीर सिंह गहलावत
पूर्व उप निरीक्षक, दिल्ली पुलिस

1. प्रस्तावना:-

गगनचुंबी इमारतें, चंद्रमा को छूता चंद्रयान, मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी कम करती हुई उच्च गति से चलने वाली रेल आदि इस बात के प्रमाण हैं कि भारतवर्ष एक विशाल वटवृक्ष के रूप में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। परंतु इस उन्नति के रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो इस विशाल वटवृक्ष को दीमक की तरह खाए जा रही हैं। उनमें से एक बाधा, नशा है, जिसने हमारे युवावर्ग को अपने आगोश में लेने की भरसक कोशिश की है। नशे की लत जो एक ऐसी बुराई है जिसमें हमारे समूल जीवन का विनाश संभव है। इससे पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। यह आदत एक काले सांप की तरह मुंह खोले खड़ी हुई है जो हमारे समाज को निगलने के लिए तैयार है।

नशाखोरी अब हमारी सभ्यता और युवावर्ग की नस-नस में घुसती जा रही है। कहा जाता है कि नशे का प्रचलन केवल आधुनिक समाज की देन नहीं है, अपितु प्राचीन काल में भी इसका सेवन होता था। नशे के पक्षधर लोग रामायण और महाभारत काल के अनेक उदाहरण देते हैं। वहीं इसके विरोधियों का मानना है कि प्राचीन काल में मदिरा का सेवन असुरी प्रवृत्ति के लोग ही करते थे और इससे समाज में उस समय भी असुरक्षा, भय और घृणा का वातावरण उत्पन्न होता था। क्योंकि वे मदिरा का सेवन करने के बाद खुलेआम बुरे कार्यों को अंजाम देते थे। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है जहां हमारे युवा वर्ग पर हमारे देश की तरक्की टिकी हुई है। हम अपने युवा वर्ग से यह उम्मीद कतई नहीं कर सकते कि वे हर समय नशे में रहें और अपने देश के बारे में न सोचें। अत: युवावर्ग पर हमारे देश के भविष्य की जिम्मेदारियां हैं। अगर हमारा युवा वर्ग भटक गया तो हमारे देश की तरक्की रूपी नाव डूब जाएगी और हमारा देश विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा।

समय का चक्कर नाना प्रकार के रंगों में सिमट जाता है। एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां ज्ञान की गंगा बहती थी। जिसके जलपान के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते थे। हम संसार में अधिक सभ्य और सुसंस्कृत थे। सांस्कृतिक दृष्टि से हम सदा उच्च रहे हैं। विभिन्न जाति और धर्म की यहां आंधियां चली लेकिन यहां का पत्ता तक नहीं हिला सकी। मगर पिछली एक शताब्दी से भी कम अंग्रेजी शासन ने हमें इतना बदल दिया कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ने लगे हैं और पश्चिम की नकल करने लगे हैं। यह नशा भी पश्चिम की ही एक नकल है। पहले तो हमने इसको एक शौक के रूप में लिया लेकिन अब यह एक आदत बन चुकी है, नस-नस में समा चुकी है।

पुलिस की भी इस काम में अहम भूमिका हो सकती है। अगर कोई यह सोचता है कि

पुलिसिंग का मतलब सिर्फ अपराधियों को पकड़ कर जेल में डालना है या फिर एनकाउंटर करना है तो वह गलत सोचता है। जब समय के साथ साथ अपराध, अपराधी और समस्याएं बदली हैं तो पुलिस के जवान लकीर के फकीर कैसे बने रह सकते हैं। इसलिए पुरानी परिपाटी को तोड़कर ऐसी पुलिसिंग अपनाने की जरूरत है जो वर्तमान परिपेक्ष में बिल्कुल ठीक बैठे।

2. युवावर्ग और नशाः-

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति वहां के युवक ही होते हैं। युवा वर्ग ही क्रांति लाता है। युवा वर्ग ही अपनी उत्साह, उमंग और ऊर्जा से राष्ट्र के इतिहास की धारा को नया मोड़ देते हैं। वे ही राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार युवक ही राष्ट्रीय व्यंजन में नमक हैं। युवा वर्ग का अर्थ उन विद्यार्थियों से लिया गया है जो स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह एक निखरा हुआ सत्य है कि यही भविष्य के कर्णधार हैं। उन्हें ही स्कूल और विश्वविद्यालयों से निकलकर देश और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें संभालना, सजाना-संवारना और विकसित करते हुए उन्नति के चरम शिखर तक पहुंचाना है। विद्यार्थी जीवन यानी युवावर्ग काल उनके जीवनकाल का शुभारंभ माना जाता है। क्योंकि यह निर्माण का, सर्जन का काल माना जाता है। इस उम्र में उन्हें हमेशा सजगता से काम लेना चाहिए ताकि भविष्य में जो भी उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आए उन्हें वे सब ढंग से निभा सकें मगर आज का युवावर्ग तो मानो इन बातों से सौ कोस दूर है।

आधुनिक युग में नशा युवावर्ग के लिए एक फैशन बन चुका है और युवावर्ग और नशे का चोली दामन जैसा साथ हो गया है। युवावर्ग और नशे के पारस्परिक संबंध ने वर्षों से जनमानस को उद्वेलित और आंदोलित कर रखा है। इस प्रश्न की व्यापकता इतनी सीमाहीन हो गई है कि आज हर क्षेत्र में यह संबंध चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी सभ्यता जितनी आगे बढ़ी है नशाखोरी और अपराध की घटनाएं भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी हैं। हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या आदि अनेक अपराधों के पीछे नशा एक बहुत बड़ी वजह है। भारतवर्ष में केवल 1 दिन में 11 करोड़ सिगरेट फूंके जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो 1 वर्ष में 50 अरब का धुआं उड़ाया जाता है।

i) बीमारियों के मूल में शराब तथा इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन है:

यूरोपीय देशों में तो यह एक प्रकार की अनिवार्यता मानी जाती है। इसका मुख्य कारण वहां के प्राकृतिक वातावरण और जलवायु को बताया जाता है। इसी प्रकार भारतीय परंपरा में मद्यपान की प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में आशु, सोमरस, मद्य, सुरा जैसे अनेक शब्द मिलते हैं। लेकिन आज के भारत और पहले के भारत में काफी अंतर आ गया है। तब का जीवन न तो आज के समान अभाव से ग्रस्त था और न आज जैसी सिद्धांतिक और व्यवहारिक जटिलताएं थी। तब के नशे में भी परिस्थितियों के अनुसार आज जैसी उत्तेजना नहीं रही होगी। आज के जीवन में जटिल वैषम्य है। परिस्थितियों की भयानकता है। विशेषकर भारत जैसे सदियों से पराधीन रहकर शोषित होते रहने वाले देश में मद्य निषेध या नशाबंदी की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है।

जहां सुमति नहीं है वहां दंभ, दर्द, क्रोध और अधर्म का साम्राज्य होता है। ऐसे व्यक्ति देश

और समाज के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। आज जो अनेक प्रकार की बीमारियां, दुर्घटनाएं, हृदय गति रुकना आदि घटनाएं अकाल मृत्यु का कारण बन रही हैं। उसके मूल में शराब तथा इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ही है। भारत जैसे विषम परिस्थितियों वाले देश में मद्य पान की प्रवृत्ति वास्तव में अनेक दृष्टि से हानिकारक है। यूरोपीय देशों में ठंडे वायुमंडल पर विजय पाने के लिए शराब का सेवन किया जाता है। भारतीय युवावर्ग अकसर अकड़ में आकर नकल के रूप में कच्ची आयु में ही शराब पीना प्रारंभ करके अपने आप को हीरो प्रमाणित करने के लिए, हिंसा और कुंठाओं को छिपाने के लिए नशे के आदी हो जाते हैं। यह परंपरा सी होती जा रही है कि कोई भी शादी विवाह उत्सव शराब के बिना अधूरा सा समझा जाता है। क्लबों में, पार्टियों में, नहीं पीने वाले लोग भी अपने आप को पियक्कड़ साबित करते हैं।

आजकल हमारे युवावर्ग में एक अहम सा आ गया है। वह सिर्फ अपनी तरफ देखता है। अपने घर और देश की तरफ नहीं देखता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजीवन शराबबंदी जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जनता को सचेत करने का प्रयास किया था। गांधी ने कहा था कि- शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है।

ii) नशे का बढ़ता प्रकोपः

भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच के आंकड़े एकत्र किए गए जिसमें 186 जिलों के 2 लाख से अधिक परिवारों पर एक सर्वे किया गया। इसमें पुरुषों के साथ ही बच्चों और महिलाओं को भी गंभीर खतरे में पाया गया। इस सर्वे के अनुसार तकरीबन 7.13 करोड़ भारतीय तरह-तरह के नशों के गंभीर लक्षणों से जूझ रहे हैं। नशे की लत इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है जो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सर्वे में सबसे ज्यादा 5.17 करोड़ लोग शराब के गंभीर लती पाए गए हैं। इसके अलावा 72 लाख लोग भांग, 60 लाख अफीम व चरस आदि और 11 लाख लोग नशीली गोलियों या इंजेक्शन से होने वाले नशे की लत में फंसे हुए हैं। सर्वे में 17,293 लोग ऐसे भी शामिल हैं जो नशे के लिए खतरनाक किस्म के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अनुमान के अनुसार नशे की गंभीर लत से जूझ रहे लोगों की वास्तविक संख्या सर्वे रिपोर्ट से भी ज्यादा हो सकती है।

इन आंकड़ों में सबसे चिंताजनक तस्वीर शराब की लत का होना है। यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ उनको आर्थिक हानि भी पहुंचा रहा है। दूसरे नंबर पर भांग के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। भांग की लत का बढ़ना एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध है। इसलिए यह शुरुआती नशे (गेटवे ड्रग) की तरह है। यानी लोग भांग से नशे की शुरुआत कर रहे हैं और फिर कोकिन व हेरोइन जैसे खतरनाक नशों के जाल में फंसे जा रहे हैं। भांग के नशे से व्यक्ति के दिमाग और व्यक्तित्व का गंभीर नुकसान पहुंचता है। सर्वे के मुताबिक चंडीगढ़, त्रिपुरा, और पंजाब में आधे से ज्यादा पुरुष आबादी शराब का सेवन करती है। अगर शराब का सेवन करने वाली जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 4.2 करोड़ लोग शराब पीते हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। जहां 1.4 करोड़ लोग हैं। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां 1.2 करोड़ लोग शराब पीते हैं। देश में लगभग 16 करोड़ शराब पीने वाले लोग हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से 75 वर्ष के बीच है और इनमें से 19 फीसद लोग शराब की गंभीर लत के आदी हो चुके हैं।

शराब और ड्रग्स के अलावा भी लगभग 4.6 लाख बच्चे और 18 लाख व्यस्क सर्दी-जुकाम में दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इनहेलर्स (इनहेलेंट्स) और नशीली दवाइयों की लत से जूझ रहे हैं। यूपी, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भांग, गांजा और चरस का प्रचलन काफी ज्यादा है। इन राज्यों में यह मादक पदार्थ प्रतिबंधित होने के बावजूद आसानी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में लोगों को उपलब्ध है। सिक्किम और पंजाब में भांग का उपयोग राष्ट्रीय औसत से भी 3 गुना ज्यादा है। नशे की लत से जूझ रहे जिन लोगों को तत्काल चिकित्सकीय मदद की जरूरत है इनमें से 28 लाख यूपी, 5.7 लाख पंजाब और 4.9 लाख ओडिशा में हैं। सर्वे के अनुसार भारत की पांच फीसद आबादी शराब पीने से होने वाले स्वास्थ्य के खतरों से जूझ रही है।

iii) नशे की लत में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं:

सर्वे में सरकार ने पहली बार महिलाओं द्वारा नशा करने का डाटा भी एकत्र किया है। जिसमें कुल आबादी के 27.3 फीसद पुरुष और 6.4 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। महिलाओं के मुकाबले शराब का सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या 1.6 फीसद अधिक है।

3. नशा और पुलिस:

बहुत से शहरी समुदाय आज गैरकानूनी नशीली दवाओं के जाल में फंस चुके हैं। डकैती और गिरोह हिंसा का डर लोगों को डराए रखता है। यहां तक कि नागरिक घर पर भी असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि नशे से संबंधित सेंधमारी और डकैती का भय हमेशा बना रहता है। खुलेआम सौदेबाजी समुदाय के डर को और बढ़ावा देता है। उनको यह डर सताता रहता है कि कहीं उनके बच्चे इस दलदल में ना फंस जाएं। पुलिस कभी-कभी भाव विभोर या विचलित प्रतीत होती है और कभी-कभी उनमें जरूरत से ज्यादा विश्वास दिखाई देता है।

कहते हैं कि अति आवश्यक समस्याएं और सीमित संसाधन अपने समाधान के लिए प्रबंध किए विचारों की मांग करते हैं। अत: पुलिस अधिकारी वर्ग जो नशीली दवाओं की समस्या से जूझ रहे हैं वे ही निम्नलिखित सवालों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि -

क. नशा प्रवर्तन के लिए उचित रूप से कौन से लक्ष्य स्थापित किए जा सकते हैं?

ख. पुलिस विभाग की कौन सी इकाई नशे से संबंधित समस्याओं को देखती है और किस हद तक देखती है?

ग. समस्याओं पर वैकल्पिक आक्षेप के रूप में पुलिस विभाग कौन सी मूल रणनीति अपनाता है?

क. नशा प्रवर्तन के लक्ष्य:

पुलिस कार्यवाही के लक्ष्य को परिभाषित करने से पहले एक नजर इसमें होने वाले खतरों पर ड़ालना जरुरी है।

- पुलिस विभाग के नजरिए से देखें तो नशे की समस्या समुदायों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रुप से बहुत बड़ा खतरा है। हिंसा जो सड़क स्तर पर नशे के व्यापार- विशेष रुप से कोकिन से संबंधित है अत्यधिक संपीड़क मानी जाती है। इस हिंसा में अधिकतर युवा गिरोह शामिल होते हैं। अक्सर यह हिंसा आम जनता में फैल जाती है और संगठित अपराध की आगामी पीढ़ी में पहुंच जाती है।

- ❖ नशाखोरी और सड़क अपराध का चोली दामन का साथ है। अपराधिक गतिविधियां अलग -अलग नशे की खपत के स्तर पर अलग -अलग जानी जाती हैं। इनमें वे लोग, जो डकैती और सेंधमारी के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं, नशे की आदत को बनाए रखने के लिए चोरी या दूसरे अपराध के दौरान कोकिन का इस्तेमाल करते हैं। अधिक सक्रिय और खतरनाक अपराध के छोटे समूहों में नशा करने वाले सबसे अधिक हैं। ''पटना में एक छात्रा से हुए गैंगरेप के आरोपियों ने नशे की गोलियां खाकर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया'' इस प्रकार नशाखोरों पर नियंत्रण करना एक प्रकार से डकैती और सेंधमारी और दूसरी छोटी-छोटी चोरियां जो कि काफी समय से पुलिस के लिए केंद्र बिंदु रहा है, को कम करने का रास्ता खोलना है।

- ❖ नशेड़ी व्यक्ति अपनी सेहत को, आर्थिक खुशहाली को और सामाजिक जिम्मेवारी को अनदेखा कर देता है। स्कूल में ठहरना, लंबे समय तक नौकरी करना, बच्चों की देखभाल करना उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है जो सारा धन और ध्यान शराब प्राप्त करने में लगाता है।

- ❖ नशीले पदार्थों की तस्करी शहरी जीवन की सभ्यता के लिए खतरा होती है जो नशेड़ी व्यक्ति के माता-पिता को भी निम्न स्तर पर ला देती है।

- ❖ यह खतरे शहर और उसके आस पड़ोस को तो प्रभावित करते ही हैं, उसका सबसे बुरा असर अधिक पिछड़े क्षेत्रों में भी होता है। वहां पर स्वयं की रक्षा के लिए समुदाय की क्षमता और बच्चों को माता-पिता के दिशा निर्देश न केवल कमजोर प्रतीत होते हैं बल्कि उन्हें सबसे अधिक जनता का सहारा और सहायता की आवश्यकता भी होती है।

- ❖ पुलिस अधिकारी यह जानता है कि पुलिस स्वयं बहुत थोड़ा कर सकती है। नशीली दवाओं के विक्रेताओं की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमे देना, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत और गवाहों की कमी के कारण बहुत ही मुश्किल हो जाता है।

- ❖ पुलिस अधिकारी अपने अनुभव से यह जान जाता है कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर और नशा करने वालों पर हमला करने का मतलब अधिकारों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का जोखिम उठाना है।

ऊपर लिखित खतरे नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके इस्तेमाल के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही के लक्ष्य को परिभाषित करते हैं। यह लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

i) गिरोह हिंसा जो नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है, को कम करना और शक्तिशाली संगठित अपराधिक समूहों को उभरने से बचाना।

ii) सड़क स्तर के अपराध जो नशेड़ियों द्वारा किए जाते हैं, को नियंत्रित करना।

iii) नशेड़ियों के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक खुशहाली को बहाल करना।

iv) सड़क स्तर पर नशे के व्यापार को खत्म करके शहरी समुदायों में जीवन की गुणवत्ता

को बहाल करना।

v) नशे के प्रयोग से बच्चों को बचाने में सहयोग करना।

vi) अपराधिक न्याय संस्थान की अखंडता को बचाना।

ख. पुलिस विभाग की कौन सी इकाई नशे से संबंधित समस्याओं को देखती है:-

आमतौर पर मादक पदार्थ ब्यूरो को नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके इस्तेमाल में पुलिस कार्यवाही का केंद्र माना जाता है। सीधे तौर पर उस संचालन इकाई का लक्ष्य समस्याओं के स्त्रोत पर होता है और यह नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध जटिल जांच करती है। यद्यपि मादक पदार्थ ब्यूरो (नारकोटिक ब्यूरो) को हमले का या तस्करों और मादक पदार्थ इस्तेमाल करने वालों पर कार्यवाही का केंद्र माना जाता है, लेकिन पुलिस विभाग के दूसरे संचालित तत्व भी मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और उनका सेवन करने वालों से निपटते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत से पुलिस विभाग संगठित अपराध और अपराधिक गिरोह पर हमला या कार्रवाई करने के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करते हैं। ये इकाइयां मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों से निपटती हैं क्योंकि

i) संगठित अपराध समूह या गिरोह जोकि उनका मुख्य निशाना होता है या उनका लक्ष्य होता है, वे मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होते हैं।

ii) उनकी पहुंच उन मुखबिरों तक होती है जो मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जांच पड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

iii) उनके पास विशेष उपकरण होते हैं जिनको मादक पदार्थों की जटिल जांच में प्रयोग किया जा सकता है। दो दिवसीय 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस- 2019 के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि:

''नारकोटिक्स (मादक पदार्थों) से जुड़े अपराधों से संबंधित एजेंसियों में अभी कोई समन्वय नहीं है। इसलिए सरकार नारकोटिक्स ब्यूरो के ढांचे में भी बदलाव करेगी। इसके एक्ट को भी कठोर बनाया जाएगा। अर्धसैनिक बल भी नारकोटिक्स से जुड़े अपराधों को रोकेंगे। केंद्र सरकार नारकोटिक्स से जुड़े अपराधियों के खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यों को प्रशिक्षित मानव संसाधन सुलभ कराएगी।''

किसी विशेष जगह पर नशे की तस्करी से संबंधित नागरिकों द्वारा बुलाने पर गश्ती दल ब्यूरो को भी काम में लगाया जाता है। अक्सर नागरिकों की शिकायतों पर और पुलिस मुखिया के अभियान पर विशेष नशा दस्ता तैयार किया जाता है। यह विशेषकर उन जगहों पर रखा जाएगा जहां पर नशे का खुला व्यापार चल रहा है।

ग. पुलिस विभाग की मूल रणनीति:-

i) वैकल्पिक रणनीति:-

पुलिस विभाग का काम - मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर भरोसा करना, तस्करी के नेटवर्क की जटिल जांच पड़ताल करना, खुले ड्रग व्यापार को दबाने के लिए ''खरीदो और छापामारो'' अभियान चलाना, डकैतों और चोरों को जो ड्रग का व्यापार करते हैं, गिरफ्तार करना और मादक पदार्थों की शिक्षा के प्रोग्राम स्कूल इत्यादि में करवाना है। पुलिस

अधिकारी की सहायता के लिए मादक पदार्थों की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ वैकल्पिक रणनीतियां निम्नलिखित है:

गिरोह रणनीति:- तत्कालिन ड्रग समस्या की अत्यधिक आवश्यक और दमनकारी अवधारणाओं में से 'गिरोह हिंसा' सबसे महत्वपूर्ण है जो सड़क व गली स्तर पर मादक पदार्थों के वितरण में शामिल रहता है। वास्तव में यह गिरोह जिस शहर में कार्यरत रहते हैं मानवीय हत्या की दर में बढ़ोतरी के जिम्मेवार माने जाते हैं इसलिए इस ड्रग गिरोहों को एक संगठित अपराध उद्यम के रूप में देखकर तमाम उन तकनीकों का प्रयोग करना है जो अधिक परंपरागत संगठित अपराधों को निपटने के लिए विकसित की गई हैं जैसे:-

i) आपराधिक अभियोग भुगतान और साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा मुखबिरों का विकास।

ii) इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और दीर्घकालीन रहस्य में जांच-पड़ताल पर भरोसा।

iii) विशेष विधान जो जबरन वसूली और षडयंत्र के लिए अपराधिक जिम्मेदारी तय करता है का प्रयोग करना।

अगर ये नीतियां लगातार निष्पादित की जाएं तो ये संगठित अपराध उद्यम की क्षमता को नष्ट कर सकती हैं। हालांकि यह प्रयास समय लेने वाला और खर्चीला है।

शहर के सड़क स्तर पर नशा प्रवर्तन:- 'नशा प्रवर्तन रणनीति' या ''शहर के सड़क स्तर पर नशा प्रवर्तन रणनीति'' का मुख्य उद्देश्य बाजारों को जल्दी-जल्दी जगह जगह पर लगाने के लिए मजबूर करके ताकि खरीदारों और विक्रेताओं को एक दूसरे को खोजने में कठिनाई हो, इसको घर के अंदर चला कर, खुला नशा बाजार को बाधित करना है। इसकी प्राथमिक नीति में ''खरीदो और छापामारो'' अभियान चलाना, अवलोकन बिक्री गिरफ्तारी और उन नशाखोरों को गिरफ्तार करना जो मार्केट में ड्रग्स का व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा करके i) उन समुदायों में जहां लोग नशा व्यापारियों की उपस्थिति द्वारा नाकाम हो चुके हैं वहां लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। और ii) जवान और प्रयोगात्मक उपयोगकर्ता को लगातार नशा करने से रोकने में हतोत्साहित करने के लिए उनको और सख्त बनाना है।

सड़क स्तर पर नशा व्यापारियों से निपटने के लिए रोजाना पुलिस को बाहर डयूटी पर भेजना मुश्किल से सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि इससे मार्केट विघटन के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यह भ्रष्टाचार के बहुत सारे रूपों के लिए आलोचनात्मक है। रिश्वतखोरी, झूठी गवाही और अधिकारों का हनन भूत में इस रणनीति के साथ रहे हैं। यह समुदायों में जीवन की गुणवत्ता को वापस लाने में और वहां के निवासियों के लिए उम्मीद की किरण लाने में सफल हो सकता है। यह उन नागरिकों, व्यापारियों और माता-पिताओं को जो नशाखोरी को स्वीकार नहीं करते आश्वस्त करती है कि वे ड्रग माफिया के खिलाफ संघर्ष में अकेले नहीं है। यह प्रयोगात्मक उपयोगकर्ता को विशेषकर उन किशोरों को जो अभी तक इसमें पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुए हैं हतोत्साहित कर सकती है कुछ ज्यादा काल्पनिक लगता है।

नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले खतरनाक अपराधियों पर नियंत्रण:- ये लोग सड़क स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे चोरी, डकैती, और हमले के बजाए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वालो की गिरफ्तारियां करने के

लिए अभिकल्पित हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि इन अपराधों पर मादक पदार्थों के प्रवर्तन की रणनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मादक पदार्थों के प्रयोग और अपराधों के बीच के संबंध इतने प्रबल होते हैं कि जब पुलिस मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को प्रभावित करती है, तब वे सड़क स्तर के अपराधों को भी प्रभावित करते हैं। प्रभाव प्रत्यक्ष की बजाय अप्रत्यक्ष होते हैं। ऐसी रणनीति उन नशीली दवा प्रयोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी जो बड़ी संख्या में डकैतियों और चोरी करने वाले हैं। इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य:

- नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के मुजरिमों को मादक पदार्थों के अपराध या सड़क स्तर के अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाना और उन्हें दंड देना।
- आपराधिक अभिलेख खोजों, सुई निशानों के लिए शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कारों के माध्यम से ऐसे अपराधियों की पहचान करना और
- इस रणनीति के लिए जो महत्त्वपूर्ण दावा किया जाता है, इसका मुख्य कारण, नागरिकों का नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के बारे में चिंता।

युवाओं की रक्षा और अनुरक्षण:- मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के उद्देश्य से युवा लोगों को नशीली दवाओं से निपटने के लिए एक अंतिम पुलिस रणनीति तैयार की जा सकती है। ड्रग ट्रेफिकिंग यानी नशीले पदार्थों की तस्करी पर आम तौर पर रोक लगाने के लिए, पुलिस विभाग 16 वर्ष के बच्चों की पीढ़ी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रयास में ''स्कूलों में और उसके आसपास'' नशीली दवाओं की तस्करी को दबाने के प्रवर्तन अभियान शामिल है। इस में पुलिस द्वारा प्रायोजित प्रयास होने चाहिए ताकि माता-पिता, स्कूलों और पुलिस वालों के बीच साझेदारी से नशीली दवाओं के उपयोग की बाहरी सीमा तय की जा सके और साथ ही साथ नशीली दवाइयों के प्रति समुदाय की निश्चित प्रतिक्रिया भी प्राप्त हो सके।

4. उपसंहार:-

आतंकवाद की तरह नशा भी वैश्विक समस्या बन चुका है। दुनिया भर में नशे के कारण हर साल 1,90,000 लोगों की मौत हो जाती है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। नशा जिंदगी के खूबसूरत एहसास और यादगार पलों को हमसे दूर ले जाता है। एक स्टडी में पता चला है कि देश के 70 फीसदी से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं। डब्ल्यूएचओ और लांसेट की रिपोर्ट हमें हर बार चेताती हैं, लेकिन हम हर बार इसकी अनदेखी कर देते हैं यह कहकर कि सरकार को नशीले पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए, यह मसला सिर्फ सरकारी स्तर तक नहीं है इसके लिए तो पूरा सिस्टम जिम्मेवार है, जिसमें सरकार से लेकर परिवार और स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब आते हैं।

''शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2030 तक वयस्कों का 50% शराब का सेवन करने लगेगा, जबकि लगभग एक चौथाई (23%) कम से कम महीने में एक बार बहुत ज्यादा मात्रा में (एक बार में 60 ग्राम या उससे अधिक मात्रा में) शराब पिएंगे।''

आज पुलिस के सामने नशीले पदार्थों के व्यापार, उपयोग और हिंसा से सम्बन्धित चुनौतियां

हैं इसलिए पुलिस अधिकारियों को अपने संगठनों तथा विधिक प्रणाली की अखंडता को सुरक्षित रखते हुए, हिंसा कम करने, नशीली दवाओं के उपयोग के प्रसार को रोकने और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध को नियंत्रित करने के लिए सीमित संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करने के तरीके खोजने हैं। नशीली दवाओं के प्रयोग के खिलाफ पुलिस को सामुदायिक विरोध के उपाय खोजने होंगे क्योंकि ड्रग डीलरों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के लिए अनेक नागरिकों की इच्छा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दवाओं का विरोध किया जा रहा है। इससे कारगर साझेदारियाँ निर्मित करने वाली रणनीति के माध्यम से सोचने की आवश्यकता बढ़ जाती है। नशीली दवा के अपराधों के लिए गुणवत्ता अवरोधन सभी पुलिस रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस पड़ोस की आत्मरक्षा क्षमताओं को स्थानीय मांगों के साथ सहयोग करके उन्हें दबाने या अनदेखा करने की अपेक्षा और मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रति वर्ष लोगों को नशे से छुटकारा दिलवाने के लिए 30 जनवरी को नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस, 31 मई को अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस, 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस और 2 से 8 अक्टूबर तक भारत में मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है जो एक सराहनीय कदम है। जहां इच्छाशक्ति हो वहां रास्ता निकलना तय है। समाज को नशा मुक्त करने के लिए भी इच्छाशक्ति की जरूरत है। लेकिन वह इच्छाशक्ति केवल सरकार या पुलिस प्रशासन की नहीं होनी चाहिए वह इच्छाशक्ति समाज और जनता की भी होनी चाहिए।

सन्दर्भः-

1 नशे से जन और धन दोनों की हानि होती है - prabhasakshi.com › currentaffairs › injury&affects. brows dated 04.04.2020

2 जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले ...www.facebook.com › posts brows dated 10.04.2020

3 केंद्र सरकार के सर्वे में चौंकाने वाला ... www.jagran.com › news › national&g--- brows dated 11.04.2020

4 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब ...www.youtube.com › watch brows dated 11.04.2020

5 केंद्र सरकार के सर्वे में चौंकाने वाला ...theworldnews.net › in&news › kendr&… brows dated 12.04.2020

6 Magnitude of Substance Use in India & Ministry of Social Justicesocialjustice.nic.in › writereaddata › UploadFile › Magn--- brows dated 21.04.2020

7 केंद्र सरकार के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा ...www.yugvartanews.com › view_new… brows dated 13.04.2020

8 नशीली दवा खाकर किया था पटना में ... & Zee Newszeenews.india.com › … › राष्ट्र brows dated 15.04.2020

9 India Police Science Congress 2019: अमित शाह ने कहा ...www.jagran.com › --- › राज्य brows dated 16.04.2020

10 लोग बिना नशे में मस्ती क्यों नहीं कर सकते ...hi.quora.com › लोग-बिना-नशे-... brows dated 20.04.2020

11 तेजी से बढ़ती शराब की खपत, बर्बादी की वजह बनता ...www.prabhatkhabar.com › vishesh&a… brows dated 20.04.2020

महिला कैदियों के बच्चे : उनकी समस्याएं और उपाय

डॉ. दीपक कुमार
अधीक्षक, मंडल कारा, शिवहर

ग्लोबल प्रिजन ट्रेंड्स, 2020 की रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में अपनी माँ के साथ जेल में रहने वाले बच्चों की संख्या करीब 19 हजार है। वहीं प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया 2019 के मुताबिक 31 दिसम्बर 2019 को भारत की जेलों में कुल 1543 महिला बंदियों के साथ 1779 बच्चे जेलों में थे। भारत में महिला कैदी कुल कैदियों का मात्र 4 प्रतिशत है। पिछले एक दशक में भारत में कुल महिला कैदियों में से करीब 9 प्रतिशत अपने बच्चों के साथ जेल में रहती आई हैं। वह भी ऐसी हर 4 माताओं में से 3 का मामला विचाराधीन था।

महिला कैदियों के बच्चे तब तक जेल में रह सकते हैं जब तक उनकी उम्र 6 साल नहीं हो जाती या उनके लिए बाहर कोई प्रबंध नहीं हो जाता। इन बच्चों को मोटे तौर पर दो वर्गों में बाँटा जा सकता है – पहला वैसे जो जेलों में संसीमित हैं और दूसरा वैसे जो अपनी माँ के जेल में आने के कारण पीछे परिवार में छूट गए हैं।

मुम्बई में कार्यरत गैर सरकारी संगठन ''प्रयास'' ने ऐसे बच्चों को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया है –

- कस्टडी के दौरान जेल में पैदा हुए बच्चे।
- माँ के साथ जेल में आये कम उम्र के बच्चे।
- जब दोनों अभिभावक जेल में हो और बच्चे घर में पीछे छूट जायें।
- माँ के जेल में होने के कारण अल्पवयस्क को पिनल कस्टडी में लिया जाए।
- माँ के कारावास के दौरान अल्पवयस्क से वयस्क होते बच्चे।

महिला कैदियों के बच्चों की समस्या पर जस्टीस कृष्णा अय्यर कमिटी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय जेलों में कुछ जेलों को छोड़कर अन्य सभी में महिला कैदियों के बच्चों को रखने की स्थितियाँ संतोषजनक नहीं हैं। जेलों में उनकी शिक्षा की उपेक्षा की जाती है और उनकी भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है।

अधिकांश जेलों में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था अलग से नहीं होती। जेलों में बंद माताएं अक्सर अपने बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ करने के लिए जूझती रहती हैं। माँ को मिले भोजन में ही बच्चे भी खाते हैं जबकि बच्चों की पोषक आवश्यकताएँ वयस्कों से अलग होती हैं। ऐसे बच्चों के जीवन की त्रासदी यह होती है कि वे बिना अपराध किए ही अपना बचपन जेलों में अपराधियों के साथ बिताने को मजबूर होते हैं।

इन बच्चों को उपलब्ध होने वाली चिकित्सकीय सुविधाऐं भी काफी असंतोषप्रद होती हैं। जेलों में बच्चों की स्कूली शिक्षा, मानसिक विकास एवं मनोरंजन के साधन सीमित होते हैं। बहुत बार जानकारी के अभाव में जेल आने वाली महिलाऐं अपने छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़ कर आती हैं। परिणामत: माँ और बच्चे दोनों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बच्चों से दूर रहने के कारण माँ उनकी चिन्ता में अवसादग्रस्त और उदास रहती है वहीं दूसरी ओर माँ से अलग हुए बच्चों का पालन-पोषण भी प्रभावित होता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी बुरा असर होता है। ऐसे बच्चों को समाज में ताना और व्यंग्य सुनना पड़ता है जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपराधिक मानसिकता का विकास होता है। दूसरी ओर, जेल में रह रहे बच्चे भी विभिन्न प्रकार के अपराधियों के साथ जीवन जीने को मजबूर होते हैं और उनके बालमन पर भी अपराध जगत की गहरी छाप पड़ती है।

भौतिक सुविधाओं की कमी के साथ ही जेल में बंद महिलाओं को परिवारजनों विशेषकर अपने बच्चों की चिन्ता सताती रहती है। एक अन्य दूसरी बड़ी चिन्ता होती है की जेल से छूटने के बाद समाज उन्हें दुबारा अपना पाएगा या नहीं? निश्चित रूप से जेल वैसे स्थान नहीं है जहाँ किसी बच्चे की अच्छी परवरिश हो। जेल का वातावरण किसी महिला कैदी के लिए सुखद नहीं होता है और यह स्थिति बदतर हो जाती है जब उसके साथ उसके बच्चे भी रह रहे हों। एक महिला जो माँ है, जब जेल में बंद होती है वैसी स्थिति में माँ और बच्चे दोनों के अधिकारों का हनन होता है। महिला बंदी के बच्चे उसके साथ रहें या उससे अलग दोनों स्थितियों में उनपर जोखिम बढ़ता है। जेल गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए उचित और सुरक्षित स्थान नहीं है। परन्तु, शिशुओं और किशोरों को उनकी माँ से अलग नहीं किया जा सकता है।

माँ के जेल में रहने से बच्चों के अधिकारों पर फर्क पड़ता है जिस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। माँ से अलग हुए बच्चों को परिवार और समाज में तिरस्कार व उपेक्षा मिलती है। उन्हे घरेलू कामों में लगा दिया जाता है तथा बहुधा वयस्क की भूमिका निभानी पड़ती है। उनकी शिक्षा और पालन-पोषण का विशेष ध्यान नही रखा जाता है।

न्यायिक प्रक्रिया में बच्चों के प्रति अनजाने में अपराध होता है। माँ के गिरफ्तार होने पर बच्चे ये नहीं समझ पाते की उनके साथ यह क्या हो रहा है? न्यायाधीश भी अपना निर्णय सुनाते समय केवल अपराधी का दोष देखते हैं, उस अपराधी की अन्य जिम्मेदारियाँ क्या हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जेल में बंद माँ से मुलाकात करने आये बच्चों के बाल मस्तिष्क पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वे शारीरिक और मानसिक हिंसा के शिकार होते हैं। ऐसे बच्चे प्राय: बड़े होकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। महिला बंदियों के बच्चों में उदासी, गुस्सा, चिन्ता, भय, लज्जा अपराधबोध और हीन भावना का विकसित होना स्वाभाविक है। परिणामत: वे अन्य संबंधों में भी सहज नहीं रह

पाते और इसका असर उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर पड़ता है।

माँ के जेल में बंद होने से ऐसे बच्चे कच्ची उम्र में ही मादक पदार्थों जैसे शराब, तम्बाकू, गांजा, भांग, चरस आदि का सेवन करने लगते हैं। माँ की अनुपस्थिति की भरपाई परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं कर पाता है और जब यह क्षति बच्चों को होती है तो जेल में बंद माँ की चिन्ता व तकलीफें और बढ़ जाती हैं।

माँ के दूर होने से बच्चों में अपनी माँ के प्रति आक्रोश पनपता है, उन्हें अपनी माँ बुरी लगने लगती है और यह बच्चों को अपनी माँ से और अधिक दूर ले जाता है। जेल से रिहा होने के बाद भी पहले जैसी पारिवारिक जिन्दगी जी पाना सहज नहीं होता। बच्चे और माँ दोनों खुद को असहज पाते हैं। जेल में बंद रहने के समय महिलाओं को मादक पदार्थ के सेवन की लत की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं को विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याऐं भी होती हैं जिनमें जेल जाने के बाद इजाफा ही होता है।

वर्तमान समय में महिला कैदियों के बच्चों की समस्याओं को देखते हुए इसके उपायों और निदान की ओर सोचना काफी आवश्यक हो जाता है। बच्चों की समस्याओं के निदान हेतु उनकी शारीरिक और मानसिक देखभाल करना आवश्यक होता है। कारा के अन्दर मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर उनकी समस्याओं में कमी लायी जा सकती है। महिला कैदियों के बच्चों की समस्याओं को देखते हुए न्याय प्रणाली में भारी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है।

सर्वप्रथम कारा में संसीमित गर्भवती महिला बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जाँच करायी जानी आवश्यक है और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास जाँच हेतु समय-समय पर अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य जाँच कराया जाना आवश्यक है। उनकी पोषक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि की आवश्यक मात्रा खुराक में दिया जाना आवश्यक है। संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है और नवजात बच्चे और उसकी माँ की संपूर्ण जाँच के बाद ही कारा वापसी हो यह सुनिश्चित होना जरुरी है। सभी आवश्यक टीकाकरण कराए जाने चाहिए। श्रेष्ठ स्थिति यह होगी कि गर्भवती महिला बंदियों को मातृत्व अवकाश की तर्ज पर जेल से भी छः महीने की जमानत/पैरोल दी जा सके ताकि इस कठिन समय में उन्हें अपने परिजनों का सहयोग और भावनात्मक लगाव मिल सके। गर्भवती महिला बंदियों की देखभाल के लिए कारा में महिला स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति भी आवश्यक है।

बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए जेलों के अन्दर ही खिलौने, टेलीविजन, छोटी साईकिल आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। आदर्श स्थिति यह होगी कि कारा के महिला खंड में बालवाड़ी की सुविधा हो और बाल वाटिका का निर्माण कराया जा सके। बाल वाटिका के अन्दर विभिन्न प्रकार के सजावटी व पुष्पीय पौधे लगाये जा सकते हैं और उनमें झूला, स्लाईडर, हिन्डोरा आदि की व्यवस्था की जा सकती है। बच्चों में सीखने की प्रवृति विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता भी ली जा सकती है।

उपकारा दलसिंहसराय में खिलौनों से खेलते बच्चे

पार्क में खेलते केंद्रीय कारा पूर्णिया के बच्चे

पार्क में झूला झूलते केंद्रीय कारा पूर्णिया के बच्चे साथ में हैं कारा कक्षपाल

बच्चों एवं उनकी माताओं को विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न करना जरूरी है। इन क्रियाकलापों में गीत-संगीत, खेलकूद, कसरत, ध्यान एवं योगा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इन क्रियाकलापों में व्यस्त रहने से न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा अपितु अन्य चिंताओं और मानसिक विकारों में भी कमी होगी।

उपकारा दलसिंहसराय में छठ व्रत करती महिला कैदी

प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया 2019 के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि काराओं में कुल स्वीकृत पदों के विरूद्ध महिला कारा कर्मियों की संख्या काफी कम है और मात्र 20.46 प्रतिशत कर्मी ही प्रशिक्षित हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों की देखभाल के लिए जेलों में प्रशिक्षित स्टाफ की कमी का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। परिणामत: बच्चों के शारीरिक व भावनात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। काराओं में प्रशिक्षित कर्मियों यथा टीचर, नर्स आदि की नियुक्ति भी आवश्यक है।

नशे की लत की शिकार हो चुकी महिला बंदियों को इस लत से निजात दिलाने के लिए नशामुक्ति केन्द्रों की सहायता ली जा सकती है। नशे की आदी महिलाओं या उनके बच्चों को नशामुक्ति केन्द्रों में भर्ती कराया जा सकता है अथवा वहाँ के विशेषज्ञों की सलाह ली जा सकती है।

उपकारा दलसिंहसराय में भजन गाती महिला कैदी

बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अत: आवश्यक रूप से कारा में अपनी माताओं के साथ संसीमित बच्चों को कारा से बाहर अवस्थित प्ले स्कूल अथवा नियमित स्कूलों में दाखिला दिलाकर उन्हें शिक्षा दिलाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के दिशानिर्देशों का पालन करने से भी बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं।

उपकारा दलसिंहसराय में पढ़ाई करते बच्चे

जेल में रह रहे बच्चों को समय-समय पर अपने परिजनों से मिलने हेतु घर जाने की छूट मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की विधिक बाधा नहीं आनी चाहिए। अपनी माँ और परिजनों से निर्बाध मिलते रहने से बच्चों को कारा के बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है।

जेलों में विभिन्न क्षेत्रों से परिपूर्ण पुस्तकालय का होना भी उतना ही आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों यथा धर्म, विज्ञान, समाजशास्त्र, महापुरुषों की जीवनी आदि के पठन-पाठन से मन को शांति तथा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है।

उपकारा दलसिंहसराय में योगाभ्यास में लीन महिला कैदी

नियमित अंतराल पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि कोई महिला या उसका बच्चा अवसादग्रस्त या अन्य मानसिक विकारों से ग्रसित पाया जाता है तो उसकी समुचित चिकित्सा त्वरित रूप से करायी जानी चाहिए। जेल से बाहर रह रहे अथवा जेल से रिहा हुए बच्चों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। अपनी माँ से अलग परिजनों के साथ रह रहे बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु सरकारी स्तर पर प्रयास होने चाहिए और इसके लिए प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं। सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाएँ सुनिश्चित होनी चाहिए और यह देखने के लिए किसी कल्याण पदाधिकारी/गैर सरकारी संगठन/ अभिकरण को इसका जिम्मा सौंपा जा सकता है। यदि कल्याण पदाधिकारी/गैर सरकारी संगठन/

अभिकरण को यह विश्वास हो जाए कि बच्चों की देखभाल उचित रूप से नहीं हो रही है तो उसे परिजनों के पास से हटाकर पालनागृहों में डाला जा सकता है। पालनागृहों में बच्चों की समुचित देखभाल हेतु व्यवस्था होनी चाहिए।

विधिक सहायता प्रदान करने हेतु काराओं के अन्दर ही त्वरित न्याय दिलाने हेतु न्याय सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है। न्यायपालिका द्वारा यह प्रयास किया जा सकता है कि वैसी महिलाएँ जो गर्भवती हैं अथवा जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें काफी गंभीर मामलों में ही जेल भेजा जाए और उनके जमानत पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। वर्तमान में चण्डीगढ़ सेक्टर - 21 मॉडल जेल में ऐसा न्याय सेवा केन्द्र क्रियाशील है जो अन्य काराओं के लिए भी अनुकरणीय है।

भारत के 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए केवल 31 जेलें हैं। हालांकि 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए कोई अलग जेल नहीं है और वे पुरुष जेलों के ही एक छोटे हिस्से में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। चूँकि, प्रत्येक कारा में महिला बंदियों एवं उनके बच्चों की संख्या कम होती है जिसके लिए सारी सुविधाएँ जुटाना मुश्किल हो सकता है और राज्य सरकारें इतना वित्तीय बोझ उठाने में असहज महसूस कर सकती हैं। अत: प्रत्येक राज्य में इन सुविधाओं से सुसज्जित कुछ काराओं में ही महिला बंदियों और उनके बच्चों को संसीमित करने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। हालांकि, इन उपायों से भी महिला कैदियों के बच्चों की सारी समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु उनमें कमी जरुर लायी जा सकती है।

मील का पत्थर साबित हो सकती है कम्युनिटी पुलिसिंग

श्री संजय कुमार पोरिया, हैड कांस्टेबल
हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन

जी हां, जनता और पुलिस के बीच मैत्री सम्बन्धों में मील का पत्थर साबित हो सकती है कम्युनिटी पुलिसिंग। सक्रिय पुलिसिंग के लिए बेहद जरूरी है कि जन-सहभागिता से असमाजिक तत्वों और अपराधियों पर नकेल कसी जाए। शराब/नशीली दवाओं का बढ़ता प्रयोग, अवैध खनन, गौ-तस्करी, मानव तस्करी बच्चों व महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों से निपटने व साम्प्रदायिक दंगों पर नियन्त्रण करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है।

पुलिस का बोझा कम हो,
पुलिस-जनता के बीच खत्म हो दरार,
जन-जन का हो उद्धार,
आओ मिलकर करें विचार,
सामुदायिक पुलिसिंग ही एक मात्र आधार।।

अपराधिक न्याय प्रणाली के तीनों स्तम्भ अर्थात पुलिस, कोर्ट और जेल, सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि समाज का ताना-बाना इन पर ही टिका हुआ है। न्यायपालिका में भी खामियां देखी जा सकती हैं। मुख्य खामी जो सभी जानते हैं कि तारीख पर तारीख। अपराधी कानूनी दांव पेंचों का फायदा उठाकर कानून के शिकंजे से बच निकलता है। जेल जिसे सुधारगृह के नाम से भी पुकारा/नवाजा जाता है, वह भी खामियों से अछूती नहीं रही है। लेकिन इस विभाग में समय-समय पर कुछ अहम सुधार भी देखने को मिले हैं। प्राचीनकाल की जेलों और आधुनिक जेलों में मानवाधिकारों के सामजस्य के मामले में काफी सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। मानवाधिकारों के साथ सामंजस्य बनाये देखे जा सकते हैं। फिर भी यदा कदा समाचार पत्रों में जेलों की खामियां के बारे में पढ़ने को मिल ही जाता है।

महात्मा गांधी उन महान विचारकों में से एक थे जो यह अनुभव करते थे कि अपराधी व्यक्ति या पापी व्यक्ति भी समाज का ही एक अंग है। अत: सभी अपराधियों को एक मानसिक रोगी समझकर उनका उपचार एवं ईलाज करना चाहिए। जेल कर्मचारियों को चिकित्सकों, मित्रों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में ही कैदियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जेल अधिकारी उनकी भलाई के लिए होते हैं, दमन के लिए नहीं।

अब बात करते हैं पुलिस तन्त्र की।

सदरलैण्ड के अुनसार-पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन एजेंटस की ओर संकेत करता है जिनका कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखना और विशेषकर नियमित अपराधी संहिता को लागू करना है। निष्कर्ष रूप में पुलिस राज्य द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था है जो राज्य की प्रतिनिधि ईकाई के रूप में कार्य करती है और जिसके द्वारा अपनी सीमाओं में आवश्यक एवं अनिवार्य बल का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

क्या पुलिस तन्त्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। जिसके उदेश्य से इसे बनाया गया था। लेकिन समाचार पत्रों में इसके बारे में भी आलोचनाएं छपती रहती हैं, जिससे न केवल कानून व्यवस्था भंग होती है बल्कि आम जनता में भी पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि बनती है। पुलिस को पुलिस आचार संहिता की अनुपालना भी करनी है। क्या पुलिस आचार संहिता का भी सामुदायिक पुलिसिंग के साथ कोई सम्बन्ध है। इसके लिए हमें पहले पुलिस आचार संहिता के बारे में जानना होगा।

पुलिस आचार संहिता-

जुलाई 1985 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार:-

1 पुलिस को भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा रखनी चाहिए और उसके द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और उनकी रक्षा करनी चाहिए।

2 पुलिस को किसी भी विधिवत निर्मित कानून के औचित्य अथवा आवश्यकता पर संशय नहीं करना चाहिए। उन्हें बिना भय अथवा पक्षपात, वैमनस्य अथवा प्रतिशोध भाव के कानून को दृढ़तापूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्वक लागू करना चाहिए।

3 पुलिस को अपने अधिकारों और कार्यों की सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा उनका आदर करना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका के कार्यो में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अथवा अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आभास नहीं देना चाहिए तथा प्रकरणों पर निर्णय देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उन्हें न तो किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी से प्रतिशोध लेना चाहिए और न ही अभियुक्त को दण्ड देना चाहिए।

4 कानून का पालन करवाने में अथवा व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को समझाने, सलाह तथा चेतावनी के तरीके काम में लाने चाहिए। इनके असफल हो जाने पर तथा शक्ति का प्रयोग आवश्यक होने पर, परिस्थतियों की मांग के अनुसार कम से कम मात्रा में ही बल का प्रयोग करना चाहिए।

5 पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना है। पुलिस को यह समझना चाहिए कि उसकी दक्षता की कसौटी इन दोनों का अभाव है न कि इनसे निपटने के लिए की गई पुलिस कार्यवाही का प्रत्यक्ष प्रमाण।

6 पुलिस को यह ज्ञात होना चाहिए कि वे जनता के सेवक हैं, अन्तर केवल इतना ही है कि उन्हें समाज के हित में उन कर्तव्यों पर पूर्णकालिक ध्यान देने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसका निर्वाह करना सामान्यत: प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है।

7 पुलिस को यह समझना चाहिए कि उसके कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन, उसके तत्पर सहयोग, अपने आचरण तथा कार्यो का सार्वजनिक अनुमोदन प्राप्त करने, सार्वजनिक आदर तथा विश्वास अर्जित करने एवं उसे बनाए रखने की, उसकी योग्यता पर ही निर्भर

होगा।

8 पुलिस को सभी लोगों के प्रति संवेदनशील तथा विचारवान होना चाहिए और उनके कल्याण का सदा ध्यान रखना चाहिए। लोगों की सम्पति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किए बिना सभी को वैयक्तिक सेवा प्रदान करने की, मित्रता करने और आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।

9 पुलिस को आत्महित से हटकर कर्तव्य हित को समझना चाहिए। चाहे कैसा भी संकट अथवा उत्तेजना हो, उसे शांत तथा प्रसन्नचित रहना चाहिए तथा दूसरों के जीवन की सुरक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए।

10 पुलिस को सदा सौजन्यशील तथा सुसंस्कृत होना चाहिए, विश्वसनीय तथा अनासक्त होना चाहिए। उसमें आत्मगौरव एवं साहस होना चाहिए और उसे अपने चरित्र तथा जनता के विश्वास को बनाए रखना चाहिए।

11 उच्चतम श्रेणी की निष्ठा पुलिस की प्रतिष्ठा का मूलभूत आधार है। इसको समझते हुए पुलिस को अपने व्यक्तिगत तथा शासकीय दोनों ही स्तरों पर आत्मसंयम बनाये रखना चाहिए। विचार एवं कार्य में सत्यनिष्ठ एवं ईमानदार रहना चाहिए ताकि जनता उन्हें अनुकरणीय नागरिक समझ सके।

12 पुलिस को ये समझना चाहिए कि वे केवल अनुशासन का उच्चतम स्तर, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अक्षुण्ण आज्ञाकारिता तथा पुलिस बल के प्रति हार्दिक निष्ठा बनाए रखकर और अपने आपको सतत् प्रशिक्षण और तैयारी की अवस्था में रखकर ही प्रशासन एवं देश के प्रति अपनी उपयोगिता बढ़ा सकती है।

13 धर्म निरपेक्ष राज्य का सदस्य होने के नाते पुलिस को वैयक्तिक पूर्वाग्रहों से उपर उठने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और धर्म, भाषाई और क्षेत्रीय या जातीय भिन्नताओं से हटकर भारत के सभी लोगों में मैत्रीभाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और समाज में नारी की प्रतिष्ठा के प्रति और पिछड़े वर्गो के प्रति अनादर की प्रथा को समाप्त करना चाहिए।

उपरोक्त पुलिस आचार संहिता के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ये सभी सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा को इंगित करते हैं। या यूं कहें कि सामुदायिक पुलिसिंग के गुण पुलिस आचार संहिता के इन बिन्दुओं से मेल खाते हैं तो इसमें कोई अतिश्योक्ति न होगी। इसलिए सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा को स्वीकारने में किसी प्रकार की अड़चन/बाधा नहीं है।

उपरोक्त स्मार्ट पुलिस के A- Alert में Sensitized Police for Empowered Society संवेदी पुलिस सशक्त समाज की अवधारणा को शामिल किया गया है जो सामुदायिक पुलिसिंग का ही एक सशक्त आयाम है, जिसे नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है। जो नेशनल पुलिस अकादमी के मुख्य द्वार पर भी लिखा गया है। Accountable में पुलिस की विधि, कर्तव्य और सोसायटी के प्रति जवाबदेही बताई गई है। सामुदायिक पुलिसिंग में भी पुलिस जनता के प्रति जवाबदेही है। अतः इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि यदि हम सामुदायिक पुलिसिंग की

अवधारणा को आत्मसात करते हैं तो ये समझिए कि हम स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को चरितार्थ करे रहें हैं।

जब भी कहीं अपराध घटित होता है तो सबसे पहले पीड़ित के सम्पर्क में पुलिस ही आती है। इसलिए अपराध के बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है।

अपराधिक न्याय प्रणाली:- प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समाज में रहना चाहता है जहां उसके अधिकारों का हनन न हो और उसका किसी प्रकार से शोषण न हो, असामाजिक तत्वों से किसी प्रकार का खौफ न हो। प्रत्येक व्यक्ति अपराधरहित समाज में रहना पसन्द करता है। परन्तु ऐसा होना सम्भव नही ंतो कठिन अवश्य है क्योंकि अपराध एक सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक घटना है जो प्राचीनकाल से ही समाज में विद्यमान रही है, और जब तक समाज का अस्तित्व है तब तक समाज में व्याप्त रहेगी। अत: अपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अपराधरहित समाज की रचना करना है। इस प्रणाली को समाज का दपर्ण भी कहा जाता है। एक अपराधशास्त्री के कथन अनुसार अपराध के लिए व्यक्ति उतरदायी न होकर समाज उतरदायी है। सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति को अपराधों की ओर धकेलती हैं। विभिन्न अपराध शास्त्रीयों द्वारा अपराध के कारकों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। बहुत से अपराधशास्त्री अपराध के लिए व्यक्ति तथा परिस्थितियों को, बहुत से अपराधशास्त्री भौतिक पर्यावरण एवं सामाजिक कारणों को तथा कुछ अन्य अपराधशास्त्री शारीरिक एवं मानसिक गुणों को अपराध के लिए उतरदायी ठहराते हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति अपराधी बनना नहीं चाहता। अपराधिक कृत्य करने के बाद वह अपराधियों के श्रेणी में जुड़ जाता है।

ग्रेबिल टाडे के अनुसार- बेरोजगारी अपराध की कटट्र शत्रु है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है।

यहां पर डॉ0 उज्जवल पाटनी द्वारा सांझी की गई एक जीवंत कहानी का जिक्र करना अनिवार्य हो जाता है।

स्विटजरलैंड में एक पन्द्रह साल का लड़का एक जनरल स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। स्टोर के मालिक ने वकील के माध्यम से कोर्ट से बड़ी सजा की मांग की ताकि वह लड़का भविष्य में चोरी से डरे। जज साहब ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा तुमने क्या सचमुच कुछ चुराया था? लड़के ने नीचे गर्दन करके जवाब दिया- ब्रैड और पनीर का पैकेट। तेज भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जज साहब -तुम कोई काम क्यों नहीं करते?

लड़का- करता था एक कार वाशिंग सेन्टर में। मां की देखभाल के लिए एक दिन घर रूकना पड़ गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया।

जज साहब - घर वालों से पैसे ले लेते।

लड़का- घर में सिर्फ विधवा मां है जो अक्सर बीमार रहती है। मां को पता लगता कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो वह टूट जाती।

जज साहब -तुम किसी से मदद मांग लेते।

लड़का- मैं सुबह जब घर से निकला तो तकरीबन 20 लोगों के पास गया। सबने मना कर दिया तो मजबूरी में चोरी करनी पड़ी, भूखा मरता क्या करता?

जज साहब के साथ जिरह खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया-ब्रैड की चोरी बहुत ही शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के लिए हम सब

जिम्मेवार हैं। आज हमारे देश के लिए एक तरह से शर्म का दिन है। इसने जितने भी लोगों से मदद मांगी, उनमें से हरेक व्यक्ति पर 50 डालर का जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को ब्रैड देने से मना करके मानवता को शर्मशार किया है। इस बच्चे के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकील पर 100 डालर का जुर्माना लगाया जाता है क्योंकि वह इस लड़के को खाना खिलाने के बजाय इसका मुकदमा लेकर कोर्ट पहुंचा और बच्चे के लिए बड़ी सजा की मांग की। स्टोर के मालिक पर एक हजार डालर का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसने एक भूखे बच्चे की कहानी जानकर भी अमानवीय व्यवहार कर पुलिस के हवाले किया। स्टोर के मालिक को इस बच्चे को नौकरी भी देनी पड़ेगी। यदि 24 घण्टे के अन्दर यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो कोर्ट स्टोर को सील करने का हुक्म देगी।

जज साहब यहीं नहीं रूके। उन्होंने आगे कहा–यहां कोर्ट परिसर में उपस्थित हर शख्स पर दस–दस डालर का जुर्माना लगाया जाता है क्योंकि हम सबने यह निर्मल समाज बनाया है। दस डालर दिये बगैर कोई भी यहां से नहीं निकल सकेगा। यह कहकर जज ने दस डालर अपनी जेब से बाहर निकालकर रख दिये। जुर्माने की तमाम राशि उस लड़के को देने का हुक्म भी सुनाया। फैसला सुनने के बाद कोर्ट परिसर में बैठे व्यक्तियों की आँखों से आँसू निकलने लगे। वह लड़का बार–बार जज को देख रहा था जो अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गया।

यह कहानी हम सबके लिए यहां एक प्रश्न चिन्ह् छोड़ती है कि हमारी अदालतें, सिस्टम तथा समाज इस तरह के निर्णय देने और स्वीकारने के लिए तैयार है? इस कहानी में परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराया है न कि व्यक्ति को।

अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्राचीन काल से ही अपराधों का अस्तित्व रहा है। जब तक समाज का अस्तित्व है तब तक यह प्रक्रिया यूं हीं चलती रहेगी। अपराध को समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन इसके ग्राफ को पुलिस व जनता के सहयोग से कम जरूर किया जा सकता है। जो पुलिस का उदेश्य भी है। अकादमी मधुबन में एक व्याख्यान में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि अपराध प्राचीन काल से होते आए हैं और होते रहेंगे। लेकिन उसमे पुलिस की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए यानि पुलिसीया कार्यवाही कानून सम्मत होनी चाहिए। इस बात से सभी परिचित हैं कि पुलिस के सम्पर्क में बहुत ही कम लोग आते हैं जो समाज और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं। वे लोग पुलिस के नकारात्मक रवैये का बखान करते हैं तथा पूरे पुलिस विभाग की छवि का आंकलन करते हैं। पुलिस यदि अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करे तो बाकी जनता में पुलिस की सकारात्मक छवि उभरने लगेगी। पुलिस के रूखे / कुटिल/ अमानवीय व्यवहार के कुछ उदाहरण जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आते हैं तो राज्य सरकारों को डी0के0बसु जैसे दिशा–निर्देशों की पालना का आदेश देना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों में कुछ संशोधन करने पड़ते हैं। वर्तमान में सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व पर जोर दिया गया। सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा से जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

यदि बात सामुदायिक पुलिसिंग की है तो इसके जनक सर राबर्ट पील को भुलाया नहीं जा सकता। जिनका कहना था कि पुलिस ही जनता है और जनता ही पुलिस है। सामुदायिक पुलिसिंग की उत्पत्ति एवं विकास 19वीं सदी में इंग्लैण्ड

में हुआ। सर राबर्ट पील ने सन 1829 ई0 में ब्रिटेन में महानगर पुलिस एक्ट 1829 को पारित करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस एक्ट के पारित होने के बाद ब्रिटेन में पूर्ण कालिक वैतनिक (Full Time Paid) पुलिस की स्थापना की गई। सर राबर्ट पील का मानना था कि पुलिस सेवा में निम्न गुणवत्ता ही अव्यवस्था एवं अपराध के लिए जिम्मेदार है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य अपराधों की रोकथाम करना था।

परम्परागत पुलिस, जनता से दूरी बनाकर रखती थी जिसका उदेश्य जनता में खौफ बनाए रखना था। इस प्रणाली का रूझान केवल विशिष्ठ वर्गों के प्रति था। जिसका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं था जो केवल पुलिस शासन के प्रति उत्तदायी थी। यह प्रणाली समझती थी कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से पुलिस तन्त्र पर टिकी है। जिनकी जीवन शैली भी नागरिकों से भिन्न थी। सामुदायिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और परम्परागत पुलिसिंग का अप्रासंगिक होना भी इस दमनकारी प्रणाली को नकारने का एक मुख्य कारण रहा है।

सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा से एक ऐसी पुलिस की कल्पना की गई जिससे अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास कायम हो। ऐसी पुलिस जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। कानून-व्यवस्था बनाने में समुदाय का सहयोग मिले जिससे उनके बीच की खाई को कम किया जा सके। जनता व पुलिस में परस्पर आपसी विश्वास बने। ऐसी सकारात्मक सोच से ही सामुदायिक पुलिस की अवधारणा को बल मिला। क्योंकि आजादी के बाद भारत एक लोकतन्त्र देश बना जिसमें लोकतान्त्रिक पुलिस समाज सेवा में मिली।

किसी भी अवधारणा को स्वीकार करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह कानून सम्मत है या नहीं। इस अवधारणा के कानूनी पहलु- जैसा कि आप सभी को विदित है कि पुलिस विभाग का कार्य भी अन्य विभागों की भांति जन सेवा करना है। जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग को चरितार्थ करती है। पंजाब पुलिस नियमावली 1934 का फिकरा न0 23.1 में स्पष्ट किया गया है कि थाने में तैनात प्रभारी तथा सहायक उप निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों पर अकुंश लगाने हेतु गश्त करेंगे। समय समय पर अपने क्षेत्र में स्थानीय लोगों से परिचय करके आपसी मेल-जोल बढ़ाकर उपयोगी सूचनाएं एकत्रित करेंगे। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 12.4 के अनुसार जिले का पुलिस अधीक्षक पुलिस की कार्यप्रणाली में सहायता तथा परामर्श करने के लिए समाज सेवा में कमजोर वर्गों तथा अभिरूचि वाली महिलाओं के प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के दमदार व्यक्तियों को शामिल करते हुए समाज सम्पर्क ग्रुप गठित करेगा। पंजाब पुलिस नियमावली 1934 का फिकरा न0 23.3 में ठीकरी पहरा का भी वर्णन किया गया है। जिसमें सभी गांव के युवा रात्रि को अपने गांव की असामाजिक तत्वों से सुरक्षा करते हैं जो कम्युनिटी पुलिसिंग का श्रेष्ठ उदाहरण भी है। हरियाणा राज्य की बात करें तो सरकार ने वहां महिला पुलिस स्वयंसेविकाओं की भर्ती की तथा उन्हें थोड़ा बहुत प्रशिक्षण देकर कुछ जिलों में सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा के तहत सीएलजी ग्रुप (कम्युनिटी लायजनिंग ग्रुप) ने पुलिस व पीड़ित के बीच सेतु का काम किया। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं भी पुलिस के साथ ले रही है जिन्हें स्पैशल पुलिस आफिसर की संज्ञा दी गई है। पुलिस के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले आते हैं जो छोटे-छोटे पारिवारिक या आपसी लेनदेन से सम्बन्धित होते हैं। इन मामलों के समाधान में सीएलजी ग्रुपों ने हरियाणा के जिला रोहतक में सन 2016-2017 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री शशांक आनंद, भा0पु0से0 के नेतृत्व में ऐसे

मामलों के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2008-2009 में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री रंजीव सिह दलान, भा0पु0से0 के मागदर्शन में हरियाणा पुलिस अकादमी के तत्कालीन निदेशक श्री वी0एन0राय, भा0पु0से0 द्वारा संवेदी पुलिस सशक्त समाज नामक मुहिम चलाई गई, जो सामुदायिक पुलिसिंग का एक सशक्त उदाहरण है, प्रयोग के लिए अकादमी के निकट स्थित मधुबन थाने को चुना गया। इस अवधारणा ने आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास दृढ़ बनाया। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये। वहां स्थानीय निवासियों के दिलों-दिमाग में आज भी इस अवधारणा की छाप है। थाने की परिधि में आने वाले 27 गांवों को बीट क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक गांव में जनता की भलाई के लिए तथा कानून व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक निगरानी मंच बनाये गये। जिसमें गांव के युवा व दमदार व्यक्तियों ने कार्य किया। यह प्रयोग सफल रहा। सामुदायिक निगरानी के सदस्य अपने गांव के बीट इन्चार्ज से सम्पर्क बनाये रखते थे जिससे गांव की हर जानकारी पुलिस को बिना मुखबिर खास के आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। यदि किसी गांव में बिजली का ट्रांसफोरमर खराब है लोग परेशान है, बिन पानी के फसल बर्बाद हो रही है तो गांव के लोग आक्रोशित होकर हाई-वे पर जाम लगाने का प्लान बनाते है, यही खबर तुरन्त सामुदायिक मंच के माध्यम से बीट इन्चार्ज के पास पहुंचती है। बीट इन्चार्ज बिजली विभाग के अधिकारियों से तुरन्त बात करके गांव वालों की ट्रांसफारमर की समस्या का हल करवा देता है, जिससे कानून-व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। इस सामुदायिक निगरानी समितियों ने पुलिस के साथ मिलकर विधि-व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका अदा की है। यही नहीं बल्कि रेत खनन, बिजली चोरी, गौ तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, कच्ची शराब के अड्डों की गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान भी होता था। असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगता था और लोगों के एरिया में अमन चैन बना रहता था। पुलिस और जनता के बीच की खाई को पाटने के लिए युवाओं के साथ मिलकर पुलिस की टीम के साथ खेल स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाता था ताकि गांवों का युवा वर्ग खेल की और आकर्षित रहे और नशे के मकड़जाल में न फंसे। गांव की चौपाल में कानून की बेसिक जानकारी वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई गई ताकि युवाओं को कानून की जानकारी हो। यातायात सुरक्षा सम्बन्धी साईकिल रैली व स्वच्छता सम्बन्धी अभियान का भी आयोजन किया जाता था। इससे निष्कर्ष निकला कि सामुदायिक पुलिसिंग न केवल पुलिस के लिए उपयोगी है बल्कि जनता के लिए भी उपयोगी है। परन्तु अब यह थाना भी आम थाने की भांति काम कर रहा है, यदि यहां कुछ नया आया है तो वह है मित्र कक्ष। जो जनता से सीधे संवाद का एक मंच है। यहां के स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस अवधारणा को पुनः शुरू किया जाए लेकिन यहां वहीं ढाक के तीन पात वाली बात चरितार्थ होती है।

आपसी झगड़ों के मामलों के समाधान में समाज के सम्मानित व सेवा भाव रखने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पुलिस व जनता के बीच बेहतर तालमेल से कानून व्यवस्था के साथ लोगों का जीवन भी बेहतर बनेगा। चण्डीगढ में युवाशक्ति प्रयास व सहयोग एक मिशन श्री संजय बेनीवाल, भा0पु0से0 के नेतृत्व में चलाया गया तथा तमिलनाडू में मोहल्ला कमेटी के नाम से इन योजनाओं ने काम किया है जिनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल पुलिस ने इन योजनाओं के माध्यम से पुलिसिंग के क्षेत्रो

में बेहतर काम किया है। आज हिमाचल पुलिस में बीट प्रणाली के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को विभिन्न बीटों में बांटा गया है तथा प्रत्येक बीट में एक पुलिसमैन, एक होमगार्ड, स्थानीय चौकीदार, स्थानीय युवक व युवतियों को सदस्य बनाया गया जो आवश्यकतानुसार बैठक बुलाकर अपने-अपने क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों पर विचार साझा करते हैं। मैत्री योजना के अंतर्गत थाना प्रभारी व पर्यवेक्षक अधिकारी आम जनता के साथ कभी थाने में तो कभी इलाके में जाकर उनकी शिकायतों को सुनते हैं तथा उनमें जागरूकता अभियान चलाते हैं। हरियाणा के जिले रोहतक व करनाल में जनता तथा पुलिस के सीधे संवाद हेतु मित्र कक्ष योजना चलाई गई ताकि पुलिस की छवि को और बेहतर बनाया जा सके। मित्र कक्ष में काम करने वाले पुलिस मुलाजिमों के अकादमी मधुबन में कोर्स भी कराये गये। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं इसलिए हरियाणा राज्य के अन्य जिलों में भी मित्र कक्ष खोले जाने का कार्य जारी है।

संक्षेप मे कहा जा सकता है कि जनता-पुलिस मैत्री सम्बन्धों में सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस अवधारणा को जिन राज्यों ने अपनाया वहां सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। वहां की पुलिस भी निडरता से कार्य करती है क्योंकि पुलिस को भी दिक्कत वहीं आती है जहां समुदाय के लोग पुलिस की सहायता नहीं करते। जिस गांव की बीट का इन्चार्ज जो पुलिस मुलाजिम होता है वह गांव के छुटफुट अपराधों का निपटारा समुदाय की सहभागिता से गांव में ही कर देता है जिससे सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग तो बचता है, साथ ही समुदाय के लोगों को भी बार-बार थाने के चक्कर काटने नहीं पड़ते उनका भी समय व पैसा बचता है। पुलिस के कार्यो में पारदर्शिता आती है। 70 प्रतिशत छुटपुट शिकायतों का निपटारा सामुदायिक निगरानी मंचों द्वारा ही कर दिया जाता है। बाकी जो गंभीर अपराध हैं उनपर थाने का स्टाफ कार्यवाही करता है। सामुदायिक मंचो के विकास से अब समुदाय के लोगों को भी विश्वास हो गया है कि हमें कोई झूठे केसों में नहीं फंसा सकता, जिनका जिक्र अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ा जाता था। अपनी-अपनी बीट में काम करने वाले पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण होने पर समुदाय के लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उनके तबादले को रूकवाया है क्योंकि समुदाय के लोग जान चुके हैं कि सामुदायिक पुलिंसिंग की अवधारणा में पुलिस का कम जनता का अधिक फायदा है। साथ ही भ्रष्ट मुलाजिमों को भी समुदाय के लोगों ने चिन्हित किया है जो समाज व पुलिस विभाग दोनों के लिए लाभकारी रहा है। अपनी बीट में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने वाले पुलिस मुलाजिमों को समुदाय के लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से वन रैंक प्रोमोशन तथा अन्य प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित करवाया। जनता द्वारा पुलिस के मुलाजिमों को तीज-त्योहार, सगाई, शादी आदि शुभ अवसरों पर भी सम्मान के साथ आमन्त्रित किया जाता रहा है। जिसमें कोई औपचारिकता नहीं रहती। इस प्रकार पुलिस को भी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और समुदाय को साथ लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। सेवा, सुरक्षा, सहयोग के उद्देश्य को समाज के सहयोग से बेहतर चरितार्थ किया जा सकता है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना होगा क्योंकि सशक्त समाज ही राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए पुलिस को यदि अपने कार्य में बेहतर आउटपुट चाहिए तो इस प्रणाली को अपनाना ही होगा। क्योंकि भविष्य में जनता-पुलिस मैत्री सम्बन्धों में सामुदायिक पुलिसिंग ही मील का पत्थर साबित हो सकती है।

डायन हत्या: महिलाओं के विरुद्ध अपराध

डॉ. रवि

इंडियन जनरल ऑफ साइकेट्री के 2011 के अंक में एक लेख छपा था

"Myths, Beliefs and Perceptions about Mental Disorders and Health Seeking Behaviour in Delhi".

इस लेख में मानसिक रोगों के कई कारण बताए गए थे जिनमें से एक कारण यह भी था कि यह रोग व्यक्ति के पुराने पापों के कारण दैवीय दंड होता है। इसे पढ़कर आश्चर्य होता है कि समय बदलने के बाद भी हम इसे मानसिक रोग का कारण मान रहे हैं। इतना विकास करने के बाद भी हम अभी उसी पायदान पर खड़े हैं।

भ्रान्ति या अंधविश्वास का एक कारण अशिक्षा को माना जाता है किंतु यह परिणाम चौंकाने वाला है। इस कारण को मानने वाले लगभग 39% ग्रामीण लोग, 20% शहरी लोग तथा लगभग 5% प्रोफेशनल थे।

इसी कारण मेरा मानना है कि भारतीय सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों प्रो एन के सक्सेना और प्रो राम जी लाल श्रीवास्तव के पंच वाक्यों 'गाँव की ओर चलो' और 'शंकर की जटा से गंगा निकलेगी' को एक साथ मिला कर पढ़ें अर्थात गाँव की ओर चलो गंगा निकलेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपने विचारों को रख रहा हूँ।

हम सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों को जमीनी स्तर पर उतर कर इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर करना होगा, इस आशा के साथ कि गंगा अवश्य निकलेगी।

इन भ्रांतियों का प्रभाव हमारे अपराध पर भी पड़ता है विशेषकर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर।

भारत में एक ओर स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है तो दूसरी ओर दुरात्मा समझ कर उसकी हत्या भी की जाती है। हालांकि इसे अंधविश्वास माना जाता है पर अगर इसके बारे में जाने तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। आज के समय में डायन या चुड़ैल के विषय में बात करना अपने आप में एक अजीब बात है किन्तु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के आंकड़ों को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता। एन सी आर बी के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत के कई प्रदेशों में आज भी महिलाओं को डायन मान कर उन की हत्या कर दी जाती है।

पिछले पांच वर्षों (2014-18) के आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2014 में 156, 2015 में 135, 2016 में 134, 2017 में 73, और 2018 में 63 हत्याएं हुईं। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा:

क्रम. संख्या	राज्य	2014	2015	2016	2017	2018
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	8	2	9
2.	अरुणाचल प्रदेश					
3.	असम			1	3	
4.	बिहार	6	2		1	
5.	छत्तीसगढ़	16	10	17	6	8
6.	गोवा					
7.	गुजरात	10	13	14	6	4
8.	हरियाणा			2		3
9.	हिमाचल प्रदेश					
10.	जम्मू और काश्मीर					
11.	झारखंड	47	32	27	19	18
12.	कर्नाटक		3		3	
13.	केरल					
14.	मध्य प्रदेश	24	20	19	13	10
15.	महाराष्ट्र	5	5	2	5	
16.	मणिपुर					
17.	मेघालय	1		2		
18.	मिजोरम					
19.	नागालैंड					
20.	ओडिशा	32	26	24	9	5
21.	पंजाब					
22.	राजस्थान	1	1	1	2	1
23.	सिक्किम					
24.	तमिलनाडु					1
25.	तेलंगाना	8	14	11	3	2
26.	त्रिपुरा		1			
27.	उत्तर प्रदेश	3	3	3	1	1
28.	उत्तराखंड					
29.	पश्चिम बंगाल	1		3		

केंद्र शासित प्रदेश						
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		2			
31.	चंडीगढ़					
32.	दादर एवं नागर हवेली					
33.	दमन एवं दीव					
34.	नई दिल्ली					1
35.	लक्षद्वीप					
36.	पुदुचेरी					
	कुल योग	**156**	**135**	**134**	**73**	**63**

अपने विचार रखने के पूर्व मैं दो घटनाएँ आप के सामने रखता हूँ। सन 2020 में एक उन्मादी भीड़ ने 84 वर्षीय महिला को उसका चेहरा काला करके और उसको जूते, चप्पलों की माला पहना कर हिमाचल प्रदेश के एक गाँव में पैदल घुमाया।

2019 में उड़ीसा के एक गाँव में एक महिला और उसके चार छोटे बच्चों को मार दिया गया जब वह सभी सो रहे थे।

इन सभी का अपराध क्या था? गाँव वाले यह मानते थे कि ये महिलाऐं डायन या चुड़ैल थीं और इन्ही के कारण गाँव वालों को कोई न कोई नुकसान हो रहा था। समय और वर्ष देख कर आप को समझ आ गया होगा कि यह घटना मध्य युगीन भारत की नहीं बल्कि आज के डिजिटल भारत की है। यह स्थिति भारत में भी उसी प्रकार है जिस प्रकार विदेशों में। डिजिटल भारत में भी इस स्थिति को देख कर आश्चर्य होता है। यह महिलाओं के प्रति अपराध का ही एक रूप है।

लैंगिक हिंसा पर किए गए शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि इसे दूर करने के लिए बच्चों तथा पुरुषों का सहयोग लिया जाए तो इस प्रकार की हिंसा में बहुत बदलाव आ जाता है। इससे पुरुष तथा स्त्री के संबंधों में धनात्मक बदलाव आता है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इसी के विपरीत लैंगिक हिंसा तथा लड़कों की चाहत पर किए गए अध्ययन में यह परिणाम मिला कि 5 में से 2 पुरुष अपनी मर्दानगी साबित कर रहे थे। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि उन पुरुषों में पारिवारिक हिंसा के दौरान अपने सहयोगी पर नियंत्रण की अभिवृति थी। यही पुरुष सामान्य पुरुषों की अपेक्षा तीन गुनी स्थिति में अपने सहयोगी पर हिंसा करते हैं (Public Health Foundation of India] Health Policy Project] MEASURE Evaluation] and International Center for Research on Women-2014)।

उपरोक्त परिणाम के आधार पर हम लैंगिक हिंसा को महिलाओं के विरुद्ध अपराध के रूप में भी देख सकते हैं। भारत में महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। इन अपराधों का विश्लेषण करने पर यह देखा जाता है कि यह अपराध हत्या, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, एसिड अटैक, सेक्स क्राइम के रूप में मिलते हैं।

हत्या की श्रेणी में एक अपराध है महिला को डायन समझकर उसकी हत्या कर देना अर्थात विच हंटिंग।

'डायन' एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के ही मन में एक डर पैदा हो जाता है। भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में डायन की परिकल्पना एक ऐसी भद्दी स्त्री के रूप में करते थे जिसके हाथ में एक झाड़ू होता था, जो उड़ सकती थी और गायब हो सकती थी। किन्तु आज के समय में डायन की कल्पना एक ऐसी स्त्री के रूप में करते हैं जिसमें अलौकिक शक्ति होती है जिससे वह बुरे काम कर सकती है। इसी प्रकार पहले यह माना जाता था कि डायन जन्मजात होती थी किन्तु आज हम यह मानते हैं कि कुछ महिलाऐं इस प्रकार के कामों में सिद्धि प्राप्त करती हैं, इसी लिए इसे विच हंटिंग का नाम दिया गया।

असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास को यदि हम देखें तो पहले मानसिक रोग को हम दैवीय प्रभाव मानते थे और उसका उपचार 'ओझा' 'सोखा' आदि से करवाते थे। वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद इसमें सुधार आया।

कुछ लोग इसे अन्धविश्वास मानते हैं। अन्धविश्वास और शिक्षा को एक दूसरे का विरोधी माना गया है किन्तु भारत में अनेकों शिक्षित लोग भी किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वासों को मानते हैं। इसकी मात्रा अधिक या कम हो सकती है जैसे मिर्च और नीबू को अपने घर या दुकानों पर लगाने से ले कर डायन की हत्या तक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है फिर भी हमारी यह स्थिति है। यह स्थिति केवल पिछड़े क्षेत्रों में ही नहीं अपितु शहरी क्षेत्रों और महानगरों में भी देखने को मिलती है। मनोविज्ञान में इसे बाएपोलर डिसऑर्डर माना जाता है जिसमें प्रभावित इंसान में दो लोगो की छवि नजर आती है। एक ओर उसमें उन्माद के लक्षण मिलते हैं तो दूसरी ओर अवसाद के।

जादू टोने या (witchery) की प्रथा में जादुई कौशल, मंत्र, और क्षमताओं का समावेश होता है। जादू टोना एक व्यापक शब्द है जो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भिन्न होता है, और इस प्रकार सटीकता के साथ परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है।

ऐतिहासिक रूप से, और वर्तमान में दुनिया भर में अधिकांश पारंपरिक संस्कृतियों में – विशेष रूप से एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीकी प्रवासी और स्वदेशी समुदायों में – यह शब्द आमतौर पर उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो आत्माओं, देवताओं या पूर्वजों के साथ संवाद करने के लिए अलौकिक साधनों का उपयोग करते हैं।

जादू टोना में विश्वास अक्सर ऐसे समाजों और समूहों के भीतर मौजूद होता है जिनके सांस्कृतिक ढांचे में एक जादुई दुनिया का दृश्य शामिल होता है।

एक सामान्य धारणा यह है कि यह अपराध अविकसित या कम विकसित प्रदेशों में पाया जाता है किन्तु उपरोक्त आंकडे चौंकाने वाले हैं। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी यह अपराध देखने को मिलते हैं। दिल्ली और सूरत जैसे महानगरों में भी इस अपराध की छिटपुट घटनाएँ मिल जाती हैं। महानगरों में पाई जाने वाली घटनाओं का विश्लेषण कुछ विद्वान इस रूप में करते हैं कि इसका महानगरों से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उनके मूल निवास की सोच का असर है। लेकिन मेरा यह मानना है कि महानगरों में रहने के बाद भी उनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात यदि उन्हें सजा न दी जाए तो वह दूसरों को भी प्रभावित करेंगे।

एन सी आर बी के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, और पांडिचेरी में इस प्रकार की घटना इन पांच वर्षों में नहीं हुई। यह एक आश्चर्य की बात है कि इनमें से एक भी प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र ऐसे नहीं हैं जो भारत के सकल घरेलु उत्पाद (जी डी पी) की दृष्टि से विकसित माने जाएँ। जी डी पी की दृष्टि से जो विकसित प्रदेश हैं अर्थात क्रमांक में ऊपर से दस प्रदेश, उन सभी में इस प्रकार के अपराध होते हैं। अब तो यह तय हो गया कि शिक्षा तथा विकास का इस अपराध से कुछ भी लेना देना नहीं है।

अब मैं इस अपराध की गंभीरता पर बात करूँ। 2003 में बी बी सी ने इस विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित की थी जिसमें स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह कहा गया कि इस अपराध की वास्तविक संख्या प्रकाशित संख्या से बहुत अधिक होती है। यह तथ्य सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के 2018 के एक शोध में भी मिलता है। एक स्थान पर तो यह भी पढ़ने को मिला कि जितनी हत्याएं नक्सलियों द्वारा नहीं की जाती उससे अधिक हत्या विच हंटिंग में होती हैं।

अब तक जितनी भी चर्चा हुई उससे पता चलता है कि इस प्रकार के अपराध का शिक्षा, विकास, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक बड़ी जटिल समस्या है। गुजरात की एक स्वयं सेवी संस्था का यह मानना है कि यह महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों का एक ढंग है। भारत सरकार ने 1915 में महिलाओं की स्थिति पर एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें इसे लिंग भेद का रूप बताया साथ ही महिलाओं को जेंडर नोर्म्स सिखाने का एक ढंग बताया।

इसकी जटिलता तथा कारण के विषय में दिल्ली की एक संस्था Partners for Law in Development (PLD) ने बताया कि इस प्रकार की हत्या या अपराध में अन्धविश्वास एक बहुत ही छोटे प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रकार के अपराध में कोई न कोई अन्य बड़े प्रेरक भी होते हैं। एक शोधकर्ता ने इसे गरीब व्यक्ति द्वारा अपनी हताशा को बाहर निकालने का एक ढंग बताया है क्योंकि महिलाओं पर अपना गुस्सा निकालना आसान होता है। बहुत से लोग इसे भूमाफिया से जोड़ कर देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के एक वकील का तो यह कहना है कि निम्न जाति के गरीब, बेसहारा, विधवा स्त्रियों की जमीन हड़पने के लिए उच्च जाति के दबंग लोगों द्वारा उन्हें पहले इस प्रकार से बदनाम किया जाता है।

कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में काम किया गया है और उनका मानना है कि पहले यह समस्या हिन्दू समाज में ही थी किन्तु अब मुसलमानों, ईसाईयों आदि में भी यह बुराई देखने को मिलती है। पुलिस का व्यवहार, न्यायालय में लगने वाला समय, धन आदि के कारण यह फल-फूल रही है।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए अथवा इसको हथियार मानकर महिलाओं की हत्या करने वाले अपराधियों को सजा देने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तक भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के आधार पर इस प्रकार के अपराधियों से निपटा जाता था। जैसे धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (शारीरिक क्षति), 376 (बलात्कार) तथा 354 (महिलाओं के सम्मान को क्षति पहुँचाना) को आधार बनाया जाता था। 2016 में Prevention of Witch Hunting Bill भारत

सरकार द्वारा बनाया गया।

भारत के विभिन्न राज्यों में विच हंटिंग अर्थात चुड़ैल या डायन का शिकार करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए कुछ स्थानीय कानून बनाए गए हैं।

बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य होने के बाद भी इस संबंध में एक कानून बनाने वाला सबसे पहला राज्य है। सन 1999 में Prevention of Witch (Dayan) Prevention Act बनाया गया।

झारखंड ने 2001 में Anti Witchcraft Act पारित किया जिसके आधार पर महिलाओं को इस प्रकार के अमानवीय व्यवहारों से बचाया जा सके। इसकी धारा 3, 4, 5 और 6 में उन व्यक्तियों को सजा देने की व्यवस्था है जो किसी महिला को डायन घोषित करते हैं, उनका उपचार करने के नाम पर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पर इसकी धारा 7 में जांच की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य ने 2005 में 'छत्तीसगढ़ टोनही प्रेत आत्मा बिल' पास किया है जिसके आधार पर टोनही के नाम पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके।

राजस्थान सरकार ने भी 2006 में Rajasthan Women (Prevention and Protection from Atrocities) Act पास किया है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था है जो किसी महिला को डायन कहेगा या उस पर इस प्रकार का आरोप लगाएगा। इसमें 3 वर्ष की कैद तथा 5000 का जुर्माना है।

असम ने 2018 में Assam Witch Hunting (Prohibition] Prevention and Protection) Act बनाया है।

ऊपर के सभी कानून केवल उन व्यक्तियों को दंडित ही नहीं करते जो महिलाओं को सीधे तौर पर कष्ट पहुंचाते हैं बल्कि उन लोगों को भी रोकते हैं जो दूसरों को इस प्रकार का अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई महिला डायन घोषित किए जाने के कारण आत्महत्या करती है तो इस अपराध को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा।

इन सभी कानूनों के बनने तथा बिल के पास होने का प्रभाव यह हुआ है कि इस प्रकार के अपराधों में धीरे-धीरे कमी आने लगी है।

जिस प्रकार से देश की स्वतंत्रता के समय सती प्रथा जोरों पर थी और प्रशासन तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से अब यह पूर्णत: समाप्त हो गई, उसी प्रकार इस बुराई को दूर करने के लिए प्रशासन तथा अन्य स्वयंसेवी संगठन के साथ-साथ सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों को भी लगना होगा।

सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका:

इस प्रकार के अपराधों को कम करने या समाप्त करने में सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका इस प्रकार हो सकती है:

1. जनता को इस प्रकार के अपराधों के प्रति जागरूक करना क्योंकि जनता इस बात को मानती जरुर है कि हममें कोई कमी है। इसका असर यह होता है कि जनता शिकायत करने या गवाही देने नहीं जाती।
2. पुलिस कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करना।
3. पीड़ितों को इस आघात से उबरने में मदद करना।
4. पीड़ितों को इस बात के लिए तैयार करना जिससे कि वह न्याय प्रक्रिया में सहयोग कर सकें।

डिजिटल साक्ष्य एवं अपराधिक न्याय प्रणाली

श्री राजीव शर्मा

डिजिटल साक्ष्य

नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार डिजीटल साक्ष्य किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस में संग्रहित, प्राप्त, प्रेषित ऐसी सूचनाएँ या आँकड़े हैं जिनका अनुसंधान में महत्व है। डिजिटल साक्ष्यों का संग्रहण एवं विश्लेषण अपराधों को सुलझाने एवं अदालती मामले तैयार करने में बहुत सहायक है। पिछले दो दशकों में सूचना प्रोद्योगिकी परिदृष्य में तेजी से प्रमुख बदलाव लाया है। चूंकि तकनीक अधिक पोर्टेबल और शक्तिशाली हो गई है, अधिक से अधिक मात्रा में जानकारी बनाई, संग्रहित और एक्सेस की जाती है। आधुनिक उपकरण व्यक्तिगत जानकारी के विशाल भंडार के रूप में हैं, जिन्हें जेब में रखा जा सकता है तथा एक हाथ से इस्तेमाल किया जा सकता है या वाइस कमाण्ड से भी उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल साक्ष्यों के द्वारा सजा दिलाने के स्पष्ट फायदे हैं, परन्तु इसके लिए कानून प्रवर्तन और अन्य अपराधी न्याय साझेदारों को डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण और न्यायालय में प्रस्तुतीकरण तथा उसकी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता के मध्य सामंजस्य बनाना होगा।

जबकि डिजिटल साक्ष्यों का निष्कर्षण कानून प्रवर्तन अभिकरणों के लिए अपेक्षाकृत एक नया उपकरण है, डिजिटल साक्ष्य पीड़ित और संदिग्ध दोनों से मिल सकता है, जिन मामलों में डिजिटल सबूत के उपलब्ध होने की संभावना कम होने से उन मामलों में आगे बढ़ना और उसे हल करना कठिन हो जाता है। डिजिटल साक्ष्य की धारणा अन्य साक्ष्यों के अनुरूप है, यह एक प्रकार की समय और स्थान के भीतर अपराधिक घटनाओं तथा आकस्मिक चीजों को स्थापित करने का महत्वपूर्ण सूचनाओं का लाभ उठाने का उद्देश्य है यद्यपि डिजिटल साक्ष्य व्यापक है व्यक्तिगत रूप से अधिक संवेदनशील है। मोबाइल फोन के प्रकरणों में यह साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य भौतिक साक्ष्यों की तुलना में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मेनफ्रेम कम्प्यूटर और टेलीफोनिक सिस्टमों में इस तरह के सबूत सीमित रूपों में दशकों से मौजूद हैं। डिजिटल साक्ष्यों के प्रसंस्करण का महत्व व्यक्तिगत इलेक्ट्रानिक उपकरणों के तेजी से प्रसार के कारण बढ़ा है, 21वीं सदी को आंशिक रूप से पोर्टेबल संगीत उपकरण, सेलफोन एवं कम्प्यूटिंग उपकरणों के एडवांस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेलफोन संचार उपकरण न होकर एक माइक्रो कम्प्यूटर है जो एक टेलीफोन, कैलेण्डर, डायरी और ई-मेल सिस्टम के रूप में सेवा देने लगा है। व्यापकता का तत्व जो आधुनिक तकनीक की विशेषता है, डिजिटल साक्ष्य को परंपरागत भौतिक रिकार्ड एवं साक्ष्यों से निम्न 03 केन्द्रीकृत विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं :-

1. डिजिटल साक्ष्य का व्यापक दायरा होता है।
2. यह, दोनों शारीरिक और व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील जानकारी के साथ डील करता है।
3. यह परस्पर अपराधिक न्याय के मुद्दे जो कानून प्रवर्तन की विशिष्ट भूमिका से परे है ऐसे मामलों में भी साक्ष्य संग्रहण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डिजिटल साक्ष्य के प्रकार

विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरणों और उनसे साक्ष्य निष्कर्षण की प्रक्रिया एक संभावित क्षमता प्रदान करती है, हम संक्षेप मे डिजिटल साक्ष्य से सबसे आम परिणामों पर यदि ध्यान दें तो यह संपूर्ण नहीं है, परन्तु साक्ष्य के प्रमुख क्षेत्रों को स्पर्श करती है जो दो तस्वीर प्रदान करते हैं।(1) डिजिटल सबूत कई तरीकों से अपराधिक न्याय के मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। (2) कानून प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा ऐसे साक्ष्यों के संग्रहण, विश्लेषण और उपयोग हेतु जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इंटरनेट

कानून प्रवर्तन अनुसंधानो में इस्तेमाल किए गये साक्ष्य कुछ पहले संचार वेबसाइटों विशेष रूप से संदेशबोर्ड और चैटरूम से हुई। इस प्रकार की साइटें वर्तमान जाँच के लिए सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत हैं हालांकि अन्य इंटरनेट से जुड़ी हुई प्रोद्योगिकी कई संभावित साक्ष्यों के स्रोत हैं। उपरोक्त स्रोतों को उपयोग करने में कानून प्रवर्तन अभिकरणों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी साइटों के स्थान और पते नहीं होते न ही सार्वजनिक ज्ञान के दायरे में होते हैं, उपयोगकर्ता गुमनाम और संभावित रूप से इनकोडेड या इनक्रिप्टेट संचार पर भरोसा करते हैं। इंटरनेट की विश्वव्यापी प्रकृति ने इसे जटिल बना दिया है फिर भी ऐसी साइटें प्रतिभागियों के बीच के संबंध का संकेत करती हैं। कुछ इंटरनेट प्रोद्योगिकियों में विशेष रूप से व्यक्तियों की पहचान और स्थान को छिपाने के लिए डिजाईन किया जाता है कि कौन उस तक पहुँच प्राप्त कर रहा है और कौन उसे साझा कर रहा है।

कम्प्यूटर

कम्प्यूटर एक व्यक्तिगत संभावित डिजिटल सबूत का खजाना है, इनमें से कई सबूत भौतिक निष्कर्षण प्रक्रिया तरीके से या तार्किक निष्कर्षण प्रक्रिया तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि कुछ सबूत ऑनलाइन मिली जानकारी के साथ ओवरलेप करते हैं। साक्ष्यों के कुछ उल्लेखनीय स्त्रोत इंटरनेट के बजाय भौतिक उपकरणों पर प्राप्त होते हैं। इंटरनेट ब्राउस करते समय प्रोग्राम अक्सर अस्थाई इंटरनेट फाइलें, कुकिज और एक ब्राउजिंग इतिहास बनाती हैं, इनमें से प्रत्येक वस्तुओं का उपयोग उपयोगकर्ता के वेब एक्टीविटी के अनुसंधान या जाँच निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में अस्थाई फाइलें और कुकिज आमतौर पर वेबसाइटों द्वारा खुद को उपयोगकर्ताओं को ट्रेक करने और जानकारी संधारित करने के लिए किया जाता है। ई-मेल और अन्य संदेश कम्प्यूटर पर भौतिक रूप से प्राप्त किये जा सकते हैं, हालाकि अधिकांश ई-मेल इंटरनेट सर्वर पर होते हैं जो स्वयं कानून प्रवर्तन का लक्ष्य होते हैं।

पोर्टेबल इलेक्ट्रानिक्स

वर्तमान में पोर्टेबल इलेक्ट्रानिक्स जैसे कि मोबाइल फोन प्राथमिक रूप से डिजिटल साक्ष्य

प्रसंस्करण हेतु परीक्षको एवं शोधकर्ताओं के लिए फोकस का विषय है। पिछले दशकों के भीतर इस तरह के उपकरणों के उपयोग एवं शक्ति में भारी वृद्धि हुई, जिससे बड़े पैमाने पर विपणन भी किया गया है। पोर्टेबल डिवाईस इलेक्ट्रानिक और भौतिक के किसी भी पूर्व संयोजन की तुलना में संभावित रूप से अधिक व्यक्तिगत जानकारी देने वाले साबित हुए, यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि डिजिटल साक्ष्य के क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रमुख स्त्रोत है, यह आधुनिक समाज में सर्वव्यापी उपकरण है। 21वीं सदी के दौरान क्षमताओं की क्रांति और वर्तमान की नई कानूनी चुनौतियों के बावजूद इसका एक कारण यह है कि यह पोर्टेबल डिवाइस महज एक कागज के टुकड़े के विपरित एक बहीखाता, डायरी, पर्सनल कम्प्यूटर इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन में फोटोग्राफी, जीपीएस, टेक्सट मैसेज, ई-मेल और अन्य दस्तावेजों की सुविधाएँ हैं। इसके साथ ही सेलफोन एक टेलीफोन भी है जिसमें कान्टेक्ट लिस्ट, कॉल लॉग, कॉल की अवधि भी अंकित रहती है।

वर्तमान में डिजिटल साक्ष्य की स्थिति

डिजिटल साक्ष्य संदिग्धों और पीड़ितों दोनो से मिल सकते हैं, जैसा कि अपराधों में सभी शामिल व्यक्तियों के पास उनके निजी उपकरण अनुसंधान के लिए प्रासंगिक हैं। आधुनिक समाज में यह संभावना है कि दोनों पक्षों के पास अपने स्वयं के सेलफोन होगें, जो यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध से पहले क्या कर रहा था, किसने किससे संपर्क किया था और यदि कोई पिछली बातचीत रही होगी जो अपराध की ओर इशारा करते हुए साक्ष्य जैसे की धमकी भरे संदेश, अपराध के दृष्य से दूर की गई कालजयी तस्वीरों जैसे उत्तेजक सबूतों के साथ हो सकता है। अनुसंधान और भी आसान हो जाता है जब प्रत्येक व्यक्ति के पास सेलफोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण होता है साथ ही अपराधिक एवं न्यायिक मुद्दों की जाँच के संभावित दायरे का भी विस्तार होता हैं। इलेक्ट्रानिक उपकरण दुनिया को कनेक्ट करते हैं चाहे वह इंटरनेट, सोशल मीडिया हो या क्लाउड स्टोरेज प्रत्येक मामले में डिजिटल सबूत की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रत्येक मामलों में डिजिटल सबूत मुख्य रूप से एक भौतिक उपकरण पर मौजूद नहीं हो सकता बल्कि यह एक सर्वर में भी हो सकते हैं जो सुदूर देशों में हो।

डिजिटल सबूत में संवेदनशील जानकारी शामिल होती है, जो शारीरिक और व्यक्तिगत हो सकती है। आधुनिक व्यक्तिगत उपकरण अत्यधिक छोटे एवं अत्यधिक हल्के होने के कारण उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है और अधिक नाजुक होने के कारण पानी में डूबाकर, शक्तिशाली चुम्बक के संपर्क में लाकर या तोड़कर डिजिटल सबूत आसानी से नष्ट किया जा सकता है। एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सेलफोन एवं अन्य डिजिटल डिवाइस महत्वपूर्ण गोपनीयता रखते हैं क्योकि उसमें सर्वाधिक मात्रा में उपयोगकर्ता के जीवनशैली तथा उनके सहयोगियों और गतिविधियो के विशिष्ट साक्ष्य अनुसंधान के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। डिजिटल साक्ष्य संकलन और प्रसंस्करण के लिए कानून प्रवर्तन अभिकरणों को नित नयी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि समय के साथ-साथ तकनीक तेजी से बदल रही है। पूर्व में इस्तेमाल किये जाने वाले तकनीक और उपकरण वर्तमान प्रोद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त एवं संगत नहीं है, नई तकनीकों के इस्तेमाल हेतु कानून प्रवर्तन अभिकरण को अद्यतन एवं नए उपकरणों के संबंध में भी अद्यतन रहने की आवश्यकता है।

डिजिटल साक्ष्य के संबंध में कानूनी प्रावधान

डिजिटल साक्ष्य की न्यायालय में स्वीकार्यता

प्रोद्योगिकी में निरंतर बदलाव के साथ कानून प्रवर्तन की (नीतियाँ) एवं डिजिटल साक्ष्य से संबंधित मुद्दों में समन्वय के साथ अद्यतन होना अनिवार्य है। कानून प्रवर्तन अभिकरण को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं, जहाँ पर डिजिटल साक्ष्यों के संकलन के पश्चात सुरक्षित रखने के प्रश्न पर ''चैन ऑफ कस्टडी'' को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है और न्यायालय में उसकी स्वीकार्यता को भी चैलेंज किया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्ष 2000 में संशोधन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की स्वीकार्यता के संबंध में धारा 65(बी) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार ''किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी जो कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुम्बकीय मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो, तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लेखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल के किसी विषयवस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल के पेश किये बिना ही किन्ही कार्यवाहियों में स्वीकार्य होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में चौथे संशोधन के कारण जन सामान्य को, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा डिजिटल साक्ष्य प्रसंस्करण के मामलों में अनुचित खोज एवं जप्ती कार्यवाही के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इलेक्ट्रानिक उपकरणों से डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने हेतु उपयुक्त अदालत से एक वारण्ट प्राप्त करना होता है, वारण्ट रहित डिजिटल साक्ष्य प्रसंस्करण की परिस्थितियाँ, पार्टी की सहमति या सबूत तत्काल नष्ट होने के खतरे की स्थिति में की जा सकती है।

अनुश्रुत साक्ष्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जिसने उस घटना को स्वयं नहीं देखा है अपितु किसी अन्य व्यक्ति से सुना है। यद्यपि वह उसका मूल्यांकन स्वयं नहीं करता है, अपितु किसी अन्य व्यक्ति की योग्यता और मूल्य पर आधारित होता है। डिजिटल साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है। इलेक्ट्रानिक उपकरणों से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों की न्यायालय में स्वीकार्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है :-

(1) वैधानिक प्राधिकार :- इलेक्ट्रानिक उपकरणों से डिजिटल साक्ष्य डाटा प्राप्त करने के पूर्व कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

(2) डिजिटल साक्ष्य की प्रासंगिकता :- डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए जिस घटना का अनुसंधान किया जा रहा है, साक्ष्य उससे सुसंगत होना चाहिए।

(3) डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता :- डिजिटल साक्ष्य को न्यायालय में प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि यह साक्ष्य जिस इलेक्ट्रानिक उपकरण से या जिस स्त्रोत से प्राप्त की गई है, वह न्यायालय में संदेह से परे होना आवश्यक है।

(4) डिजिटल साक्ष्य की अखण्डता :- डिजिटल साक्ष्यों को न्यायालय में तभी स्वीकार्य होगा, जब यह अपरिवर्तित एवं पूर्ण हो, प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य की अभिरक्षा की श्रृखला

(Chain of Custody) ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान अखण्डता की गारण्टी दे।

(5) डिजिटल साक्ष्य की विश्वसनीयता :- डिजिटल साक्ष्यों के न्यायालय में स्वीकार्यता के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो इस बात के बारे में संदेह करता है कि सबूत कैसे एकत्र किये गये थे और उसे कैसे सुरक्षित रखा गया।

प्रभावी डिजिटल साक्ष्य प्रसंस्करण के लिए कानून प्रवर्तन अभिकरणों के अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, पुलिस अकादमी को इसके लिए डिजिटल साक्ष्य पाठ्यक्रम का विस्तार करना होगा। डिजिटल साक्ष्य के संबंध में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की भूमिका मात्र उसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कानून प्रवर्तन अधिकारी एवं न्यायालय के लोक अभियोजक शासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, न्यायालय में विचारण के पूर्व एवं दौरान लोक अभियोजक तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता है साथ ही लोक अभियोजक को डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में कानूनी जानकारियों से अद्यतन होना अनिवार्य है, डिजिटल सबूत मामलों में और बचाव के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाता है। डिजिटल साक्ष्य के मामले में सबसे बड़ी निराशा एवं परेशानियों का सामना उस समय करना पड़ता है जब सर्वर अन्य देशों में स्थित होता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक देशों मे डिजिटल सबूत प्राप्त करने के प्रोटोकॉल अलग-अलग होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि संबंधित देशों के मध्य MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty) नहीं हो तो सबूत हासिल करना लगभग असंभव है।

डिजिटल क्षेत्र में नवाचार

डिजिटल साक्ष्य का क्षेत्र नया और तेजी से विस्तार कर रहा है, संभावित रूप से डिजिटल साक्ष्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण नया स्त्रोत प्रदान करता है, जो न्यायालय में अभियोजकों को अधिक दोषसिद्धि दिलाने में मदद करेगी। जीपीएस का उपयोग करना संदिग्ध को किसी अपराध के दृश्य पर या उसके आसपास, टेक्स्ट मैसेज का विश्लेषण, ई-मेल से किसी अभियोग को संपोषित करना, सोशल मिडिया साइट्स से तस्वीर कैप्चर करना और जानकरी जुटाना अपराधियों के सहयोगियों के संबंध में उसके सेलफोन से डेटा संग्रहित करना यह डिजिटल सबूतों एवं जाँच का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, जो अपराधों के अनुसंधान और अभियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई अभियोजकों को अभी तक डिजिटल सबूतों के उपयोग और सीमाओं की अच्छी समझ नहीं है, साथ ही कुछ न्यायालयों को भी इसकी समझ कम है, न्यायाधीशों को भी डिजिटल सबूतों के संबंध में अद्यतन होने की अत्यंत ही आवश्यकता है। घटना स्थल पर पहले पहुँचने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य हो सकने वाले उपकरणों को बेहतर हैण्डलिंग एवं सुरिक्षत रखने का पर्याप्त ज्ञान की अभी भी कमी है, जिसके लिए उन्हे बेहतर तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है, अक्सर उन्हे डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने एवं उपयोग करने के संबंध में बेहतर ज्ञान का अभाव है। अदालत में जब डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत

किये जाते हैं तो डिजिटल साक्ष्यों की हिरासत की श्रृंखला को न्यायालय में चुनौती दी जाती है और अंतत: न्यायालय में स्वीकार्य योग्य साक्ष्य की श्रेणी में नही आ पाता। कानून प्रवर्तन अधिकारियों, अनुसंधानकर्ताओं को अकादमी स्तर पर डिजिटल साक्ष्यों के हैण्डलिंग एवं संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षण दिये जाने पर वे बेहतर साक्ष्य संरक्षण एवं जाँच के लिए प्रासंगिक उपकरणों को जप्त करने की दिशा में बेहतर अनुसंधान करेंगे। कानून प्रवर्तन अभिकरणों के पास डिजिटल साक्ष्यों के प्रसंस्करण का पर्याप्त ज्ञान एवं संसाधनों का अभाव डिजिटल साक्ष्य प्रसंस्करण के लिए एक बड़ी चुनौती है, डिजिटल उपकरण और निष्कर्षण उपकरण तेजी से बदल रहे हैं, अत: ऐसी स्थिति में कानून प्रवर्तन अभिकरणों को लगातार नई तकनीकों के साथ अद्यतन रहना होगा। अपराधिक न्याय व्यवस्था में कानून प्रवर्तन और अदालतों में डिजिटल सबूतों को उपरोक्त नवाचार के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता से प्रस्तुत किया जा सकता है।

डिजिटल फोरेंसिक क्या है ?

डिजिटल फोरेंसिक को औपचारिक रूप से स्वीकृत के बजाय, शब्दों के सामान्य अर्थ के द्वारा समझा जा सकता है। ब्रिटिश संसद के लिए तैयार डिजिटल फोरेंसिक नोट के अनुसार इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है, किन्तु U.K. Forensic Science Regulator के अनुसार डिजिटल फोरेंसिक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डेटा स्टोरेज (जैसे डिवाइसेस, कम्प्यूटिंग से जुड़े सिस्टम) से जानकारी निकाली जाती है, जो आपराधिक कार्यवाहियों में अनुसंधान या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका डिफेन्स कम्प्यूटर फोरेंसिक लेबोट्रेरी के सुझाव के अनुसार डिजिटल फोरेंसिक कुछ इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कम्प्यूटर विज्ञान और अनुसंधानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग कानूनी उद्देश्य को शामिल करते हुए डिजिटल साक्ष्यों को विश्लेषण उचित प्राधिकार खोज, हिरासत की श्रृंखला तथा गणितीय माध्यम से सत्यापन मान्य उपकरणों का उपयोग, पुनरावृत्ति, रिपोर्टिंग और संभावित विशेषज्ञ की प्रस्तुति को शामिल करता है। यद्यपि यह आमतौर पर अपराधिक अनुसंधानों के अतंर्गत आने वाले सबूत होते हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्यायालय में साक्ष्य के रूप में बतौर प्रस्तुत किये जाते हैं। डिजिटल फोरेसिंक का उपयोग सिविल मामलों, आंतरिक जाँच और अन्य जाँच तथा फोरमों में जहाँ डाटा की आवश्यकता होती है, वहाँ भी डिजिटल फोरेंसिक प्रयोग में लाया जाता है। डिजिटल फोरेसिंक अनुसंधान को 04 चरणों में विभाजित किया गया है :-

(1) अधिग्रहण (जप्ती) :- जब कोई कम्प्यूटर या अन्य उपकरण जप्त किया जाता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है और उसे संभावित सबूत को संरक्षित करने के लक्ष्य के साथ सुरक्षित कर लिया जाता है। जप्त किये जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं जप्ती की कार्यवाही की फोटोग्राफी की जानी चाहिए, कम्प्यूटर, लैपटाप एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण के स्क्रीन में जप्ती के समय चालू प्रोग्राम जिसमें दर्शित हो, जब कभी कोई कम्प्यूटर या इलेक्ट्रानिक डिवाइस जप्त किया जाए तो जप्ती पत्र में मॉडल नंबर, सिरियल नंबर, मोबाइल जप्त होने की दशा उसका आईएमईआई नंबर, मोबाइल नंबर, सिम का नंबर का जरूर उल्लेख किया जाए। जब कभी भी अन्य भंडारण मीडिया यह भारी हार्डडिस्क यूएसबी स्टिक साथ ही सीडी और डीवीडी

के रूप में हो सकते हैं को जप्त करने के पश्चात इसे सुरक्षित रखना चाहिए, इसे मैग्नेट या रेडियों ट्राँसमीटर के पास नहीं रखना चाहिए, इससे डेटा को नुकसान पहुँच सकता है। जब कभी मोबाइल फोन या जीपीएस डिवाइस जो चालू हालत में है, जिसे जप्तकर परिवहन किया जाता है तो मोबाइल डिवाइस सेल्युलर नेटवर्क से जुड़कर नये डाटा एक्सेस करता है और पुराने सबूतों को ओवरराइट कर सकता है, इसी तरह मोबाइल जीपीएस यूनिट चालू होने पर रिकार्ड करना जारी रखता है, ऐसी स्थिति में डिजिटल साक्ष्य प्रभावित होता है। विदेशों में जब भी ऐसे उपकरण जप्त किये जाते हैं, उसे एक विशेष तरह का बैग जिसे ''फैराडे बैग'' या पिंजरा कहा जाता है, मोबाइल एवं जीपीएस डिवाइस को उसमें रखकर सुरक्षित किया जाता है, फैराडे बैग के अंदर रखने पर एक मृत क्षेत्र का निर्माण होता है, जहाँ सेलफोन और जीपीएस को सिग्नल नहीं मिल पाते। फैराडे बैग मोबाइल डिवाइस के डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(2) अर्जन :- डिजिटल डिवाइस से डेटा को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया को अर्जन कहते हैं, आमतौर पर सबूत एकत्र करने और सुरक्षित परिवहन के बाद यह प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। किसी इलेक्ट्रानिक डिवाईस से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया जाता है कि जीवित या मृत विश्लेषण करना है। कम्प्यूटर या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाइस जब तक चालू है तो उससे जीवित विश्लेषण किया जा सकता है, बंद होने की स्थिति में प्रयोगशाला ले जाकर डेटा को नियंत्रित वातावरण में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल डिवाइस से संभावित सबूत एकत्र करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता भी होती है। डिजिटल डिवाइस में स्टोर डाटा को एक बार कॉपी करने के पश्चात अन्य हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखकर विश्लेषण किया जा सकता है, इससे मूल डाटा सुरक्षित रहता है। डिजिटल डिवाइस के फाईल में संरक्षित डाटा को फाइलों की प्रतिलिपि बनाकर, बैकअप लेकर, डिस्क विभाजन को कॉपी कर, संपूर्ण डिस्क की प्रतिलिपि बनाकर अर्जित किया जा सकता है।

(3) विश्लेषण :- विश्लेषण का चरण आमतौर पर सबूत एकत्र किये जाने के बाद आता है, यदि डाटा का लाइव विश्लेषण नहीं किया जा सकता फिर स्थैतिक डेटा का अनुसंधान किया जाता है, जो सिस्टम से कॉपी करके प्राप्त की जाती है। कम्प्यूटर से डाटा की ईमेज प्राप्त करने के पश्चात अपराध से संबंधित साक्ष्य तथा भौतिक तरीके से प्राप्त सूचनाओं का समिश्रण कर और कई अन्य तकनीकों को इस्तेमाल कर संदिग्ध व्यक्ति के विरूद्ध डिजिटल साक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस तरह से अनुसंधानकर्ता प्रकरण से संबंधित घटनाओं को पुर्नस्थापित कर सकता है।

(4) दस्तावेजीकरण (रिपोर्टिंग) :- दस्तावेजीकरण किसी भी डिजिटल फोरेंसिक मामले में महत्वपूर्ण चरण है। किसी कार्यवाही में उपकरणों या मीडिया की जाँच में अपनाई गई प्रक्रियाओं के संबंध में और अन्य कार्यवाही जो साक्ष्य से संबंधित हो, हेतु एक दस्तावेज बनाना जरूरी होता है। याद रखना चाहिए कि अपराधिक प्रकरणों का निराकरण अंततः

न्यायालय से ही होता है, न्यायालय में किसी भी साक्ष्य को लेकर प्रश्न किया जा सकता है और दस्तावेज ऐसे होना चाहिए कि उनसे उन प्रश्नों का उत्तर मिल सके। अनुसंधान के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है कि उपकरण जिसमें डेटा स्टोर रहता है उसकी अखण्डता कायम रहे और इस कार्यवाही में डिजिटल साक्ष्य जो प्राप्त किये जाते हैं, उसकी अभिरक्षा की श्रृखला (Chain of Custody) के संबंध में तैयार किये गये दस्तावेज भी उस कार्यवाही में शामिल होते हैं। जैसे ही कोई कम्प्यूटर या डिजिटल डिवाइस या मिडिया जप्त किया जाता है उसी समय से अभिरक्षा की श्रृखला (Chain of Custody) शुरू हो जाती है और दस्तावेजों में यह दर्शित करना पड़ता है कि किसने शुरूआत में कब्जा प्राप्त किया। उसके पश्चात यह डिजिटल साक्ष्य किसकी अभिरक्षा में रहा और यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि मूल उपकरण भंडारण मीडिया या अन्य आईटम जिससे डिजिटल साक्ष्य एकत्र किये गये थे, उन उपकरणों को भी लेकर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रश्न किये जा सकते हैं। उन उपकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकती है तथा साक्ष्य के रूप में किसी सिस्टम से ली गई फोटोग्राफ्स को भी न्यायालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकती है तथा यह भी सुनिश्चित करते हुए रिकार्ड रखना होगा कि इन साक्ष्यों में किसकी पहुँच थी, इसे दूषित या छेड़ा तो नहीं गया है।

अनुसंधान के दौरान डिजिटल साक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, कि इन उपकरणों से क्या डिजिटल साक्ष्य प्राप्त किया गया और यह प्रकरण में कैसे लागू होता है, इसमें हार्डडिस्क, यूएसबी डिवाइस आदि संग्रहण माध्यमों में संग्रहित कोई फाईल भी शामिल हो सकती है, ई-मेल या अन्य डिजिटल मिडियम से प्राप्त सूचनाएँ भी शामिल हो सकती हैं। रिपोर्ट में डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने और उसके विश्लेषण के संबंध में भी तथा उपरोक्त डिजिटल साक्ष्य अपराधिक प्रकरण से कैसे संबंधित है यह भी लेख करना आवश्यक होगा, जो उपरोक्त रिपोर्ट अपने आप में अपराधी व्यक्ति के अपराधी या निर्दोष होने के संबंध में साक्ष्य होगा।

डिजिटल फोरेंसिक और पारंपरिक फोरेंसिक

कानूनी प्रणाली पूरी तरह से प्रक्रियाओं का एक समूह है जो पूरी तरह से सभी पक्षों द्वारा समझा और देखा जाता है, हालांकि जब हम इन प्रक्रियाओं को डिजिटल साक्ष्य पर लागू करते हैं तो हमे कानूनी मुद्दों से जूझना पड़ता है, डिजिटल फोरेंसिक सेवाओं के सबसे बड़े उपयोगकर्ता अभियोजन और न्यायपालिका हैं। डिजिटल फोरेंसिक का महत्व साइबर क्राईम के बढ़ने के साथ और बढ़ गया है तथा समय-समय पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि डिजिटल वातावरण में सबूत कैसे होंगे यह अपराध प्रबंधन और न्याय शास्त्र जो अपराध मूल्य के प्रमाण पर निर्भर करते हैं तथा यह निर्धारित करने के लिए की क्या वास्तव में कोई अपराध किया गया था और यदि ऐसा है तो संदेह से परे क्या ऐसे अपराधियों की पहचान बिल्कुल संभव है। सर विलियम ब्लैक स्टोन द्वारा प्रस्तावित न्यायशास्त्र के सिद्धांत जो 1765 में प्रतिपादित किये गये थे ''बेहतर यह होगा कि दस दोषी व्यक्ति एक निर्दोष की तुलना में बच जाते हैं''। अपराधिक न्याय व्यवस्था में साक्ष्य के महत्व को देखते हुए

उन तरीकों को समझना महत्वपूर्ण है, जिनमें साक्ष्य की पहचान, एकत्र, विश्लेषण और व्याख्या कर अंत में स्थानीय प्रक्रियाओं के अनुरूप न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। अपराध के पारंपरिक रूपों से संबंधित साक्ष्य (जैसे हत्या, सशस्त्र डकैती) के मामले में अच्छी तरह से स्थापित है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी, अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील व न्यायाधीश स्पष्ट रूप से उन तरीको को जानते हैं, जिनसे सबूतों की व्याख्या, विश्लेषण एवं न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। शव परीक्षा की कानूनी व्याख्या चीन में तेरहवी शताब्दी से जारी है, वहीं पर फ्रांस, इटली और जर्मनी में सोलहवीं शताब्दी से प्रारंभ की गई है। निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि हमारे पास बाद में बैलिस्टिक, टॉक्सिकोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री और अंत में एक प्रसिद्ध फिंगर प्रिंट पद्धति विद्यमान है। डिजिटल फोरेंसिक विगत 40 वर्षो के कम समय से सबूत एवं वैज्ञानिक परिपक्वता के स्तर पर पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं पर पारंपरिक फोरेंसिक पिछले 400 वर्षो से विद्यमान है।

डिजिटल फोरेंसिक प्रक्रिया - क्या यह एक वैज्ञानिक विधि है ?

डिजिटल फोरेंसिक लगभग हर अपराध में मौजूद होना चाहिए, इसकी विशिष्टता को पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो ज्यादातर डिजिटल फोरेंसिक पीसी और लैपटाप में देखते थे, वर्तमान में स्मार्टफोन, जीपीएस डिवाइस, सीसीटीवी सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा संचालित और नियंत्रित उपकरणों में भी व्यापक रूप से विद्यमान है। वर्तमान में डेटा कैप्चरिंग या नेटवर्क के मध्य डेटा ट्राँसफर और वाइस कॉल इंटरसेप्शन जो वैधानिक तरीके से की जाती है, वहाँ भी इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की प्रचुर संभावना है। स्मार्टफोन अभी तक के साईबर क्राईम अनुसंधान में लगातार सर्वाधिक डिजिटल साक्ष्य विश्लेषण और संग्रहण का माध्यम बना है। डिजिटल फोरेंसिक के बारे में समय-समय पर प्रश्न उठते रहे हैं कि क्या यह एक वैज्ञानिक विधि है। अमेरिकन फोरेंसिक साईंस रेग्युलेटर ''साइमन ए कोल'' इसे एक वैज्ञानिक तरीका बताया है, वहीं पर अमेरिकन विचारों के हिसाब से डिजिटल फोरेंसिक सामान्य फोरेंसिक विज्ञान से अधिक वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। ब्रिटेन में फोरेंसिक साईंस रेग्युलेटरों का मानना है कि डिजिटल फोरेंसिक में होने वाली त्रुटियों का जोखिम है तथा उनके द्वारा दृढ़तापूर्वक यह अनुशंसा की गई है कि डिजिटल फोरेंसिक प्रक्रिया जिसमें डिजिटल साक्ष्यों का निष्कर्षण किया जाता है वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। डिजिटल साक्ष्यों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या के वर्तमान दौर में कानूनी बाध्यताओं को पार करने के पश्चात ही निर्णायक एवं संदेह से परे परिणाम प्राप्त किये जाते हैं।

जीपीएस फोरेंसिक

जब कोई व्यक्ति जीपीएस डिवाइस का उपयोग करता है, तो वह जीपीएस में स्टोर किए जाने वाले लोकेशन जिसे वेपाइंट्स कहते है में प्रवेश करता है, वेपाइंट किसी व्यक्ति का वर्तमान लोकेशन हो सकता है या वह स्थान जहाँ वह नेविगेट करता है।

जीपीएस डिवाइस वेपाइंट की श्रृंखला का उपयोग करके एक मार्ग तैयार करता है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति एक विशिष्ट क्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे नेविगेट किया है, क्योंकि यह सूचना डिवाइस में स्टोर हो जाती है और यह

सूचना अनुसंधान के दौरान परीक्षण के उद्देश्य से जीपीएस डिवाइस से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस डिवाइस नेविगेट किये हुए ट्रेक को स्टोर करते हैं, जो जियोग्राफिक पाइंट होते हैं, जैसे ही जीपीएस यूनिट चालू होता है यह सैटेलाइट से जुड़ जाता है और डिवाइस की वर्तमान स्थिति निर्धारित कर देता है। जैसे-जैसे आप यात्रा करते जाएँगे अतिरिक्त ट्रेक पाइंट जीपीएस यूनिट में रिकार्ड होते जाता है और ट्रेक लॉग में संग्रहित हो जाता है, ट्रेक लॉग को देखने से आप जीपीएस डिवाइस या जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल में सवार व्यक्ति के कोआर्डिनेटस (अक्षांश-देशांश) जान सकते हैं।

जीपीएस एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है। 27 अप्रैल, 1995 से इस प्रणाली ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। वर्तमान समय में जी.पी.एस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। इस प्रणाली के प्रमुख प्रयोग-नक्शा बनाने, जमीन का सर्वेक्षण करने, वाणिज्यिक कार्य, वैज्ञानिक प्रयोग, सर्विलैंस और ट्रेकिंग करने तथा जियोकैचिंग के लिये भी होते हैं। पहले पहल उपग्रह नौवहन प्रणाली ट्रांजिट का प्रयोग अमेरिकी नौसेना ने सन् 1960 में किया था। आरंभिक चरण में जीपीएस प्रणाली का प्रयोग सेना के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग नागरिक कार्यो में भी होने लगा।

जीपीएस रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन, पृथ्वी से ऊपर स्थित किये गए जीपीएस उपग्रहों के समूह द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर करता है। प्रत्येक उपग्रह लगातार संदेश रूपी संकेत प्रसारित करता रहता है। रिसीवर प्रत्येक संदेश का ट्रांजिट समय भी दर्ज करता है और प्रत्येक उपग्रह से दूरी की गणना करता है। शोध और अध्ययन उपरांत ज्ञात हुआ है कि रिसीवर बेहतर गणना के लिए चार उपग्रहों का प्रयोग करता है। इससे उपयोक्ता की त्रिआयामी स्थिति (अक्षांश, देशांतर रेखा और उन्नतांश) के बारे में पता चल जाता है एक बार जीपीएस प्रणाली द्वारा स्थिति का ज्ञात होने के बाद, जीपीएस उपकरण द्वारा दूसरी जानकारियां जैसे कि गति, ट्रैक, ट्रिप, दूरी, जगह से दूरी, वहां के सूर्यास्त और सूर्योदय के समय के बारे में भी जानकारी एकत्र कर लेता है। जीपीएस प्रणाली 32 सैटेलाइट्स का एक समूह है जो पृथ्वी के ऊपर 26,600 किमी की ऊंचाई पर ऑर्बिट में है। सैटेलाइट्स का स्वामित्व अमेरिकी रक्षा विभाग के पास है, लेकिन कोई भी इन सैटेलाइट्स के सिग्नल का उपयोग कर सकता है, बशर्ते उनके पास एक रिसीवर हो, रिसीवर के काम करने के लिए, वह चार उपग्रहों को देखने में सक्षम होना चाहिए। जब आप अपने रिसीवर को चालू करते हैं, तो ये सैटेलाइट्स सिग्नल का पता लगाने में एक मिनट या उससे अधिक समय ले सकते हैं, फिर पोजिशनिंग आरम्भ होने से पहले उपग्रह से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर, इसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है :-

1. जीपीएस रिसीवर किसी सैटेलाइट से खुद की दूरी को मापता है, इसके लिए वह प्रकाश की गति से ट्रेवल कर रहे सिग्नल के समय को मापता है।

2. जब सैटेलाईट की पोजीशन का पता चल जाता है, तो जीपीएस रिसीवर को यह पता होना चाहिए कि यह स्फीयर पर होता है, जिसकी

उसके सेट से सैटेलाइट के साथ मापी हुई रेडियस होती है।

3. इस प्रोसस को Trilateration के रूप में जाना जाता है।

थाना बेमेतरा (जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ राज्य) के दुष्कर्म के प्रकरण में जीपीएस तकनीक का अनुसंधान में इस्तेमाल और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में आजीवन कारावास (मृत्युपर्यन्त)।

छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा, थाना बेमेतरा अंतर्गत दिनांक 02.06.2020 एवं 03.06.2020 के दरम्यानी रात्रि 12.00 से 2.00 बजे के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 बेमेतरा से 11 किलोमीटर पूर्व स्थित ग्राम में रोड़ किनारे निवासरत 07 वर्षीय नाबालिग मासूम बालिका के साथ अपहरण एवं बलात्कार की घटना हुई, उक्त घटना पर से थाना बेमेतरा में दिनांक 03.06.2020 को प्रातः 8.30 बजे अपराध क्रमांक 287/2020 धारा 363, 376, 376 ए,बी भादवि 6, 12 पोक्सो एक्ट तथा 3(2)(अ) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अज्ञात ट्रक चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के पूर्व पीड़ित मासूम अपनी दादी के साथ अपने घर के आँगन में खाट में सोई हुई थी और बगल के खाट में उसके 18 वर्षीय चाचा भी सो रहे थे। इसके बावजूद भी अज्ञात ट्रक चालक द्वारा पीड़ित मासूम को उठाकर ले जाना विवेचना के शुरूआती दौर में कुछ असंभव बात लगी, लेकिन पीड़ित मासूम ने अपने धारा 161 द.प्र.सं. के कथन में और धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय द्वारा लिये गये कथन में, स्थानीय बाल कल्याण समिति के द्वारा लिये गये कथन में तथा राजधानी रायपुर के प्रख्यात मनोविज्ञान संस्थान ''मनोपचार'' के मनोवैज्ञानिकों द्वारा पीड़ित मासूम की माँ एवं दादी के समक्ष साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की गई थी, उसमें भी घटना घटित करने वाले आरोपी अज्ञात ट्रक चालक जो ट्रक में अकेले तथा सफेद बनियान व चड्डा पहना, छोटा हाईट का व्यक्ति था, ट्रक का दरवाजा एवं सामने का हिस्सा सफेद रंग का था, यह बातें लगातार पूछताछ में बताते रही। उपरोक्त तथ्यों एवं पूछताछ के पश्चात यह स्वीकृत तथ्य था कि घटना निश्चित ही अज्ञात ट्रक चालक के द्वारा किया गया है।

प्रकरण चूँकि अत्यंत ही संवेदनशील एवं मासूम बालिका के साथ घटित अत्यंत निंदनीय दुष्कर्म की घटना थी उक्त प्रकरण के संबंध में राज्य शासन एवं महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा भी संज्ञान में लिया गया था, अतः उक्त प्रकरण की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) स्तर पर पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम.अवस्थी (भापुसे) पुलिस मुख्यालय रायपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री विवेकानंद सिन्हा (भापुसे) कर रहे थे उपरोक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री दिव्यांग पटेल (भापुसे) को निर्देशित किया गया था, चूँकि प्रकरण में पीड़ित मासूम के अलावा अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था, पीड़ित मासूम जो अल्प आयु की होने के कारण ज्यादा देर तक पूछताछ करना भी संभव नहीं होता था, प्रकरण पूर्णतः ब्लाईन्ड था आरोपी के पतासाजी हेतु घटना स्थल एवं जहाँ पर अज्ञात आरोपी ट्रक चालक द्वारा दुष्कर्म किया गया था और पीड़िता को दुष्कर्म के पश्चात थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया था, उक्त स्थानों के घटना दिनांक

व संबंधित समयों के मोबाइल कॉल डाटा के डम्प सेल्युलर ऑपरेटरों से वैधानिक फार्मेलिटी के जरिये प्राप्त कर लगातार विश्लेषण किये गए। चूँकि घटना स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की थी और राजमार्ग में निरंतर गाड़ियों का आवागमन होता रहता है, ऐसी स्थिति में टावर डम्प एनालिसिस से कोई सार्थक परिणाम हासिल नहीं हुए। आरोपी ट्रक चालक को पता करने में मोबाइल डेटा एनालिसिस निषप्रभावी सिद्ध होने लगे, प्रकरण अत्यंत ही संवेदनशील था और दुष्कर्म के प्रकरणों में विवेचना, आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्रातिशीघ्र करने के स्टैण्डिंग आडर्स समय-समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किये गए हैं व बलात्कार के प्रकरणों में अन्वेषण 02 माह के भीतर पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किये जाने की कानूनी बाध्यता भी है, इन सब को देखते हुए वैज्ञानिक अन्वेषण के अन्य तरीकों की ओर आगे बढ़ा गया। इस क्रम में बेमेतरा पुलिस के द्वारा घटना स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में लगे हुए हाई डेफिनेशन कैमरे के घटना दिनांक समय के फुटेज का विश्लेषण करना शुरू किया गया। इसके लिए घटना स्थल से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के करीब 25 किलोमीटर के दायरे तक के 20 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को हार्डडिस्क में एकत्र कर विश्लेषण किया गया, घटना रात्रि का होने से रात्रि के फुटेज में वाहनो के स्पष्ट नहीं दिखने के कारण पीड़ित बालिका द्वारा ट्रकों को पहचान करने में अत्यंत ही मुश्किलें आई, चूँकि घटना रात्रि 12.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य की थी अतः उक्त अवधि में कवर्धा से बेमेतरा की ओर आने वाली ट्रकें जो बेमेतरा से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग में जाने वाली ऐसी ट्रकों को छाँटकर अलग किया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक ट्रकें पाई गई। विवेचना से पाया गया कि ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमएल 8356 (जीपीएस इनेबल्ड) दिनांक 03.06.2020 के रात्रि 01 बजकर 57 मिनट 50 सेकण्ड से रात्रि 02 बजकर 08 मिनट 15 सेकण्ड तक अक्षांश 21.78294 देशांश 81. 4879283 पर 10 मिनट 25 सेकण्ड के लिए रूकी थी, उक्त अक्षांश-देशांश को टोपोशीट या गूगल मैप में प्लाट करने पर घटना स्थल (पीडित मासूम के घर के सामने) कवर्धा से बेमेतरा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का होना पाया गया। जीपीएस डेटा का और विश्लेषण करने पर पाया गया कि उक्त ट्रक इसके पश्चात रात्रि 2.34.00 बजे से 2.59.45 बजे तक अक्षांश 21.6802433 व देशांश 81.5661 पर 25 मिनट 04 सेकण्ड के रूकी थी, उक्त अक्षांश-देशांश को टोपोशीट या गूगल मैप में प्लाट करने पर वह स्थल जहाँ ट्रक चालक द्वारा ट्रक में पीड़ित मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया वह स्थल अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 उपजेल बेमेतरा के समीप का होना पाया गया। आरोपी ट्रक चालक दुष्कर्म करने के पश्चात पीड़ित मासूम को अपने साथ ट्रक में आगे कुछ दूरी तक ले गया एवं छोड़ दिया, जहां ट्रक चालक सुबह 3.05.49 बजे पहुंचता है तथा 51 सेकण्ड रूककर पुनः आगे बढ़ जाता है। ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमएल 8356 में लगे जीपीएस के डेटा का विश्लेषण करने के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया कि उपरोक्त अपराध ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमएल 8356 के चालक सूरज प्रजापति द्वारा ही घटित किया गया है। सूरज प्रजापति उक्त ट्रक को लेकर पुनः जबलपुर गया हुआ था और ट्रक में इंस्टाल जीपीएस लिंक को पुनः देखा गया उक्त ट्रक दिनांक 20.06.2020 को जबलपुर से वापस लौट रही थी, लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में घटना स्थल के पास ही उसे रोका गया ट्रक को चालक सूरज प्रजापति ही चला

रहा था प्रारंभिक पूछताछ पर अपराध स्वीकार नहीं किया, किन्तु जब पीड़ित मासूम से ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमएल 8356 एवं आरोपी चालक सूरज प्रजापति की धारा 09 साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्यपालिक दण्डाधिकारी से पहचान कार्यवाही कराई गई, पीड़ित मासूम ने आरोपी ट्रक चालक एवं ट्रक को पहचान ली उसके पश्चात दिनांक 21.06.2020 को प्रकरण में आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की गई, ट्रक को प्रकरण में जप्त किया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण करके दिनांक 06.07.2020 को चालक सूरज प्रजापति के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं पाक्सो अधिनियम 2012 के न्यायालय बेमेतरा में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान एकत्र किये गए डिजिटल साक्ष्य, ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमएल 8356 में लगे जीपीएस के संबंध में आई ट्रेड टेलीमेटिक्स निगरानी जीपीएस रायपुर के साफ्टवेयर इंजीनियर विशाल शिंदे के द्वारा ऑनलाईन डाटा से न्यायालय के सिस्टम में लाईव चलाकर माननीय न्यायालय के समक्ष चलाकर दिखाया गया तथा घटना दिनांक 03.06.2020 को रात्रि 2.23.59 में उक्त ट्रक बेमेतरा शहर सिग्नल चौक से गुजरते हुए दिखाई दे रही है के संबंध में साईबर सेल प्रभारी प्रधान आरक्षक मोहित चेलक द्वारा साक्ष्य दिया गया, दिनांक 03.06.2020 को आरोपी सूरज प्रजापति द्वारा इस्तेमाल किये गए मोबाइल नंबर 6265804418 के घटना के समय एवं पश्चात के लोकेशन के संबंध में रियलांयस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कंपनी के नोड़ल अधिकारी ने माननीय न्यायालय में साक्ष्य दिया था। दिनांक 02.06.2020 को शाम उक्त ट्रक मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में स्थित पाण्डूतला टोल से गुजरने के संबंध में ट्रक का फुटेज जिसमे ट्रक का नंबर दिखाई दे रहा है एवं ट्राजेक्शन हिस्ट्री की साफ्टकापी माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2020 राज्य विरूद्ध सूरज प्रजापति निर्णय दिनांक 26.02.2021 के निर्णय के पैरा क्रमांक 19, 20, 22, 23 एवं 24 में स्पष्ट उल्लेख किए हैं कि उक्त सभी प्रस्तुत साक्ष्य (डिजिटल इविडेन्स) के डाटा मूल होने के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी) का प्रमाण पत्र एवं उक्त डिजिटल साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रदर्शित कर देखा गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से पुष्ट होता है कि अभियुक्त सूरज प्रजापति घटना स्थल पर उपस्थित था और अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित किये जाने के समय से संदेह से परे पूर्णतः मेल होता है तथा पैरा क्रमांक 44 में माननीय न्यायालय द्वारा लेख किया गया है कि ''इस न्यायालय के मत में मौजूदा अपराध की प्रकृति, विशेषकर अबोध बालिका के साथ हुए लैंगिक अपराधों में अज्ञात अपराधी का पता लगाना विवेचना अधिकारियों के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य रहा है। ऐसे प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टॉवर डम्प, अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53, 53(क), 54 तथा 54(क) के विशिष्ट प्रावधानों को पालन करते हुए अभियुक्त तथा अभियोक्त्री की डीएनए परीक्षण कराया गया वह उल्लेखनीय है। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164(क), सहपठित पाक्सों अधिनियम 2012 की

धारा 27 के प्रावधानों दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए फोरेंसिक साईस तकनीक का आश्रय लेकर आवश्यक एवं अपेक्षित अनुसंधान कार्यवाही की गई है, वह भी उल्लेखनीय है।

उपरोक्त प्रकरण की कायमी दिनांक 03.06.2020 को की गई तथा इस ब्लाईड प्रकरण के अज्ञात आरोपी को मात्र 17 दिवस के अंदर वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करते हुए, पकड़ लिया गया था तथा उक्त प्रकरण का अनुसंधान मात्र 01 माह में पूर्ण कर अभियोग पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। अंतिम प्रतिवेदन के साथ करीब 150 दस्तावेज संलग्न किये गये थे तथा 50 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षण के लिए अभियोग पत्र में नाम उल्लेखित किया गया था। इस प्रकार कुल 500 पृष्ठों का अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालीन कार्य बंद होने से माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 19.11.2020 को आरोपी सूरज प्रजापति के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 211, 212, 213 के तहत आरोप संस्थित किया गया था तथा माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान 27 अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य लिए गये, इस प्रकरण के विचारण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी साक्षी पक्षद्रोही नहीं हुआ, शेष 23 साक्षियों को न्यायालय द्वारा परीक्षण करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(5) अभियुक्त के कथन के समय न्यायालय द्वारा तैयार किये गए अभियुक्त के प्रश्नोत्तरी के प्रश्न कमांक 317 (तुम्हे कुछ कहना है?) के उत्तर में अभियुक्त सूरज प्रजापति ने लिखकर कहा उससे कुछ गलत हो गया यह अहसास उसे हुआ है, अभियुक्त का मौजूदा घटना में संलिप्त होना और अपराधबोध से पश्चाताप की भावना से महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार कर वस्तुस्थिति प्रकट किया जाना भी अपराध में उसकी संलिप्तता को साबित करता है। माननीय न्यायालय ने भी अपने फैसले के पैरा क्रमांक 29 में उक्त तथ्य को उल्लेखित किये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा हाजिरी रजिस्टर, घटना के पूर्व दिनांक 31.05.2020 को ईमामी सिमेण्ट प्लॉन्ट रिसदा से सिमेन्ट लेकर जबलपुर जाने की बिल्टी तथा जबलपुर से डोलोमाईट भरकर रायपुर उरला में खाली करने का कॉटा पर्ची, ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमएल 8356 में लगा हुआ जीपीएस जिसमें फ्यूल मानिटिरिंग सिस्टम, स्टापेज, पार्किंग आदि फिचर्स तथा आरोपी ट्रक चालक द्वारा घटना स्थल अभियोक्त्री के घर के सामने ट्रक को रोकना तथा आगे जाकर ट्रक को पुनः रोककर अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म की घटना को घटित करना, सीसीटीवी फुटेज में घटना की रात्रि में ट्रक का परिलक्षित होना, ट्रक की एवं आरोपी की पहचान कार्यवाही अभियोक्त्री से कराया जाना, दुष्कर्म के दौरान ट्रक से आरोपी चालक के बनियान में अभियोक्त्री के गुप्तांग के खून के धब्बे, आरोपी चालक के मोबाइल, ड्राईविंग लायसेंस, पैनकार्ड, आधारकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र जो आरोपी को गिरफ्तार करते समय उसके कब्जे से जप्त किया गया था। अभियुक्त का ब्लड सेंपल डीएनए परीक्षण हेतु उसकी सहमति से लिया जाना एवं विधिवत अभियुक्त के समक्ष ही सीलबंद करना, डॉक्टर द्वारा अभियुक्त के जेनाईटल आर्गन के परीक्षण रिपोर्ट जिसमें वह संभोग करने में सक्षम है आदि तथ्य जो विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रकरण

में प्रस्तुत किए गये थे उसे माननीय न्यायालय ने विचारण के दौरान स्वीकृत तथ्य माना है, जिसका उल्लेख माननीय न्यायालय ने अपनी निर्णय की कंडिका क्रमांक 2(ब)में उल्लेखित हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कतिपय दस्तावेज जैसे की जिन अक्षांश-देशांश पर ट्रक रूकी है, जिसका पटवारी द्वारा अक्षांश-देशांश एवं उक्त स्थलों को प्रमाणित किया गया है, ऐसे सभी दस्तावेज तथा अभियोक्त्री के चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत तैयार किये गए वेजाईनल स्वाब, वेजाईनल स्मियर आदि के स्लाईड की जप्ती को धारा 294 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्त बचाव पक्ष की ओर से स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप उनका औपचारिक साबित किया जाना आवश्यक नहीं पाया गया, जिसका उल्लेख माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की कंडिका क्रमांक 2(अ)में किया गया है। अभियोक्त्री के गुप्तांग के चिकित्सकीय परीक्षण से यह भी स्थापित हो गया था कि पीड़िता के साथ बलपूर्वक गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिग हमला करके उसके साथ बलात्संग किया गया है। अभियोक्त्री को छ.ग. अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 के तहत जिलाधीश बेमेतरा द्वारा दिनांक 06.07.2020 को 04 लाख रूपये का प्रतिकर दिया गया है तथा दिनांक 09.06.2020 को विशेष न्यायालय पाक्सो द्वारा 02 लाख रूपये का अंतिम प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। दोषसिद्धी के पश्चात् कंपनसेशन स्किम फॉर ह्यूमेन विक्टिम्स/ सरवाईवर ऑफ सेक्सुअल असाल्ट/ अदर क्राईमस 2018 के अनुसार अंतिम रूप से उचित प्रतिकर के निर्धारण हेतु माननीय न्यायालय द्वारा भी आदेशित किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका क्रमांक 42 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) के तहत दण्डादेश के निलंबन व परिहार के लिए सरकार के समक्ष आवेदन किये जाने की स्थिति पर अभियुक्त सूरज प्रजापति द्वारा घटित अपराध को अत्यंत ही गंभीर श्रेणी का उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त सूरज प्रजापति को दण्डादेश के निलंबन या परिहार हेतु अपात्र करार किया है।

मौजूदा प्रकरण में अभियुक्त सूरज उर्फ सूर्यनारायण प्रजापति पिता रामनाथ प्रजापति उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बघवार थाना भांडारिया, जिला गढ़वा (झारखण्ड) को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 366 में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 100 रूपये अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376(क)(ख) तथा पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5(ड़) सहपठित धारा 6 में आजीवन कारावास (मृत्युपर्यन्त) एवं 100 रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्डादेश पारित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की विवेचना पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा डीएसपी राजीव शर्मा द्वारा की गई है।

फोरेन्सिक साइंस : न्याय के लिये विज्ञान

डॉ0 प्रभाकर शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी,
श्री देवकी कुमरे, मु0 आरक्षक, म0प्र0 पुलिस

1. परिचय :

फोरेन्सिक साइंस न्यायालयिक विज्ञान में विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्तों एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में उपलब्ध ज्ञान एवं विधियों का प्रयोग किसी अपराध की वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध करने में किया जाता है।

फोरेन्सिक शब्द लैटिन भाषा के फोरेन्सिक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ न्याय से सम्बन्धित होना होता है। अत: फोरेन्सिक विज्ञान वह विज्ञान है जो विज्ञान के विभिन्न प्रकार के मूलभूत सिद्धान्त प्रयोग न्यायहित में करता है यही कारण है कि फोरेन्सिक विज्ञान को विविध विज्ञान एवं सिद्धान्तो का मिश्रण भी कहा जाता है।

रोमन काल में आपराधिक मामलों में न्याय के लिये प्रकरण के लोगों को निश्चित समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था एवं निर्णय इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करता था कि दोनों पक्षो में से किसके पास अधिक ठोस सबूत एवं तर्कसंगत आधार हैं।

वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रकरण न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एवं अपराध को सिद्ध करने के लिये आज भी ठोस एवं निष्पक्ष सबूतों एवं गवाहों की आवश्यकता होती है।

फोरेन्सिक विज्ञान पूर्व में प्रासंगिक तो था किंतु आज इसका महत्व बढ़ गया है क्योंकि –

1. अपराधी को सन्देह का लाभ देने की प्रकृति।
2. न्यायालयिक प्रक्रिया में सामान्य से अधिक विलंब।
3. न्यायालय द्वारा ठोस सबूतो एवं गवाहों की मांग किया जाना।
4. अपराध सिद्ध होने के पूर्व उसे निर्दोष मानते हुये जमानत एवं अन्य सहूलियत प्रदान करना।
5. अपराध एवं न्यायालयिक प्रकरणों से आम व्यक्ति का उदासीन होना जिससे गवाहों द्वारा बयान ना देना, गलत देना या दिये गए बयान से मुकरना।

उपरोक्त कारणों से अपराध अन्वेन्षण में विवेचक का यह दायित्व बढ़ जाता है कि प्रकरण में अधिक एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य उपस्थित हो जिससे गवाहों के बयान प्रकरण को प्रभावित ना कर सकें।

मानवीय कमजोरियां जैसे लालच, भावुकता, उदासीनता, दबाव का प्रयोग कर अपराधी स्वयं के विरूद्ध गवाही देने वालों को प्रभावित कर सकता है किंतु वैज्ञानिक साक्ष्यो को परिवर्तित करना उनके नियंत्रण में नही होता है अत: इन्हे विश्वसनीय एवं उपयुक्त माना जा सकता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह उतना ही सत्य है जितना कि यह सत्य है कि सभी मनुष्य एक समान नहीं हो सकते हैं। अत: मानव समाज

अपराधी वर्ग या मनुष्य/समुदाय ऐसा भी हो सकता है जो अपराध प्रमुखता या निरंतरता से करते हों।

स्वस्थ समाज में अपराधों पर शत प्रतिशत नियंत्रण करना संभव नही है किंतु यदि हम अपराधियों को पकड़कर उन्हें दण्डित करायें एवं निर्दोषों को सजा से मुक्त करायें तो समाज में अन्य व्यक्तियों में अपराध करने की प्रकृति पर अंकुश लगता है।

अत: अपराध विवेचना में यह प्रमुख होता है कि विवेचना अधिकारी अपराध घटनास्थल से साक्ष्यों को संकलित करें जो दोषियों को अपराध साबित करने में सक्षम हो एवं निर्दोषों को अपराध से मुक्त भी करता है।

2 फोरेन्सिक साइंस के सिद्धांत :

लोकार्ड का विनिमेय सिद्धांत - एडमंड लोकार्ड द्वारा दिया गया यह सिद्धांत फोरेन्सिक साइंस का आधार है।

लोकार्ड के अनुसार, प्रत्येक संपर्क अपनी पहचान छोड़ता है।

जब कभी दो वस्तुएं सम्पर्क में आती हैं तो उन दोनों के मध्य पदार्थों का आदान -प्रदान होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंगुल चिन्ह (फिंगर प्रिंट)। किसी भी वस्तु को हाथ से स्पर्श करें तो हमारे फिंगर प्रिंट उस वस्तु पर मिलेंगे। वस्तुओं के मध्य पदार्थों का स्थानान्तरण संपर्क में आई वस्तुओं की प्रकृति पर, वस्तुओं के संपर्क समय पर, संपर्क में पड़ने वाला दबाव एवं संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि एक वाहन ने किसी दूसरे वाहन को टक्कर मारी है तो वाहनों पर पेंट या धात्विक स्थानान्तरण के चिन्ह मिलते हैं एवं यदि किसी वाहन ने किसी आदमी को टक्कर मारी है तो वाहन पर रक्त, बाल, त्वचा आदि पाए जा सकते हैं। यदि किसी संदेही ने हत्या में एक चाकू उपयोग किया है तो डी. एन. ए. फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा उस संदेही की अपराध से सम्बद्धता सुनिश्चित की जाती है।

वैयक्तिकता का सिद्धांत - कोई दो वस्तुएं अविभेद्य हो सकती हैं परन्तु कभी समरूप नहीं हो सकतीं।

तुलना का सिद्धांत - केवल समान वस्तुओं की एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है।

लिंकेज की अवधारणा - यह अवधारणा हेनरी द्वारा दी गई थी। यह पीड़ित, साक्ष्य, अपराध घटनास्थल और आरोपियों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है।

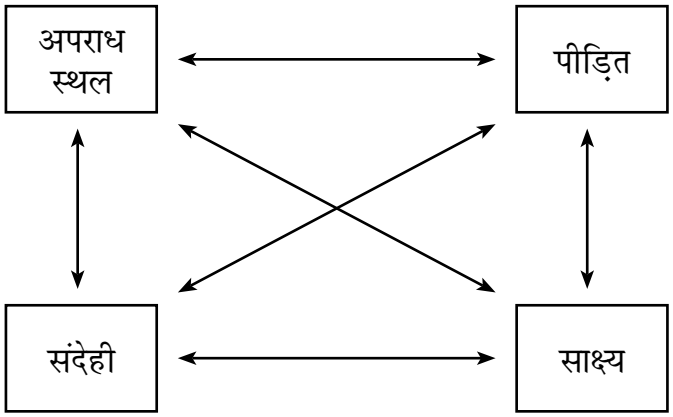

-फोरेंसिक विज्ञान में अपराधों/घटना की जांच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाती है जिससे निम्न बातें सिद्ध की जा सकें।

1. घटना की वास्तविकता क्या है अर्थात घटना घटित हुई भी है अथवा नहीं।
2. यदि घटना घटित हुई है तो घटना का स्थान/समय एवं स्वरूप क्या रहा होगा अथवा क्या हो सकता है।
3. घटना किसके द्वारा की गयी है अथवा अमुक व्यक्ति ने घटना की है भी या नहीं।

4. घटना को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है अथवा नहीं।

अपराध घटनास्थल पर भिन्न प्रकार के साक्ष्य उपस्थित रहते हैं जिनके आधार पर विवेचक अपराधी को ढूंढकर सजा दिलवा सकता है।

3. अपराध घटनास्थल एवं साक्ष्य –

अपराध घटनास्थल पर निम्नलिखित प्रकार के साक्ष्य को खोजने का प्रयास करना चाहिए:–

1. धातु या ठोस वस्तुओं पर फिंगर प्रिंट, पदचिह्न, उपकरण के निशान आदि।
2. शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि। इस प्रकार के जैविक तरल पदार्थ भी यूवी लैम्प की सहायता से खोजे जाते हैं।
3. आग्नेयास्त्रों से संबंधित अपराध के मामले में कांच के टुकड़े, दुर्घटना, रिकोषेट निशान, हथियार, कारतूस और गोलियां आदि।
5. विस्फोट के मामले में विस्फोटक पदार्थों के अवशेष।
6. खाद्य विषाक्तता के कारण मृत्यु में बर्तन, रैपर, बोतलें, थैली, उल्टी आदि में जहर के अवशेष।
7. यदि अज्ञात या लावारिस वाहन अपराध स्थल पर पाया जाता है, तो चेसिस नंबर या, इंजन नंबर को बहाल करना है।
8. जलने के कारण मृत्यु में जीवाश्म ईंधन और उनके अवशेष की उपस्थिति की जाँच करें।
9. दुर्घटना से संबंधित मामलों में मृत्यु में कपड़े, फाइबर, टायर के निशान, स्किड निशान आदि।

प्रत्येक प्रकार के फोरेंसिक साक्ष्य के लिए उचित संग्रह, हैंडलिंग, पैकिंग और अग्रेषण की आवश्यकता होती है। सभी नमूनों को नियंत्रण नमूने या सादे नमूने के साथ भेजा जाये।

4. चोटें, मृत्यु और विवेचना में उनकी उपयोगिता –

किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति या किसी ऊतक की प्राकृतिक संरचना के विलोपन को क्रमश: चोट या घाव/जख्म कहते हैं। इसकी वजह दुर्घटना या कोई हिंसक क्रिया दोनों ही हो सकती है। कोई चोट जिसमें त्वचा फट या कट जाती है उसे घाव कहते हैं।

मेडिकोलीगल के अनुसार चोट चार प्रकार की होती हैं:– यांत्रिक चोट, ताप जनित चोट, रासायनिक चोट और विद्युतीय चोट। यहां हम यांत्रिक चोट और उनमें ध्यान देने योग्य बिंदु पर चर्चा करेंगे।

यांत्रिक चोट किसी हथियार से उत्पन्न होती है और निम्न प्रकार की होती हैं।

(1) गुमटा/नील/कुचलन

(2) खरोंच

(3) घाव

(1) गुमटा/नील/कुचलन : नील वह चोट है जो भोथरे हथियार (यथा लाठी, पत्थर, मुक्का) अथवा किसी ठोस जगह पर गिरने या दबाव से होती है तथा त्वचा की उपरी सतह प्रभावित हुए बिना आन्तरिक क्षति होती है और वह स्थान नीला दिखाई देता है।

नील/गुमटा का चोट लगने के समय के बारे में निर्धारण उनके रंग के आधार पर किया जाता है।

जो की निम्नानुसार है।

चोट लगने के बाद - लाल रंग की त्वचा

1 से 2 दिन बाद - त्वचा का रंग नीला

3 से 4 दिन बाद - काले भूरे या भूरे रंग की त्वचा

5 से 7 दिन बाद - हरे रंग की त्वचा

7 से 10 दिन बाद - पीले रंग की त्वचा।

नील/गुमटा का वर्गीकरण (दुर्घटनावश, हत्या, स्वजनित) शरीर पर उपस्थिति और व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। यदि नील गिरने के कारण दुर्घटनावश हो तो उस स्थान की बालू, मिट्टी या पत्थर के छोटे टुकड़े, यदि नील हथियार से हो (हत्या) तो गुमटा/नील का आकार हथियार से मिलता हैं, नील रसायन लगाने से (स्वजनित) भी होती है- परन्तु उसमें फफोले भी होते हैं।

मृत्यु के पूर्व नील/गुमटा में सूजन तथा रंग बदलाव होता है तथा मृत्यु के पश्चात् के गुमटा में इनका अभाव रहता है।

(2) खरोंच/अपघर्षण :- खरोच/अपघर्षण में त्वचा की बाहरी सतह हट जाती है और केवल ऊपरी स्तर प्रभावित होता है। यह प्रहार से, खुरदुरे स्थान पर घिसटने से, नाखून से खरोचने से, दाँत काटने पर, रस्सी के दबाव या घर्षण से होती है और केवल बाहरी त्वचा को प्रभावित करती है।

खरोच कम रक्त स्राव के साथ दस से चौदह दिन में बिना कोई अन्तर लाए भर जाती है।

अपघर्षण में चोट लगने के समय के बारे में अनुमान निम्नानुसार लगाया जा सकता है।

चोट लगने के बाद - चमकीली लाल सतह की त्वचा।

12 से 24 घंटे बाद - चमकीले लाल रंग की चमड़ी।

2 से 3 दिन बाद - लाल भूरे रंग की पपड़ी।

4 से 7 दिन बाद - पपड़ी के नीचे चोट भरी हूई।

10 से 14 दिन बाद - चोट मिट जाती है।

(3) घाव/जख्म :- घाव से अभिप्राय ऐसी चोट से है जिसका प्रभाव त्वचा और किसी मुलायम ऊतक (श्लेष्म झिल्ली) तक हो और उनमें बलपूर्वक विघटन हो। इनके प्रकार निम्नलिखित हैं:-

(1) चीरा हुआ अथवा छिन्न घाव

(2) भेदन अथवा छेदा हुआ घाव

(3) चिथड़ा अथवा कटा-फटा घाव

(4) संकर्तन घाव

(5) आग्नेयास्त्र घाव

(1) छिन्न घाव : यह घाव तेज धार वाले हथियार (चाकू, छुरा, तलवार, गड़ासा, भाला) से वार करने पर होता है। इसके किनारे चिकने, बराबर या साफ कटे और स्पष्ट होते हैं। इनमें अन्य प्रकार के घाव की तुलना से अधिक रक्त स्राव होता है। इनकी लम्बाई गहराई से अधिक होती है और घाव की चौड़ाई हथियार की धार वाली सतह से अधिक होती है।

(2) भेदन घाव एवं छिद्रण घाव : जब घाव मुलायम ऊतकों से होता हुआ शरीर के किसी गुहिका (छाती, पेट) में पहुँच जाता है तो उसे भेदन घाव तथा यदि घाव शरीर के आर पार जाता है तो उसे छिद्रण घाव कहते हैं। भेदन घाव की गहराई, लम्बाई या चौड़ाई से अधिक तथा जिस हथियार से प्रहारित हुआ है उसकी लम्बाई के

बराबर या कम होती है।

छिद्रण घाव शरीर के आर-पार होता है और ये दो प्रकार के पाये जाते हैं:-

- प्रवेश का घाव बड़ा तथा इसके किनारे अंदर की तरफ होते हैं।
- निकास का घाव छोटा होता है तथा इसके किनारे बाहर की तरफ होते हैं।

(3) कटा-फटा घाव :- इस घाव में शरीर के ऊतक फटते हैं तथा इनके किनारे कटे-फटे होते हैं। ये सख्त स्थान पर गिरने, सड़क तथा रेल दुर्घटना में उत्पन्न होते हैं। ये घाव जिस हथियार से होते हैं उसके अनुसार नहीं होते तथा रक्त वाहिनियों के कुचलने के कारण अधिक रक्तस्राव नहीं होता है।

(4) संकर्तन घाव :- ये घाव कम धार वाले हथियार (गंडासा, कुल्हाडी, फर्सा आदि) के अधिक बल से किये गए प्रहार से बनते हैं। इस प्रकार बना घाव दिखने में तो चीरा घाव के समान होते हैं परन्तु किनारों पर नील भी पाई जाती है। अधिक बल के उपयोग के कारण प्रहार वाली जगह की अस्थियाँ /और मांसपेशियाँ भी कट जाती हैं।

(5) आग्नेयास्त्र घाव :- ये घाव जिस प्रकार के आग्नेयअस्त्र से होते हैं उस पर तथा कितनी दूरी से उपयोग में लाये गये हैं उस पर निर्भर करते हैं।

आग्नेयास्त्र मुख्यतया दो प्रकार के घाव उत्पन्न करते हैं:-

(1) प्रवेश घाव - प्रवेश का घाव सामान्यतया गोली से छोटा तथा गोल (गोली शरीर के समकोण लगने पर) या अण्डाकार (गोली शरीर के तिरछे लगने पर) होता है। यदि गोली शरीर के बहुत नजदीक से या संपर्क से चली हो तो प्रवेश घाव गोली से बड़ा तथा किनारे फटे हुये होते है। कभी - कभी शरीर के कपड़े के टुकड़े भी घाव के अन्दर मिलते हैं तथा घाव के चारों ओर की त्वचा जली होती है।

(2) निकास घाव - निकास घाव प्रवेश घाव से बड़ा होता है तथा इसके किनारे बहिर्गत रहते हैं।

मृत्यु से पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात् घाव में अन्तर

मृत्यु पूर्व के घाव	मृत्यु पश्चात् के घाव
अधिक रक्तस्राव होता है।	कम रक्तस्राव होता है।
रक्त के फुहारे /छीटे का निशान मिलता है।	रक्त के फुहारे /छीटे नहीं मिलते।
रक्त जम कर पपड़ी नुमा बन जाता है।	रक्त पपड़ी नुमा नहीं बन पाता है।

घाव से मृत्यु होने पर यह संदेह उत्पन्न होता है कि प्रकरण आत्महत्या, हत्या अथवा स्वजनित हैं अतः निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिये :-

(1) घाव के स्थान और लक्षण

(2) घावों की संख्या, दिशा और दिशाएं

(3) घटनास्थल, मृतक की स्थिति और घटनास्थल के आस-पास के स्थान का निरीक्षण

- **आत्महत्या घावः** ये घाव सामान्यतः शरीर के सामने तथा बगल एवं शरीर के महत्वपूर्ण अंगो (गर्दन या कलाई) पर होते हैं। शरीर के वह स्थान जहाँ सामान्य रूप से स्वयं नहीं पहुँचा जा सकता वहाँ पर लगे छिन्न तथा छेदे हुये घाव हत्या कारित होते हैं। हाथ के पीछे, कलाई पर, अँगुलियों पर, अंगूठे के बीच पर, हाथ की अँगुलियों तथा

हथेलियों पर आत्मरक्षा में लगे घाव तथा हत्या का संकेत देते हैं।

आग्नेयास्त्र आत्महत्या प्रकरण में घाव सामान्यत: कनपटी के पास होता है। यदि दाहिने हाथ से हथियार चला है तो घाव दाँई तरफ अन्यथा बाँई तरफ होता है। बहुत निकट से आग्नेयास्त्र चलाये जाने पर त्वचा झुलसी तथा घाव पर कालापन होता है।

यदि कपड़ों पर शरीर के घाव के अनुसार कटाव न हो तो आत्महत्या की संभावना रहती है।

- **हत्या वाले घाव :** शरीर पर एक से अधिक घाव जो गहरे और खतरनाक हो हत्या का संकेत देते हैं। मृतक के आस-पास हथियार यदि नहीं पाये जाये तो हत्या की संभावना है।

यदि मृतक के आस-पास के सामान अस्त-व्यस्त तथा घटनास्थल पर संघर्ष के संकेत हैं तो हत्या की संभावना प्रबल होती है।

-**स्वजनित घाव :** यदि मृत व्यक्ति ऐसे कमरे में पाया जाये जिसके खिड़की, दरवाजे अन्दर से बन्द हो तथा अन्दर आने का कोई और स्थान ना हो उसे आत्महत्या मानना चाहिये। यदि मृतक के पास कोई आत्महत्या लेख पाया जाए तो उसे आत्महत्या माना जाए। रेलवे लाईन पर मृत शरीर आत्महत्या या दुर्घटना के संकेत देते हैं।

5. मृत्यु एवं उसके पहलू - मृत्यु जीवन की समाप्ति को कहते हैं। जीवन का अभिप्राय श्वांस लेना तथा शरीर का वृद्धि और विकास होना है।

मृत्यु के प्रकार

1 प्राकृतिक : जब मृत्यु बीमारी या अधिक आयु के कारण हो तो प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है।

2 अप्राकृतिक : यदि मृत्यु प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकम्प के कारण, दुर्घटनावश (रेल, रोड दुर्घटना) जाने या अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन का हरण हो अप्राकृतिक मृत्यु कहलाती है।

1. दुर्घटना-जब किसी व्यक्ति के बिना उद्देश्यात्मक क्रिया के कारण अन्य व्यक्ति या स्वयं की मृत्यु हो जाए।

2. आत्महत्या- जब किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर ऐसे कृत्य किये जाएं जिससे स्वयं की मृत्यु हो जाए।

3. हत्या- जब किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर ऐसे कृत्य किये जाए जिससे अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए।

अज्ञात -जब मृत्यु का तरीका अज्ञात हो या ऊपर में से न हो।

5.1 मृत्यु की अवस्थाऐं

मृत्यु की पहचान - यदि व्यक्ति में नाड़ी गति तथा श्वास का बंद होना, शरीर का तापमान कम होना आदि लक्षण पाये जाए तब उसे मृत्यु अथवा जीवन की समाप्ति कहते हैं। ये लक्षण मृत्यु के बाद तुरंत दिखाई देते हैं। मृत्यु के बाद शरीर के अंग तथा मांसपेशिंया तनाव खोकर ढीली पड़ जाती हैं। इसे शरीर का प्रारंभिक ढीलापन कहते हैं। यह अवस्था 2 से 6 घंटे तक रह सकती है।

मृत्यु होने के कुछ समय पश्चात शरीर में निम्न परिवर्तन होते हैं।

1 शरीर में ठन्डापन

2 शरीर में नीलापन

3 शरीर में अकड़न

4 शरीर में सड़न

5 एडीपोसेयर का बनना

6 कंकाल का बनना

7 ममीफिकेशन

1. **शरीर में ठंडापन** :- मृत्यु होने के उपरांत शरीर का ताप 98.4 एफ नहीं रह पाता है और कुछ समय पश्चात शरीर का तापमान वातावरण के समान हो जाता है। शरीर के ठन्डे होने की दर शरीर और वातावरण के तापमान के बीच के अंतर पर निर्भर करता है।

2. **शरीर में नीलापन** :- मृत्यु होने के उपरांत रक्त परिसंचरण रूक जाता है और शरीर के उस भाग में जमा हो जाता है जो जमीन के पास होता है इसे नीलापन कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रथम घंटे से लेकर कुछ घंटो तक जारी रहती है उसके बाद स्थायी हो जाती है।

3. **शरीर में अकड़न** :- इस प्रक्रिया में शरीर के अंगो तथा मांसपेशिंयो में कठोरता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया प्रथम घंटे से लेकर कुछ घंटो तक जारी रहती है उसके बाद यह अवस्था सामान्यत: ठंड में 24-48 घंटे एवं गर्मी में 18-36 घंटो में समाप्त हो जाती है।

4. **शरीर में सड़न** :- यह एक लंबी प्रक्रिया है जो 1 से 3 महीने तक जारी रहती है।

   मृत्यु के 12 से 24 घंटे के उपरांत शरीर पर हरे रंग के धब्बे, 24 से 36 घंटे के उपरांत पेट का फूलना तथा मक्खियों का घाव तथा खुले स्थानों पर अंडे देना, 48 से 60 घंटे के उपरांत फफोले बन जाना, मेगट तथा शरीर फूलना, और 48 से 72 घंटे के पश्चात हाथ पांव की चमड़ी अलग होने लगती है।

5. **एडीपोसेयर का बनना** :- कभी-कभी शरीर के उतक सड़ने की जगह पीले या सफेद मोम जैसे पदार्थ में बदल जाते हैं जिसे साबुनीकरण या एडीपोसेयर कहते हैं। यह 3 माह से 12 माह तक हो सकता है।

6. **ममीफिकेशन:**- इस प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण सड़ने की प्रक्रिया रूक जाती है और शरीर के अंदर के अंग सूख जाने से बाहय ढांचा वैसा ही रह जाता है। यह प्रक्रिया तीन माह से एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है।

मृत्यु की अवधि	शारीरिक स्थिति
12 घंटे	शारीरिक अकड़न एवं शरीर में हरे रंग के धब्बों का पाया जाना
24-36 घंटे	सम्पूर्ण शरीर पर हरे धब्बों का पाया जाना, पेट फूलना एवं मक्खियों की उपस्थिति
48 से 60घंटे	चेहरे पर सूजन, फफोले पाया जाना, मैगेटस की उपस्थिति
68 से 72 घंटे	सम्पूर्ण शरीर का फूलना एवं शरीर का बेडोल होना, बाल व नाखून अलग होना, उतक का नरम एवं रंग परिवर्तन होना।
एक सप्ताह	आंतरिक अंगो का सड़ना

दो सप्ताह	उतक का द्रव में परिवर्तन एवं हडिडयों से पृथक होना
एक से तीन माह	कंकाल में परिवर्तन
तीन माह से एक वर्ष	ममीफिकेशन, शरीर का शुष्क हो जाना

यहां हम फांसी के प्रकरणों में ध्यान देने योग्य बिंदुओ पर चर्चा करेंगे।

4. फांसी (आत्म-निलंबन) : फांसी श्वासावरोध का रूप है जिसमें मृत्यु का कारण गर्दन को घेरे हुए एक लिगेचर से निलंबन के कारण होती है।

फांसी का वर्गीकरण मुख्यत: दो आधार पर हैं

निलंबन के आधार पर :

(1) पूरी तरह से लटका हुआ- इसमें शरीर पूरी तरह से हवा में निलंबित रहता है और शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को नहीं छूता है।

(2) आंशिक रूप से लटका हुआ- इसमें शरीर पूरी तरह से हवा में निलंबित नहीं रहता है और शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को छूता है।

गाँठ की स्थिति के आधार पर :

(1) प्रारूपिक फांसी- लिगेचर सममित रूप से थायरॉयड उपास्थि के ऊपर चलता है और गर्दन के दोनों तरफ पीछे तक जाता है और गाँठ गर्दन के मध्य क्षेत्र में पीछे की तरफ होती है।

(2) अप्रारूपिक फांसी- गाँठ पिछली स्थिति के अलावा कहीं भी हो सकती है। दाई ओर, बाई ओर, सामने की ओर, गर्दन के पीछे की ओर आदि।

फांसी के मामलों में शरीर रस्सी, धोती, चुनरी, साड़ी, दुपटा, तार, या किसी अन्य सामग्री द्वारा लटका रहता है। फांसी आत्महत्या के लिए सबसे आसान तरीका है।

फांसी के प्रकरणों के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर जांच की जानी चाहिए।

1. जाँच करें कि पीड़ित मृत या जीवित है यदि जीवित है तो उन्हें तुरंत चिकित्सा के लिए भेजें।

2. यदि पीड़ित की मृत्यु हो गई है, तो अपराध स्थल के साथ पीड़ित की तस्वीरें लें और गर्दन की गाँठ और फांसी लगाने का स्थान पर मौजूद गाँठ को परेशान किए बिना काटकर शरीर को नीचे लाएं।

3. गाँठ के प्रकार पर ध्यान दें कि वह स्लिपरी नॉट, सिंपल लूप नॉट या नॉन-स्लिपिंग नॉट हैं।

4. फांसी के लिए इस्तेमाल कुर्सी मेज बॉक्स की उपस्थिति, साथ ही शरीर की स्थिति, और अन्य उल्लेखनीय विशेषता को नोट करें।

5. फांसी लगाने का स्थान पीड़ित की पहुंच के भीतर है या नहीं, यह जानने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई, समर्थन और एंकर के बिंदु पर ध्यान दें।

6. फांसी लगाने के स्थान के पास और समर्थन में क्रमश: पीड़ित या मृतक के फिंगर प्रिंट और फुट प्रिंट की जांच करें।

7. सुसाइड नोट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य खोजें।

8. पीएम या शव परीक्षण के लिए शरीर भेजें।

फांसी के मामलों में सामान्य चेहरा पीला वाला होता है। सामान्य आंखे खुली, बंद या आंशिक रूप से खुली हो सकती है। जीभ जो लटकने का विशिष्ट लक्षण है उभरी हुई या दांतों के बीच हो सकती है। गर्दन लम्बी या खिंचकर हो सकती है। पुरुष जननांगों से मूत्र मल वीर्य पारित हो सकता है और महिला जननांगों के मामले में रक्त मिश्रित द्रव हो सकता है। लिगेचर चिह्न के ठीक नीचे मौजूद त्वचा चर्मपत्र जैसी हो जाती है या सूख जाती है।

तालिका–1 और तालिका–2 में कुछ बिंदु हैं जिन्हें फांसी के मामलों की जांच के दौरान नोट किया जाना चाहिए।

तालिका –1

क्र.सं.	मृत्यु से पहले फांसी	मृत्यु के बाद फांसी
01	ट के आकार का लिगेचर निशान और गले में अधूरा लिगेचर का निशान।	लिगेचर का निशान गर्दन के बीच में आम तौर पर पूर्ण।
02	लिगेचर के निशान के नीचे सूखी त्वचा।	लिगेचर के निशान के नीचे सूखी त्वचा का कोई संकेत नहीं।
03	आमतौर पर गर्दन में मौजूद गाँठ एक होती है और फिसलन प्रकृति की होती है।	कई गांठें, सामने की ओर और गैर फिसलन प्रकृति में, हत्या का संकेत है।
04	लार सामान्य रूप से मौजूद।	आमतौर पर ऐसे मामलों में लार की अनुपस्थिति।

तालिका –2

क्र.सं.	आत्महत्या फांसी	हत्या फांसी
01	आत्महत्या की प्रवृत्ति आमतौर पर किशोर उम्र में पाई जाती है।	कोई आयु सीमा नहीं।
02	लिगेचर का निशान ट आकार या गर्दन में तिरछा।	सर्कुलर और गर्दन के बीच में और गर्दन को घेरे हुए भी हो सकता है।
03	लिगेचर सामग्री में एकल गाँठ।	लिगेचर सामग्री में एकाधिक गाँठ।
04	शरीर में कोई चोट नहीं या मामूली चोट।	शरीर पर बड़ी चोटों के साथ फटे कपड़े।
05	फांसी लगाने का स्थान पीड़ित की पहुंच के भीतर।	फांसी लगाने का स्थान आमतौर पर पीड़ित की पहुंच से परे।
06	घटनास्थल आमतौर पर अंदर से बंद।	घटनास्थल अंदर या बाहर से लॉक किया गया या खुला स्थान।

07	घटनास्थल पर कोई संघर्ष के संकेत नहीं।	घटनास्थल पर संघर्ष के संकेत।
08	लिगेचर सामग्री में फिसलने वाली गाँठ।	लिगेचर सामग्री में आमतौर पर नॉन स्लाइडिंग नॉट मौजूद होती है।

संदर्भ

[1] A Forensic Guide to Crime Scene Investigator: SOP, NICFS.

[2] गंभीर अपराधों का वैज्ञानिक विश्लेशण, जेडी शर्मा

[3] फॉरेंसिक साइंस एंड क्राइम इन्वेस्टीगेशन, डॉ. पंकज श्रीवास्तव, सुविधा लॉ बुक्स

[4] पुलिस विज्ञान, अंक 124, 138 व 139.

अपराध

श्री घनश्याम सिंह

जाने अनजाने न जाने व्यक्ति हर रोज कितने अपराध करते हैं, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता है क्योंकि जो वह अपराध करता है, दरअसल वह उसको कोई अपराध मानता ही नहीं है क्योंकि उसकी नजर में तो अपराध सिर्फ हत्या, बलात्कार डकैती, लूट आदि ये सब ही आते हैं, परन्तु वह यह भूल जाता है कि उसने कभी न कभी वाहन चलाते समय एक्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया होगा। यदि कोई जान-बूझकर एम्बुलेन्स को रास्ता नहीं देता है, तो उसका यह कृत्य भी उसी अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें हत्या, लूट, डकैती आदि शामिल है क्योंकि एम्बुलेन्स को रास्ता न देना यह कृत्य किसी की जीवन लीला समाप्त कर सकता है अर्थात किसी की जान जा सकती है और किसी के ऐसे कृत्य करने को हत्या ही तो कहेगें यही तो अपराध की परिभाषा भी कहती है:- **''समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन या उसकी अवहेलना 'अपराध' है जिसमें कानूनी नियमों के उल्लंघन करने की नकारात्मक प्रक्रिया है जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है यह एक समाज विरोधी क्रिया है।''** किन्तु साधारण अर्थ में लोग अपराध को हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार आदि जघन्य अपराधों के पर्याय के रूप में ही लेते हैं।

परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अपराध की पूर्णता के लिए दो बातें अवश्य होनी चाहिए, पहली अपराध करने की इच्छा से युक्त मन और दूसरी अपराधिक कार्य/दोषपूर्ण कार्य उदाहरण के तौर पर:- **''यदि कोई हत्या करने के अभिप्राय से किसी की सुपारी लेता है और प्रतिदिन उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और एक दिन उसका पीछा करता है और एकांत जगह न मिलने के कारण हत्या किये बिना ही लौट जाता है, तो उस पर हत्या के अपराध का अभियोग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अपराधी मन की योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाया, भले ही वह किसी का पीछा करने के लिए दोषी क्यों न हो। अतः वह व्यक्ति यदि अपनी योजना के अनुसार उस व्यक्ति की हत्या कर देता तभी वह हत्या के लिए अपराधी होता किन्तु आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ समाज में नये-नये कानून बन रहे हैं जिनसे अपराध का दोषपूर्ण मन का सिद्वांत लुप्त होता जा रहा है। साधारणतः जो स्वयं अपराध करे या दूसरों के द्वारा अपराध कराये वही दण्डित होगा।**

जिम्मेदार तो बनना ही पड़ेगा-

अतः स्वामी अपने सेवक के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता किन्तु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के मामलों में यदि कोई सेवक अपने साधारण कार्य के दौरान कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो

उसका स्वामी अपराध के लिए उसके साथ-साथ दोषी होगा भले ही स्वामी को सेवक के कृत्य की खबर न रही हो या सेवक ने स्वामी के आदेश के विरूद्व ही काम क्यों न किया हो क्योंकि उस स्वामी की पूरी जिम्मेदारी थी कि वह सरकार द्वारा **''कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन-उत्पीड़न''** के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का खुद भी पालन करे और अपने प्रत्येक सेवक से भी कराये इसके लिए वर्तमान में सरकार ने कार्यस्थल पर होने वाले महिलाओं के साथ यौन-उत्पीड़न के मामलों के सम्बन्ध में बनाये गये कानून में स्वामी को जिम्मेदार ठहराया है और उस पर पचास हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा है।

सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले पर मामला सिर्फ कानून बनाने का या उस कानून को लागू करने या जीवन में उतारने का नहीं है बल्कि मामला व्यक्ति की सोच को बदलने का है क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता ही तो बदलनी है ताकि वह क्षणिक आवेग, भावुकता, पूर्व विचार आदि में आकर किसी अपराध को कारित न करें। ''दिल्ली में होने वाला निर्भय बलात्कार/हत्याकांड हो, उन्नाव (उत्तर-प्रदेश) का 23 वर्षीय लड़की के साथ रेप का मामला हो या फिर तेलंगाना में एक 27 वर्षीय डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार/हत्या की घटना हो ये सभी घटनायें क्षणिक आवेग और दूषित मानसिकता के उदाहरण है।''

अपराध के और भी बहुत कारण होते हैं जिनमें मुख्यत निम्न है:-

- **आर्थिक कारण:**- निर्धनता एक ऐसा श्राप है जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है जब व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अपने आपको असमर्थ पाता है, तब वह अपराध का रास्ता अपनाता है।
- **मनोवैज्ञानिक कारण:**- जो व्यक्ति के जीवन को हीनता का बोध कराते हैं, जिस कारण व्यक्ति कभी हिंसा तो कभी प्रतिशोध तो कभी मानसिक उद्वेग उसके अपराधी व्यवहार का कारण बन जाता है, जैसे-सामाजिक जीवन में असफलता, प्रेम में असफलता, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होना, परिवार में उपेक्षा, समाज द्वारा बहिष्कार आदि।
- **शारीरिक विकार:**- ऐसे लोग तो विकृत आकृति वाले अन्धे, बहरे या विकलांग होते हैं उनमें हीनता की भावना पनपती है और वह आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ने लगते हैं।
- **चलचित्र:**- ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी अतृप्त कामुकता को शांत करने के लिए चलचित्रों में जाते हैं, इन चलचित्रों में कई तरह के समाज विरोधी कार्य दिखाए जाते हैं, जिसे व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
- **दैहिक-इच्छापूर्ति आदि:**- दैहिक इच्छापूर्ति के लिए कभी-कभी व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराध को अन्जाम दे देता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसका जीता-जागता उदाहरण-बावनखेड़ी, जिला-अमरोहा (उत्तर-प्रदेश) का नरसंहार है।

अनुवांशिकता का अपराध से क्या सम्बन्ध है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु हम वातावरण के प्रभाव को अस्वीकार नहीं

कर सकते। यह साधारण अनुभव है कि कलुषित वातावरण अपराध करने की भावना को प्रोत्साहन देता है जैसे-यदि चोर की संगति में किसी शिशु को रख दिया जाये तो उसकी मनोवृत्ति चोरी की ओर अग्रसर अवश्य होगी।

इसी प्रकार कम अवस्था के शौकिया अपराधी को साधारण कैदियों के साथ जेल में रखा जाये तो इस स्थिति का प्रभाव उसे संभवतः कारावास से मुक्त होने पर अपराध करने को प्रेरित करे इसका सबसे अच्छा उदाहरण-सहारनपुर जिला का शौकिया अपराधी नदीम उर्फ बिल्लू सांडा है, बिल्लू सांडा के ऊपर तीन हत्या के मुकदमें सहित लूट, डकैती और रंगदारी के सोलह मुकदमें थे, जेल से भाग जाने और उसके बाद पकड़े जाने पर उसने पूछताछ पर अपने बयान में कहा कि अगर वह नहीं पकड़ा जाता तो एक महिला समेत पांच लोगों की हत्या और कर देता,

जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो तो उसने बताया कि ''मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन बनना है क्योंकि मेरा बाप भी डॉन था और मुझे 'खलनायक' फिल्म के संजय दत्त की तरह बनना है, मुझे मर्डर करने का शौक है, मेरी माँ कहती है कि जितनी मर्जी उतनी हत्या कर, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया कर'' आखिर जहां व्यक्ति को अपराध और वातावरण अनुकूल मिले तो वहां उसका अपराधी होना तय है।

इस प्रकार की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान ने अपराध का वर्गीकरण किया जिसमें:-

- **संज्ञेय अपराधः**- ये अपराध गम्भीर प्रकृति के होते हैं जिनमें पुलिस को तुरन्त कार्रवाई करनी होती है जैसे हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती आदि।
- **असंज्ञेय अपराधः**- ये अपराध साधारण/सामान्य प्रकृति के होते हैं जिनमें पुलिस का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है जैसे-गाली-गलौच आदि।
- **अजमानतीय अपराधः**- ये गम्भीर होते हैं इनमें 3 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है।
- **जमानतीय अपराधः**- ये कम गम्भीर होते हैं एवं इनमें कारावास भी कम होता है। और इन अपराधों की रोकथाम के लिए भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान किया है।

इन अपराधों के अलावा संगठित अपराध जो कि समाज के लिए तो खतरा है ही साथ में देश की आंतरिक और वाहय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक होते हैं, ऐसे अपराध बड़े पैमानें पर किये जाते हैं, इनके पीछे अपराधियों का एक बड़ा समूह काम करता है, पर्याप्त संसाधन होने के कारण इनका कार्यक्षेत्र भी अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। आजाद भारत के समय से ही मुंबई में भारत का सबसे बड़ा संगठित पनपा है जिसे हम मुंबई-अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते हैं, चाहे वह मुंबई-अंडरवर्ल्ड माफिया जापानी यकुजा, गोवा-ड्रग माफिया, पंजाब का इण्डों-कैनेडियन माफिया या फिर झारखण्ड में खदान/खनन माफिया हो ये सब संगठित अपराध ही तो हैं।

अगर हम मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात करें तो जब मुम्बई बाम्बे के नाम से जाना जाता था तबसे संगठित अपराध अपने पैर फैलाता आ रहा है। हाजी मस्तान जिसने अपने जीवन की शुरूआत एक कुली

के रूप में बोम्बे डॉक में की थी और फिर वहीं से वह संगठित अपराध में प्रवेश कर गया और माफिया करीम लाला के साथ मिलकर विशेष रूप से हशीश ट्रेफिकिंग, सुरक्षा रेकेट, जबरन-वसूली, अवैध-जुआ, सोने की तस्करी और अनुबंध हत्याएं करना शुरू किया।

वहीं वर्तमान में डी-कम्पनी मुंबई शहर में बसा दाऊद इब्राहिम द्वारा नियंत्रित संगठित अपराध समूह है जो आपराधिक और आतंकवादी समूहों का संगठन भी है, इसी संगठन ने बाम्बे बम विस्फोट की घटना को अन्जाम दिया था। वर्ष 2010 में, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि डी-कम्पनी का पाकिस्तान के आई0एस0आई0 के साथ राजनीतिक गठबन्धन है। दाऊद को अक्सर कराची पाकिस्तान में ट्रेस किया जाता रहा है परन्तु पाकिस्तान ने इस बात को हमेशा अस्वीकार किया है। ऐसे व्यक्ति ही तो अर्न्तराष्ट्रीय संगठित अपराध/आतंकवाद को जन्म देते हैं और नशीले/मादक पदार्थो की तस्करी, अवैध शस्त्र व्यापार, मनी-लॉड्रिग व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट कीलिंग, फिरौती के लिए अपहरण, मानव तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे अपराध न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि राष्ट्र की आर्थिक सम्प्रभुता को भी धराशायी करते हैं।

विद्वानों ने अपराध और अपराधियों को समझने के कई सिद्वांत दिए है जिनमें से एक दण्डायित्व का सिद्वांत भी है। अपराध विज्ञान का दण्डाायित्व से इतना ही सम्बन्ध है कि यह अपराधी को समझने की चेष्ठा करता है। उसे पहचानना इसकी परिधि से बाहर है। यह सिद्वांत इस तथ्य पर आधारित है कि कोई परिस्थिति से पराभूत होकर ही अपराध की ओर अग्रसर होता है जैसे:-आर्थिक लोभ/लालच या नैतिक संकट, किसी को दूसरे की संपत्ति का अपहरण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, विक्षिप्ता/मानसिक असंतुलन भी अपराध को बढ़ावा देते हैं।

''सदरलैंड के अनुसार अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए ऐसा घटक कार्य है, जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है''

वैज्ञानिक उपचारों के प्रयोग से तथा परिस्थिति को अनुकूल कर अपराधी को अपराध से अलग करना चाहिए और यह तभी संभव हो पायेगा जब हम स्वयं ही आगे आकर एक अच्छे भारतीय नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। सिर्फ पुलिस या सरकार के ऊपर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पुलिस के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमायें और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता बदल दे, यह जिम्मा हर एक को उठाना होगा, इसके लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है जैसे- सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन आदि के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। सरकार द्वारा जहां मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2008 प्रस्तुत किया गया है। वहीं एंटी हयूमन ट्रेफिकिंग यूनिट का गठन भी किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम 2013 को लाया गया है। इसके अतिरिक्त एंटी रोमियों टीमों का भी गठन किया गया है। ऐसे और भी कई कदम सरकार द्वारा उठाए

गये हैं। इन्हीं के साथ-साथ सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव करने चाहिए।

स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है:-

यह कथन हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। शायद इसी कथन को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में शामिल किया है। परन्तु मुझे लगता है कि अभी यह कथन अधूरा है क्योंकि अभी सरकार ने सिर्फ स्वस्थ शरीर को ही साधने की कोशिश की है। जिस तरह सरकार ने स्वस्थ शरीर पर जोर दिया है, ठीक उसी तरह स्वस्थ मस्तिष्क के लिए नैतिक शिक्षा को भी शिक्षा से जोड़ा जाये और शिक्षा के प्रत्येक पायदान पर नैतिक विषय को अनिवार्य बनाया जाये।

अपराध को समाप्त करने के लिए स्वस्थ मानसिकता की जरूरत है ताकि समाज में घिनौनी मानसिकता का जन्म न हो सके। एक बहन जो अपनी सुरक्षा की उम्मीद से हमारी कलाई पर राखी बांधती हैं, और माँ-बाप जो तुम पर नाज करते हैं, और बड़े गर्व से सारे समाज में तुम्हारी अच्छाईयों के पुल बांधते है, अब वक्त है खुद को बदलने का, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का क्योंकि हमें कुंठित और असभ्य समाज नहीं बल्कि अपराध मुक्त और एक अच्छा समाज चाहिए ताकि समाज में फिर कोई विकृत्त मानसिकता वाला नया अपराधी पैदा न हों।

पुलिस सुधार - एक सार्थक पहल

श्री रघुनंदन देवांगन

आजादी के बाद सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस सुधारों की सिफारिश के लिए नेशनल पुलिस कमीशन(एपीसी) का गठन किया। आयोग ने 1979 से 1981 के बीच करीब 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने जनता सरकार के समय 1979 में पहली रिपोर्ट दी। आयोग द्वारा सन् 1983 में बाकी 7 रिपोर्ट जारी कर दी गयी। दो सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकों द्वारा इस संबंध में न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। उस पर कोर्ट ने 10 साल बाद 2006 में अपने फैसले में निर्देश दिए। एनपीसी के बाद कई पुलिस सुधार समितियाँ बनायी गयीं और कई सुझाव दिये गये।

इसके बाद इसी क्रम में अगस्त 2009 में मानवाधिकार संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पुलिस का ढांचा औपनिवेशिक कानून पर आधारित है। इसमें निचले दर्जे के पुलिस वालों को कामकाज संबंधी अधिकार नहीं होते, इन्हें पेशेवर प्रशिक्षण भी नहीं मिला होता है। देश में अंग्रेजी शासन खत्म होने के छः दशक बाद भी वही पुलिस प्रणाली बनी हुई है। पुलिस में 85 फीसदी कर्मचारी आरक्षक हैं। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल केस(1977) में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में कोर्ट ने पुलिस लॉकअप में हिंसा और हत्याओं को लेकर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही संभवतः दो ऐसे उपाय हैं जिन पर जोर दिया जाना चाहिए। पुलिस बल में समुचित कार्य संस्कृति विकसित करने, प्रशिक्षण और मूलभूत मानव मूल्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस वालों के प्रशिक्षण का तरीका बदला जाना चाहिए। उन्हें मानव मूल्य समझाने चाहिए और संविधान के दर्शन के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। जाँच के दौरान पुलिस के नजरिए में बदलाव लाने के प्रयास होने चाहिए ताकि वे पूछताछ के समय मूलभूत मानव मूल्यों को नजरंदाज न करें और आपत्तिजनक तरीके न अपनाएं।

कई पुलिस सुधार समितियाँ बनायी गयी होंगी, कई सुधार किये गये होंगे किन्तु यदि निम्न वर्ग के कर्मचारी के स्तर पर सोचा जाए तो पाएंगे कि एक आम महिला या पुरूष पुलिसकर्मी के लिए पुलिस सुधारों का मतलब कुछ तरह के बदलाव हो सकते हैं। यह कामकाज और रहन-सहन के बेहतर माहौल, लंबे समय और प्रत्याशित काम के घंटों में कमी, उचित पारिश्रमिक और आवास से जुड़ा हो सकता है जिससे उनका जीवन गरिमामय बने। इनमें सबसे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मानवीय और संवेदनशील व्यवहार करें। उनमें केरियर को लेकर तरक्की की आकांक्षाएं भी होती हैं लेकिन मौजूदा प्रणाली में तरक्की की संभावना बेहद कम होती है।

जहाँ एक ओर रोजमर्रा के काम, बच्चों एवं परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसे की कमी, बल के अनुपात में शासकीय आवासों की कमी, जर्जर मकान और साफ-सफाई में भारी कमी, वेतन काम के मुकाबले नहीं के बराबर, उच्च

अधिकारियों द्वारा सही तरीके से व्यवहार न करना, अनावश्यक कामों में व्यस्त रखना, अनुचित तरीके से सजा देना, अनुशासन के नाम पर बेवजह परेशान करना एवं दबाव बनाये रखना। मुख्य आरक्षकों/ प्रधान आरक्षकों से अर्दली के तौर पर काम लेना व उनकी उपयुक्तता को कम करना और मानसिक रूप से पंगु बनाना, इन बातों पर विचार की आवश्यकता है।

दिशाहीन पुलिस नेतृत्व के अलावा, नौकरशाही का दबदबा भी पुलिस सुधार की राह में एक बड़ी बाधा है। पुलिस बल को शस्त्रों से लैस करने, प्रशिक्षण देने और उन्हें सशक्त बनाने की बात आती है तो ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारियों के विचार पूर्वाग्रही और संकीर्ण नजर आने लगते हैं। इसके अलावा पुलिस बल के कर्मचारियों का शोषण अनुशासन के नाम पर किया जाता रहा है, न तो उन्हें एक व्यक्ति के रूप में समाज में गरिमामय जीवन बिताने का समय मिलता है और न ही विभाग के आला अधिकारी उनकी उपयुक्तता को बढ़ाने और मानसिक रूप से मजबूत करने में कोई रूचि लेते हैं। इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि पुलिस की भर्ती प्रक्रिया ऐसी होती है जिनमें सबसे मजबूत शरीर, कदकाठी और सभी प्रकार से चुस्त-दुरस्त व्यक्ति ही सेवा में आ पाते हैं, उनके इतने मजबूत होने के कारण ही वे इतनी परेशानियां झेल पाते हैं और इतने कार्य कर पाते हैं किन्तु न तो उनकी शारीरिक तंदरूस्ती का और न ही उनके मानसिक रूप से मजबूती का सही ढंग से उपयोग हो पाता है। उन्हें ऐसे कामों में व्यस्त कर दिया जाता है जहाँ वे स्वयं को ही भूल जाते हैं और जिस उद्देश्य से उनकी भर्ती की जाती है वही उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

आत्महत्या, हत्या, आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद तथा विभागीय समस्याओं आदि कारणों से आत्महत्या एवं हत्या जैसे प्रकरणों में वृद्धि हुई है। यदि हम इनके कारणों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि -

1. आत्महत्या एवं पारिवारिक विवाद में कई कारण हो सकते हैं किन्तु अधिकांश मामलों में:-

- पारिवारिक (अधिकतर पति-पत्नी विवाद) से ऊपजी समस्या से होने वाले तनाव के कारण तथा
- व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हो सकता है।

इन्हें रोकने हेतु किए जाने वाले प्रयास -

- पति-पत्नी विवाद संबंधी मामलों में पुरूष प्रताड़ना के ज्यादा शिकार रहते हैं वे अपनी बात स्पष्ट तौर पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। महिलाएं जहां अपने पति से संबंधित बात किसी भी माध्यम के जरिये कहीं पर भी रख सकती हैं वहीं पुरूष अपनी अंदरूनी बात अपने साथी तक को बताने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इस प्रकार वे मानसिक रूप से ज्यादा तनाव में रहते हैं। इस प्रकार यदि तनाव का विषय पति-पत्नी विवाद हो तो उसका कारण जानने और उन्हें दूर करने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था कर मनौवैज्ञानिक तरीके से उनके तनाव को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है।
- जवानों में बचत की भावना नहीं होती, अधिकांश जवानों का आधा वेतन लोन चुकाने में चला जाता है। किसी भी स्थिति में उनके वेतन से 20 प्रतिशत रूपये बचत के रूप में काटे जाने चाहिए।

2. हत्या- अधिकांश मामलों में जवानों की गुजारिश पर ध्यान न देना, उनकी दैनिक आवश्यकता की

चीजों की पूर्ति न हो पाना तथा अनुशासन आदि के नाम पर किसी एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से दुर्व्यवहार करना तथा अन्य छोटी-छोटी बातों में अन्य जवानों द्वारा उसके व्यक्तिगत/विभागीय मामलों में हूटिंग करना आदि मुख्य कारण हैं जिनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

इन्हें रोके जाने हेतु किए जाने वाले प्रयास -

- उपरोक्त कारण कहीं न कहीं कंपनी कमाण्डर/ कंपनी प्रभारी के विभागीय कार्यों के निष्पादन में दिए जाने वाले अधिकारों को सीमित करते हैं। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों का सीधे आरक्षक/प्रधान आरक्षक तक पहुँच होने के कारण उनका अपने मुखिया से सीधा संवाद होने से, कंपनी कमाण्डरों का कार्य मात्र वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना मात्र रह गया है, उनका अपना विवेक लगभग खत्म सा हो गया है।

  अत: कंपनी कमाण्डर को, जवानों को अनुशासन में रखने, उनका मनोबल बढ़ाने वाले कारकों हेतु प्रशिक्षण के साथ -साथ मनोवैज्ञानिक तरीके का प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें जवानों के साथ प्रत्येक अवसर पर कड़ात्मक रवैया न अपनाते हुए व्यवहारिक तरीके से जवानों को अनुशासन में रखने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस क्रम में, कुछ सीमा तक गुजारिश, अवकाश पर छोड़े जाने आदि का कार्य कंपनी कमाण्डर के विवेक पर छोड़ कर उसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

- अनुशासनहीन, शराबी प्रवृत्ति एवं आदतन फरार/ कर्तव्य से अनुपस्थित होने वाले कर्मचारियों को सुधार हेतु या विभागीय कार्यवाही के लिए कंपनी से वाहिनी मुख्यालय में रखना पड़ता है ताकि कंपनी का माहौल न बिगड़े। किन्तु इनके अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता प्रकरणों में जाँच की कार्यवाही आदि के दौरान उनके हिस्से के काम का दबाव दूसरे कर्मठ कर्मचारी पर पड़ता है। आदतन कर्मचारियों पर कड़ा रूख अपनाकर और कर्मठ कर्मचारी की छोटी-छोटी त्रुटियों को समझाईश देकर समाप्त किया जा सकता है।

- कंपनियों में आधारभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, जवानों के रहने की उचित व्यवस्था, टायलेट की समुचित और अच्छी व्यवस्था, वाहन आदि हेतु कंपनी कमाण्डर संबंधित थाना प्रभारी या जिला अधिकारी पर निर्भर रहता है। आधारभूत कमी से जूझते हुये यह वरिष्ठ अधिकारियों के सभी आदेश/ निर्देश का पालन करता है जिस वजह से कई मौकों पर वह जवानों की लंबे समय से की जाने वाली गुजारिशों और उनकी मनोवृत्ति का ठीक ढंग से समाधान नहीं कर पाता।

इसके अतिरिक्त कुछ विभागीय समस्याएं भी आती हैं जिनके निराकरण हेतु कुछ कार्य किये जा सकते हैं जैसे -

- जवानों की विभागीय समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया जा सकता है। उनकी गुजारिशों पर समय पर कार्यवाही होने से उनका मनोबल ऊंचा रहेगा।

- शासन/स्वसेवी संस्थान/पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप या अन्य किसी भी माध्यम से पुलिस जवानों हेतु शासकीय आवास का निर्माण कराया जाये। विकल्प के रूप में शासकीय आवास की भांति प्राइवेट व्यक्तियों से आवास निर्माण कराकर उसे सिर्फ पुलिस जवानों को आबंटित कर प्रतिमाह मकान किराया भत्ता की राशि के बराबर मासिक

किराया पर उपलब्ध कराने संबंधी कोई योजना प्रारंभ की जा सकती है।

- प्राय: यह भी देखने में आया है कि मैदानी इलाकों में तैनात कंपनी में पदस्थ जवान की नक्सल क्षेत्र या दूरस्थ इलाकों में कंपनी की मूवमेंट होने पर वह पुन: अपनी पदस्थापना मैदानी इलाकों वाली कंपनी या मुख्यालय में कराने हेतु पारिवारिक या अन्य कारणों का हवाला देकर पोस्टिंग कराते हैं। इस प्रक्रिया से होता यह है कि जो कर्मचारी लंबे समय से नक्सल इलाकों में तैनात होकर कर्मठता से अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और जो छोटी-मोटी परेशानियों हेतु अधिकारियों के समक्ष अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनका मनोबल टूटता है।
- जवानों के मनोबल को ऊंचा बनाये रखने हेतु समय-समय पर मोटिवेशन कार्यक्रम चलाया जा सकता है।
- हर वर्ष सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण कराया जा सकता है।
- अर्दली कार्य हेतु मुख्य आरक्षक/प्रधान आरक्षकों को न लगाकर विभाग में पृथक से इसके पद सृजित किये जा सकते हैं ताकि उनकी उपयुक्तता बनी रहे।
- उच्च अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की शैली में सुधार किया जाना चाहिए।
- पदोन्नति के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर पदोन्नति के रास्ते सरल किये जाने चाहिए।
- पुलिस जवानों को पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में अपने व्यक्तिगत/पारिवारिक कारणों से भी दौड़-भाग करनी होती है, दूसरे विभागों द्वारा उनके कार्यों को शीघ्रतापूर्वक निपटारा करने संबंधी निर्देश पारित किए गए हैं, इस पर अमल करने हेतु जमीनी स्तर पर कार्यवाही होनी जरूरी है।
- आत्महत्या एवं हत्या जैसे कदम उठाने वाले जवानों का विशेषज्ञों की टीम द्वारा उनके विभागीय बायोडाटा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, उनके साथ काम करने वाले एवं उन्हें जानने वालों से उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित कर आत्मघाती कदम उठाने का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर जवानों के कल्याण एवं उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा बनाकर कार्य किया जा सकता है।
- जवानों को जीवकोपार्जन से संबंधित आत्मनिर्भरता हेतु सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे प्रत्येक परिवेश में संघर्षशील रहकर हर परेशानियों का स्वयं हल कर सकें।
- वरिष्ठता के आधार पर भी पोस्टिंग सुनिश्चित की जाए।
- नक्सल क्षेत्रों में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का परीक्षण कर शहरी/मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ किया जाए।

वर्ष 2018 में पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, श्री डी.एम.अवस्थी द्वारा विजन दिया गया था जिसका ध्येय वाक्य है **''मजबूत पुलिस, विश्वसनीय पुलिस''।** इस विजन में कानून-व्यवस्था/अपराधों की समीक्षा, समाज एवं पुलिस की समस्याओं हेतु परामर्शदात्री समिति बनाना, आम नागरिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से मिलने की व्यवस्था करना, उत्कृष्ट पुलिस कर्मियों को

प्रोत्साहन, पुलिस कर्मियों की समस्याओं का निदान, स्नेह छाया योजना, इकाई स्तर पर प्रत्येक माह दरबार आयोजित करना, पुलिस परिवार के बच्चों के लिए कोचिंग व्यवस्था आदि का उल्लेख है। इस विजन ने पुलिस विभाग के प्रति आम जनता में विश्वास बढ़ाने और इसके साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं आदि को दूर करने में महती भूमिका अदा की है। अपने विजन के अंतर्गत उनके द्वारा कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं जिनमें से प्रमुख हैं-

1. **पुलिस कर्मचारियों से सीधे प्रत्यक्ष मुलाकात एवं बातचीत कार्यक्रम** -

   इसके तहत पुलिस महानिदेशक महोदय से कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवारजन सीधे प्रत्यक्ष मुलाकात कर अपनी बात रख सकते हैं। इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय के वाटस्एप्प में संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

2. **कल्याण समिति का गठन** -

   पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याणार्थ इकाई स्तर पर कल्याण समिति का गठन करके प्रत्येक माह बैठक आयोजित करके प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय भेजने तथा इकाई में गठित की जाने वाली कल्याण समिति के सदस्यों को वार्षिक पुलिस कल्याण समिति की बैठक में भेजा जाए।

3. **स्नेह छाया योजना**-

   इसके अंतर्गत शासन से रियायती दर पर भूमि प्राप्त कर पुलिस कर्मचारियों की सहकारी समिति बनाकर पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन से उच्च गुणवत्तायुक्त एवं कम कीमत पर मकान तैयार करवाकर पुलिस कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की योजना चालू की गयी है।

4. **Credibility cell**

   गंभीर प्रवृत्ति की संवेदनशील शिकायतें जिन्हें आवेदक स्वयं पुलिस महानिदेशक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करते हैं ऐसी शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं समय-सीमा में निराकरण हेतु Credibility cell का गठन करना।

5. **KYM (know your men) –**

   पुलिस बल में मानसिक तनाव को कम करने तथा उनके शासकीय एवं व्यक्तिगत समस्याओं के उपचारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से KYM (know your men) कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया है। कर्मचारियों को कलस्टर (समूह) में बांटने तथा उनकी दी गयी प्रोफाईल पर जानकारी तैयार कर यदि किसी शासकीय कर्मचारी का गंभीर मानसिक तनाव पाया जाए तो इकाई प्रमुख के संज्ञान में लाये जाने हेतु उपचारात्मक कदम उठाने के निर्देश हैं।

6. **अनुग्रह सेल** -

   पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से पुरूष एवं महिला कर्मचारियों हेतु पृथक-पृथक ''अनुग्रह सेल'' का गठन इकाई स्तर पर किये जाने चाहिए जिसमें कर्मचारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, एवं पदोन्नति के विषय को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के लिए कर्मचारीगण उपस्थित होकर अपनी गुजारिश कर सकेंगे। इस हेतु की गयी गुजारिश एवं उन पर की गयी कार्यवाही

की जानकारी का रिकार्ड रखा जायेगा और उनकी मानसिक अवस्था का भी अध्ययन किया जायेगा।

7. शहीद परिवार के प्रति आत्मीय जुड़ाव तथा उनके प्रति संवेदना

''घर पहुंच सेवा कार्यक्रम'', इस कार्यक्रम के तहत शहीद/दिवंगत पुलिस कर्मियों के उत्तराधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को देय दावों के भुगतान एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु, परिवार वालों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो, उसका निराकरण इकाई अथवा रेंज स्तर पर 45 दिनों के भीतर करने हेतु निर्देशित किया गया है।

8. इंद्रधनुष योजना -

इस योजना के अंतर्गत सप्ताह में यदि कोई कर्मचारी कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उसका उल्लेख करेंगे। वर्ष में 10 बार या उससे अधिक उत्कृष्ट कार्य करने पर उसका नाम बेवसाईट पर ''बेस्ट पुलिस मेन ऑफ छत्तीसगढ़'' के रूप में दर्ज किया जाएगा।

9. अर्दली रूम -

दण्ड का उद्देश्य अपचारी को उसके आचरण में सुधार करना है, न कि उसके अभिलेख को खराब करना। इसी उद्देश्य से पुलिस रेगुलेशन की कंडिका 35 में अर्दली कक्ष का प्रावधान रखा गया है, एवं यथासंभव कक्ष में ही निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

10. स्पंदन अभियान -

पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों में बढ़ते अवसाद एवं मानसिक तनाव को कम करने के लिए ''स्पंदन'' अभियान प्रारंभ किया गया है जिसमें कंपनियों में प्रत्येक अधिकारी को भ्रमण कर सीधे जवानों एवं उनके कार्यों, परेशानियों से रूबरू होकर उनकी गुजारिशों का तत्काल निराकरण करने, जवानों के साथ समय बिताने का अभियान चलाया गया है। पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल तैनात कंपनियों के कर्मचारयों से स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर रूबरू होते हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस हेतु पुलिस महानिदेशक महोदय की उक्त योजनाएं बहुत ही प्रभावी रही हैं। कुछ आम समस्याओं पर भी सार्थक पहल की जरूरत है। पुलिस के कार्यों में सुधार के जरिये अपराध, कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है जब एक आम पुलिसकर्मी की समस्याओं पर भी गौर किया जाएगा। समिति एवं आयोगों के दिये गये सुझाव पर अमल तभी सार्थक हो पाएंगे जब पुलिस विभाग के सबसे निचले स्तर तक सुधार होगा। पुलिस का कर्मचारी भी तो आखिर समाज का ही अंग है।

पुलिस विज्ञान

रजिस्ट्रेशन सं. 40445/82

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री वी.एस.के. कौमुदी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस विज्ञान पत्रिका के अंक 143 (जुलाई-दिसम्बर, 2020) का विमोचन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, एन.एच. 8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in